SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन पर प्रतिवेदन

राजस्थान सरकार

2026 का प्रतिवेदन संख्या 2

(निष्पादन लेखापरीक्षा–सिविल)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी
अधिनियम के कार्यान्वयन
पर प्रतिवेदन

राजस्थान सरकार

2026 का प्रतिवेदन संख्या 2

विषय-वस्तु

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन	-	v
कार्यकारी सारांश	-	vii
अध्याय I: परिचय		
परिचय	1.1	1
योजना का अवलोकन	1.2	2
वित्तपोषण ढांचा	1.3	2
संगठनात्मक संरचना	1.4	3
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.5	3
लेखापरीक्षा मानदंड	1.6	4
लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र और कार्यप्रणाली	1.7	4
आभार	1.8	6
अध्याय II: नियोजन और वित्तीय प्रबंधन		
बेसलाइन सर्वेक्षण	2.1	7
ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्य योजना में कार्यों की प्राथमिकताएं तय करना	2.2	8
जिला परिप्रेक्ष्य योजना	2.3	8
ब्लॉक संसाधन केंद्र	2.4	9
कर्मचारियों की उपलब्धता	2.5	10
क्षमता निर्माण के प्रयास	2.6	12
सामाजिक लेखापरीक्षा संपादन के लिए संसाधन व्यक्तियों की तैनाती	2.7	13
वित्तीय प्रबंधन	2.8	14
राज्यांश जारी करना	2.9	16
लंबित देयता	2.10	17
निष्कर्ष और सिफारिशें	2.11	20
अध्याय III: रोजगार सृजन		
श्रमिकों का पंजीकरण	3.1	23

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
घर-घर सर्वेक्षण	3.2	24
जॉब कार्ड	3.3	25
रोजगार के लिए जागरूकता पैदा करना	3.4	26
मनरेगा के अंतर्गत प्रदान किया गया रोजगार	3.5	28
बेरोजगारी भत्ता	3.6	32
मजदूरी एवं मुआवजे का भुगतान	3.7	33
निष्कर्ष और सिफारिशें	3.8	36
अध्याय IV: कार्यों का निष्पादन		
कार्यों के निष्पादन की स्थिति	4.1	39
टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण	4.2	43
कार्यों की जियो-टैगिंग	4.3	49
मनरेगा योजना के साथ योजनाओं का अभिसरण	4.4	50
कृषि और संबंधित गतिविधियों पर व्यय	4.5	53
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यों पर व्यय	4.6	53
ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुसार इंटरलॉकिंग सड़कों के लिए स्वीकृति	4.7	54
मस्टर रोल में कार्य पूर्ण होने की अवधि के बाद सामग्री की खरीद	4.8	55
मस्टर रोल में पाई गई अनियमितता	4.9	56
पूर्ण कार्यों का रखरखाव	4.10	57
निर्माण कार्यों के लिए सूचना बोर्ड लगाना	4.11	59
निष्कर्ष और सिफारिशें	4.12	59
अध्याय V: निगरानी, शिकायत निवारण और सामाजिक लेखापरीक्षा		
राज्य रोजगार गारंटी परिषद की कार्यप्रणाली	5.1	61
राज्य एवं जिला गुणवत्ता नियंत्रकों की नियुक्ति	5.2	62
जिला स्तर पर लोकपाल की स्थापना और शिकायतों का निवारण	5.3	63

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
शिकायत निवारण हेतु अपीलीय प्राधिकरण	5.4	63
शिकायतों का निपटान	5.5	64
सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन	5.6	65
आवधिक निरीक्षण	5.7	66
अनिवार्य अभिलेखों का संधारण	5.8	67
सामाजिक लेखापरीक्षा में इंगित वित्तीय दुर्विनियोजनों की वसूली	5.9	68
सामाजिक लेखापरीक्षा में इंगित टिप्पणियों पर सुधारात्मक उपायों के लंबित रहने की स्थिति	5.10	69
समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा	5.11	70
मनरेगा श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) में पंजीकरण	5.12	71
निष्कर्ष और सिफारिशें	5.13	72

परिशिष्ट-सूची

परिशिष्ट संख्या	विवरण	पृष्ठ
परिशिष्ट – 1.1	राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्यात्मक जिम्मेदारियां दर्शाए जाने वाला विवरण	75
परिशिष्ट – 1.2	चयनित जिलों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों का विवरण दर्शाने वाला विवरण	76
परिशिष्ट – 2.1	ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्य योजनाओं में कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित नहीं करना	77
परिशिष्ट – 2.2	राज्य स्तर पर आयोजित किये गए प्रशिक्षण कार्यक्रम	78
परिशिष्ट – 2.3	घटक वार प्राप्तियों एवं व्ययों का विवरण	83
परिशिष्ट – 3.1	नमूना जांच की गई 32 ग्राम पंचायतों में दिया जाने वाला बेरोजगारी भत्ता	84
परिशिष्ट – 4.1	चयनित जिलों में कार्यों के निष्पादन की स्थिति	85
परिशिष्ट – 4.2	ग्राम पंचायत भवन निर्माण का विवरण	86
परिशिष्ट – 4.3	चयनित जिलों में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों पर किया गया व्यय	87
परिशिष्ट – 4.4	चयनित ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों हेतु आपूर्ति की गई सामग्री एवं मस्टर रोल की अवधि में अंतर का विवरण	88
परिशिष्ट – 5.1	नमूना जाँच किए गए जिलो में लक्ष्यों के विरुद्ध किए गए कार्यस्थल निरीक्षण	90
	शब्दकोष	91

प्राक्क़थन

31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत राजस्थान राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में '**महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन**' पर संपादित की गई निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं, जो 2019-24 की अवधि को कवर करते हैं।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संपादित की गई है ।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

भारत सरकार ने सितंबर 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 लागू किया, जिसका नाम बाद में (अक्टूबर 2009) बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कर दिया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के उन सभी परिवारों जिनके वयस्क सदस्य माँग पर अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से तैयार होते हैं को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करते हुए आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। इस अधिनियम के तहत, राजस्थान सरकार ने जुलाई 2006 में 'राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' को अधिसूचित किया और मई 2007 में इसका नाम बदलकर "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" कर दिया गया।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए संपादित की गई इस निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य योजना प्रक्रिया और वित्तीय प्रबंधन पद्धतियों की पर्याप्तता, सृजित रोजगार, टिकाऊ एवं उपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण तथा रखरखाव की समीक्षा करना था, साथ ही अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ अभिसरण सुनिश्चित करना था। इस निष्पादन लेखापरीक्षा में निगरानी, सामाजिक लेखापरीक्षा और शिकायत निवारण प्रणाली की पर्याप्तता का भी आकलन किया गया।

लेखापरीक्षा में राज्य के 33 जिलों में से पांच जिलों, 10 पंचायत समितियों और 40 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जांच की गई। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत में संयुक्त भौतिक सत्यापन के लिए सात कार्य (कुल 280 कार्य) और सर्वेक्षण के लिए 10 लाभार्थी (कुल 400 लाभार्थी) भी चयनित किए गए।

मुख्य लेखापरीक्षा आक्षेप

योजना एवं वित्तीय प्रबंधन

वर्ष 2019-24 के दौरान नमूना जाँच की गई किसी भी ग्राम पंचायत में बेसलाइन सर्वेक्षण नहीं किया गया, जिसके कारण रोजगार के लिए काम की मांग की प्रकृति, मात्रा और समय का पता नहीं लगाया जा सका और जमीनी स्तर पर एक यथार्थवादी विकास योजना तैयार नहीं की जा सकी।

नमूना जाँच किए गए किसी भी जिले में जिला परिप्रेक्ष्य योजना भी तैयार नहीं की गई थी, जिसके कारण जिलों के सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं और कमियों की पहचान नहीं की जा सकी। इसके

अलावा, 2019-24 के दौरान चयनित सात पंचायत समितियों की 16 ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्य योजनाएं, भिन्न-भिन्न वर्षों में ग्राम सभा में कार्यों की प्राथमिकताओं को निर्धारित किए बिना तैयार की गई थी।

नियोजन के लिए तकनीकी इनपुट प्रदान करने, नियोजन संबंधी डेटाबेस बनाए रखने और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और सरकार की दूसरी उत्पादन-उन्मुख योजनाओं के बीच अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) स्थापित करना आवश्यक था। चयनित ब्लॉकों में से किसी में भी ब्लॉक संसाधन केंद्र स्थापित न होने से ग्राम पंचायतों के पास नियोजन के लिए आवश्यक कोई सहायता प्रणाली नहीं थी।

राज्य में सभी स्तरों पर, अर्थात् राज्य, जिला, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर, नियमित कर्मचारियों में 3 प्रतिशत से 64 प्रतिशत और संविदा कर्मचारियों में 31 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक मानव संसाधन की कमी से योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सामाजिक लेखापरीक्षा संपादित करने के लिए प्रशिक्षित नियमित कर्मचारियों की रिक्तियों ने सामाजिक लेखापरीक्षा की दक्षता को प्रभावित किया, क्योंकि जुलाई 2024 तक राज्य स्तर पर नियमित ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (बीआरपी) और ग्राम संसाधन व्यक्ति (वीआरपी) बीआरपी और वीआरपी के 100 प्रतिशत पद रिक्त थे और इन बीआरपी/वीआरपी के स्थान पर मेट/साथिन ही सामाजिक लेखापरीक्षा का कार्य निष्पादित कर रही थीं।

वर्ष 2019-20 से 2023-2024 के दौरान, राज्य सरकार ने सामग्री और प्रशासनिक व्ययों के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधि और स्वयं का अंशदान जारी करने में 3 से 169 दिनों की देरी की, जिसके कारण वर्ष 2019-20 और 2020-21 से संबंधित ₹ 9.08 करोड़ के ब्याज की देनदारी सृजित हुई । सितंबर 2025 तक, वर्ष 2019-24 की अवधि के लिए श्रम और सामग्री घटक के लिए राज्य की लंबित देयता ₹ 2014.39 करोड़ थी, जिसमें से सामग्री घटक की देयता ₹ 1892.67 करोड़ थी।

रोजगार सृजन

राज्य में, वर्ष 2019-24 के दौरान पंजीकृत परिवारों को जारी किए गए जॉब कार्डों का प्रतिशत 97.73 प्रतिशत से 99.20 प्रतिशत के बीच रहा। हालांकि, यह पाया गया कि योग्य परिवार जो

छूट गए हैं और अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहते हैं, उनकी पहचान के लिए घर-घर सर्वेक्षण किसी भी चयनित ग्राम पंचायत में नहीं किया गया था। जॉब कार्डों के संधारण में भी कमियां, जैसे कि किए गए कार्य की तिथियों और भुगतान के विवरण की अपूर्ण प्रविष्टियां, हस्ताक्षर के कॉलम का खाली रहना, परिवार के सभी सदस्यों की फोटोग्राफ का नहीं होना आदि पाई गईं।

2019-24 के दौरान, केवल 58.71 प्रतिशत से 70.58 प्रतिशत जॉब कार्ड धारक परिवारों ने ही इस योजना के तहत रोजगार की मांग की। हालांकि रोजगार की मांग करने वाले 99.96 प्रतिशत से अधिक जॉब कार्ड धारकों को रोजगार की पेशकश की गई, लेकिन केवल 89.88 प्रतिशत से 94.77 प्रतिशत परिवारों ने ही रोजगार प्राप्त किया और रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों में से केवल 7.15 प्रतिशत से 16.33 प्रतिशत को ही 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया। 2019-20 से 2023-24 के दौरान औसतन 27.90 लाख परिवारों (42.36 प्रतिशत) ने 50 दिनों से कम का रोजगार प्राप्त किया, जबकि 8.08 लाख परिवारों (12.26 प्रतिशत) ने 100 दिनों या उससे अधिक का रोजगार प्राप्त किया।

राज्य के सभी जिलों में योजना के तहत रोजगार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कुल सृजित रोजगार के एक तिहाई से अधिक था तथा 49.59 प्रतिशत और 80.53 प्रतिशत के बीच रहा था।

2019-2024 के दौरान, राज्य में पंजीकृत विशेष योग्य जनों को 29.53 प्रतिशत तथा 42.98 प्रतिशत के बीच रोजगार प्रदान किया गया और औसत रोजगार दिवस इन वर्षों के दौरान 38 तथा 44 दिन के बीच रहे। 2019-24 के दौरान कार्य की मांग करने वाले विशेष योग्य जनों का आंकड़ा न तो नरेगा-सॉफ्ट में दर्ज किया गया था और न ही कोई पुख्ता भौतिक अभिलेख रखा गया था जिसके कारण लेखापरीक्षा में कार्य की मांग करने वाले विशेष योग्य जनों का प्रतिशत निर्धारित नहीं किया जा सका।

2019-24 की अवधि के दौरान, राज्य स्तर पर, सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) की कोई भी योजना तैयार नहीं की गई तथा नमूना जाँच की गई 72 प्रतिशत ग्राम पंचायतों ने इस अवधि के दौरान कोई भी रोजगार दिवस आयोजित नहीं किए।

सितंबर 2025 तक, राज्य में 2019-24 के दौरान राशि ₹948.54 करोड़ मजदूरी भुगतान के 2.82 प्रतिशत लेनदेन निर्धारित समय सीमा से 16 दिन से लेकर 90 दिन से अधिक की देरी से किए गए थे। लाभार्थियों को उनके आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान न करने के मामले

सामने आए जैसे कि 2019-24 की अवधि के लिए जुलाई 2025 तक राज्य स्तर पर ₹52.91 लाख का बेरोजगारी भत्ता लंबित था।

मजदूरी के विलम्बित भुगतान के कारण गणना किए गए मुआवजे का 80 प्रतिशत प्राकृतिक आपदा और मुआवजे के देय न होने जैसे मनमाने कारणों का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया गया, जिससे मुआवजे के वितरण में लापरवाहीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने पर चिंता उत्पन्न होती है।

कार्यों का निष्पादन

2019-20 से 2023-24 के दौरान, सितंबर 2025 तक राज्य में स्वीकृत किए गए 21 प्रतिशत कार्य अधूरे थे और 5 प्रतिशत कार्य शुरू ही नहीं हुए थे। राज्य में अधूरे कार्यों में से 8 प्रतिशत कार्य तीन वर्षों से अधिक समय से पूर्ण करने लंबित थे।

टिकाऊ परिसंपत्तियां जैसे कि अपेक्षित थी निर्मित नहीं हुई, क्योंकि ऐसे उदाहरण सामने आए जहां सड़क निर्माण, मॉडल तालाब/तलाई निर्माण जैसे कार्य बिना किसी सामग्री के उपयोग के निष्पादित हुए थे, जबकि प्राक्कलन में सामग्री का प्रावधान था। मस्टर रोल में श्रमिकों के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान का नहीं होना, पंजीकरण सूची में सुधार/ओवरराइटिंग जैसी अनियमितताएं भी देखी गईं।

टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यों का अभिसरण अनुमत्य है। 2019-24 के दौरान अभिसरण के तहत अनुमोदित कुल 11.36 लाख कार्यों में से, सितंबर 2025 तक 88 प्रतिशत कार्य अपूर्ण थे।

कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से सीधे जुड़े उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कम से कम 60 प्रतिशत कार्य एक जिले में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के अंतर्गत किए जाने थे, जो राज्य के केवल दो से पांच जिलों में ही सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा, नमूना जाँच किए गए ब्लॉकों में, जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, 2019 से 2024 के दौरान किसी भी वर्ष में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य पर अनिवार्य 65 प्रतिशत व्यय नहीं किया गया।

निगरानी, शिकायत निवारण और सामाजिक लेखापरीक्षा

राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय तकनीकी एवं गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठों की स्थापना, परिचालन दिशा-निर्देश 2013 जारी होने के 11 वर्ष से अधिक समय बाद हुई। लोकपाल के निर्णयों के विरुद्ध अपील पर विचार करने हेतु गठित की जाने वाली अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति में आठ

वर्ष की देरी हुई, जिससे पीड़ित व्यक्ति लोकपाल के निर्णयों के विरुद्ध अपील करने के अधिकार से वंचित रह गया। जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्यों का आवधिक निरीक्षण 2021-22 से 2023-24 के दौरान 0 से 66 प्रतिशत के बीच रहा। इस प्रकार, योजना के रियल-टाइम निरीक्षण और साक्ष्य आधारित रिपोर्टिंग का इच्छित उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

नमूना जाँच की गई ग्राम पंचायतों में से 60 प्रतिशत में योजना के तहत निर्धारित रजिस्टरों का संधारण सुनिश्चित नहीं किया गया था। इसके अलावा, योजना के तहत निष्पादित कार्यों के सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान इंगित की गई वित्तीय अनियमितताओं की वसूली राज्य स्तर पर केवल 23.58 प्रतिशत तक ही हुई थी और सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में उठाए गए आक्षेप, राज्य स्तर के साथ-साथ नमूना जाँच किए गए जिलों के स्तर पर भी सुधारात्मक कार्रवाई के अभाव में बकाया थे।

सिफारिशें

1. राज्य सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर बेसलाइन सर्वेक्षण करवाने और जिला स्तर पर जिला परिप्रेक्ष्य योजना तैयार के लिए उचित कार्रवाई करे ताकि रोजगार की मांग की प्रकृति, मात्रा और समय का पता लगाया जा सके और जिलों में सभी क्षेत्रों की जरूरतों और कमियों की पहचान की जा सके।

2. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योजना के सुगम संचालन के लिए अपेक्षित कुशलता के साथ पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध हों, खासकर सामाजिक लेखापरीक्षा संपादन करने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित ग्राम संसाधन व्यक्ति (वीआरपी) और ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (बीआरपी) नियुक्त किए जाएं।

3. राज्य सरकार को राज्य का अंशदान समय पर जारी करना सुनिश्चित करना चाहिए और लंबित देयता को कम करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।

4. राज्य सरकार सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी करे कि वे परिवारों के पंजीकरण के लिए वार्षिक रूप से घर-घर जाकर सर्वेक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि जॉब कार्ड सभी प्रकार से पूर्ण और सुव्यवस्थित हों।

5. राज्य सरकार नियमित रूप से रोजगार दिवस आयोजित करने के अतिरिक्त आईईसी गतिविधियों को बढ़ाने हेतु निर्देश जारी करे।

6. राज्य सरकार श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करे, मजदूरी के समय पर भुगतान नहीं होने के कारण मुआवजे की बड़ी राशि को अस्वीकार किए जाने के कारणों की समीक्षा करे और बेरोजगारी भत्ता वितरित करने के लिए समयबद्ध कार्रवाई करे।

7. राज्य सरकार अधूरे कार्यों की स्थिति की समीक्षा करे और कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए एक योजना बनाए और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत दूसरी योजनाओं के अभिसरण के तहत स्वीकृत किए गए कार्यों को भी शीघ्रता से करे।

8. राज्य सरकार मस्टर रोल के उचित संधारण को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए कार्यवाही करे।

9. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्यों की प्रभावी निगरानी के लिए अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आवधिक निरीक्षण किए जाएँ और ग्राम पंचायतों में सभी अनिवार्य रजिस्टर संधारित किये जाएं।

अध्याय I
परिचय

ग्रामीण विकास विभाग

'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय I : परिचय

1.1 परिचय

भारत सरकार ने सितंबर 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 लागू किया, जिसका नाम बाद में (अक्टूबर 2009) बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कर दिया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के उन सभी परिवारों को जिनके वयस्क सदस्य माँग पर अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से तैयार होते हैं को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करते हुए आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। इस अधिनियम के तहत, राजस्थान सरकार ने जुलाई 2006 में 'राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' को अधिसूचित किया और मई 2007 में इसका नाम बदलकर "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" कर दिया गया।

राजस्थान में, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी (6.85 करोड़) की 75.18 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती हैं। ग्रामीण आबादी का मुख्य व्यवसाय कृषि है और ग्रामीण श्रमिक कृषि पर निर्भर हैं। क्योंकि कृषि का एक मौसमी पैटर्न होता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को राज्य में उस समय काम की मांग से सामंजस्य बनाकर प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है, जब कृषि की मांग कम होती है।

संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के एक समूह के रूप में, भारत ने सतत विकास लक्ष्य -1 और 2 के प्रति संयुक्त रूप से प्रतिबद्धता जताई (सितंबर 2015), जिसका उद्देश्य हर जगह सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करना, भुखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और पोषण में सुधार करना है। इस सीमा तक, यह योजना इन सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करती है।

मनरेगा के लक्ष्य हैं:

- रोजगार के अवसर प्रदान करके ग्रामीण भारत में रहने वाले सबसे कमज़ोर लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा।
- टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण, बेहतर जल सुरक्षा, मृदा संरक्षण और उच्च भूमि उत्पादकता

के माध्यम से गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा।

- ग्रामीण भारत में सूखा-रोधी और बाढ़ प्रबंधन।
- अधिकार-आधारित कानून की प्रक्रियाओं के माध्यम से सामाजिक रूप से वंचित लोगों, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का सशक्तिकरण।
- विभिन्न गरीबी-निवारण और आजीविका पहल के अभिसरण के माध्यम से विकेन्द्रीकृत, सहभागी योजना को मजबूत करना।

1.2 योजना का अवलोकन

योजना कार्यान्वयन का अवलोकन **चार्ट 1.1** में दिया गया है।

चार्ट 1.1: मनरेगा योजना का अवलोकन

1.3 वित्तपोषण ढांचा

यह योजना केंद्र और राज्यों के बीच लागत-साझाकरण के आधार पर एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित की जाती है। भारत सरकार अकुशल शारीरिक श्रमिकों की पूरी मजदूरी और कुशल एवं अर्ध-कुशल श्रमिकों की मजदूरी सहित सामग्री की लागत का 75 प्रतिशत तक वहन करती है। राज्य सरकार सामग्री की लागत और कुशल/अर्ध-कुशल श्रमिकों की मजदूरी का 25 प्रतिशत वहन करती है।

राज्य सरकार श्रमिकों को मजदूरी के विलंबित भुगतान के लिए क्षतिपूर्ति भत्ता, बेरोजगारी भत्ता और राज्य रोजगार गारंटी परिषद (एसईजीसी) के प्रशासनिक व्यय का कुल व्यय भी वहन करती है।

1.4 संगठनात्मक संरचना

ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन हेतु संगठनात्मक संरचना नीचे **चार्ट 1.2** में दिया गया है :

चार्ट 1.2: राज्य में संगठनात्मक संरचना

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

↓

आयुक्त (ईजीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान

↓

जिला कलेक्टर-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

↓

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (एडीपीसी)

↓

कार्यक्रम अधिकारी-सह-खंड विकास अधिकारी

↓

ग्राम पंचायत पर ग्राम रोजगार सहायक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए कार्यात्मक उत्तरदायित्व ***परिशिष्ट-1.1*** में दिए गए हैं।

1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या:

- नियोजन प्रक्रिया और वित्तीय प्रबंधन पद्धतियाँ, प्रासंगिक नियमों और विनियमों का पालन करते हुए, अधिनियम के लक्ष्यों को पर्याप्त रूप से प्राप्त करने के लिए तैयार की गई थीं;
- रोजगार के अवसरों तक उचित पहुँच प्राप्त की गई थी, साथ ही पर्याप्त रूप से रोजगार

सृजित किया गया था;

- अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ अभिसरण सुनिश्चित करते हुए, नियमों और विनियमों के अनुपालन में टिकाऊ और उपयोगी संपत्तियों का सृजन और संधारण किया गया था; और

- बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही प्राप्त करने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त निगरानी, सामाजिक लेखापरीक्षा और शिकायत निवारण प्रणालियाँ स्थापित थीं और परिकल्पना के अनुसार कार्य कर रही थी।

1.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर परखा गया :

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2017 तक संशोधित) और परिचालन दिशानिर्देश, 2013
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि के दौरान जारी वार्षिक मास्टर परिपत्र
- भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश/दिशानिर्देश/अधिसूचनाएँ
- ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010

1.7 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र और कार्यप्रणाली

2019-20 से 2023-24 तक की अवधि को कवर करते हुए यह निष्पादन लेखापरीक्षा जुलाई 2024 और नवंबर 2024 के बीच संयुक्त/भौतिक निरीक्षणों सहित संपादित की गई थी।

33 जिलों में से, पाँच जिले (15 प्रतिशत) अर्थात बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, कोटा और नागौर 2019-24 के दौरान कुल व्यय के आधार पर आईडीइए के माध्यम से स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण विधि का उपयोग करते हुए चुने गए थे। इसके अलावा, आईडीइए के माध्यम से स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण विधि का उपयोग करते हुए दस पंचायत समितियों (प्रत्येक चयनित जिले से दो) का चयन किया गया था और प्रत्येक चयनित पंचायत समिति में चार ग्राम पंचायतों (कुल 40 ग्राम पंचायतें) का चयन पीपीएसडब्ल्यूओआर (प्रतिस्थापन के बिना आकार के अनुपात में संभावना) विधि द्वारा किया गया था। चयनित जिलों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों का विवरण ***परिशिष्ट-1.2*** में दिया गया है। इसके अलावा, प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत में, संयुक्त भौतिक सत्यापन के लिए सात कार्य (कुल 280 कार्य) और सर्वेक्षण के लिए 10 लाभार्थी (कुल 400 लाभार्थी) भी यादृच्छिक रूप से चुने गए थे।

नमूना जिलों (33 जिलों में से पांच) का भौगोलिक प्रस्तुतीकरण **चार्ट 1.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: नमूना जिलों का भौगोलिक प्रस्तुतीकरण

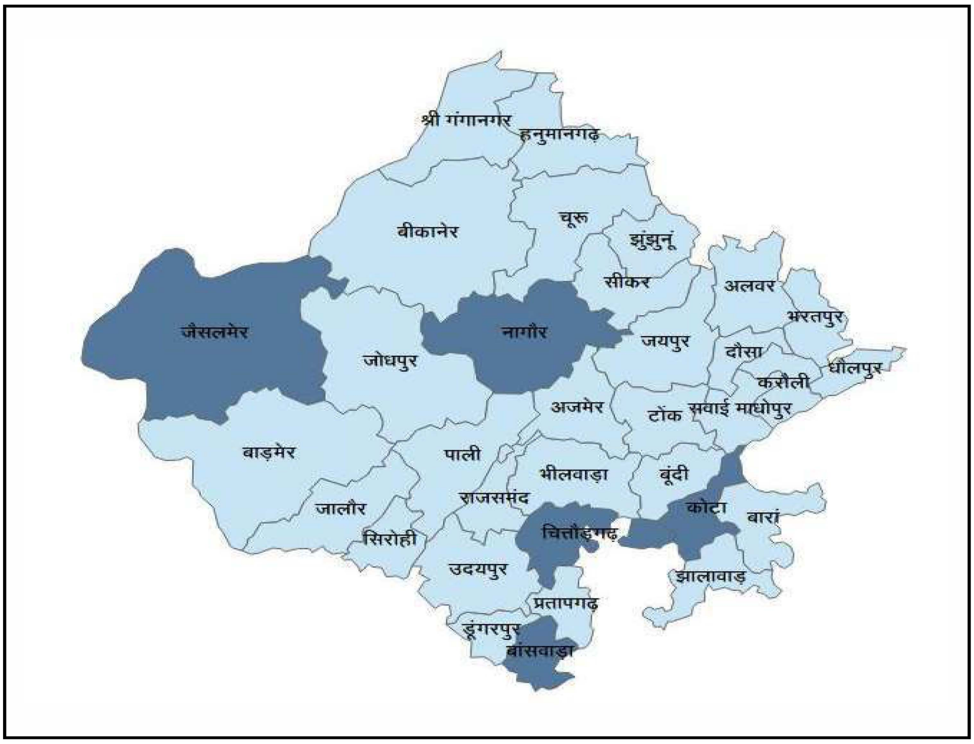

फील्ड अध्ययन के अंतर्गत, आयुक्त, ईजीएस, चयनित जिलों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जाँच की गई। चयनित कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन और चयनित लाभार्थियों का सर्वेक्षण भी प्रश्नावली के माध्यम से किया गया।

राजस्थान में 2019-24 की अवधि के दौरान पंजीकृत परिवारों की तुलना में रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों के प्रतिशत का सामान्य रुझान **चार्ट 1.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.4: पंजीकृत परिवारों की तुलना में रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों के प्रतिशत का जिलावार रुझान

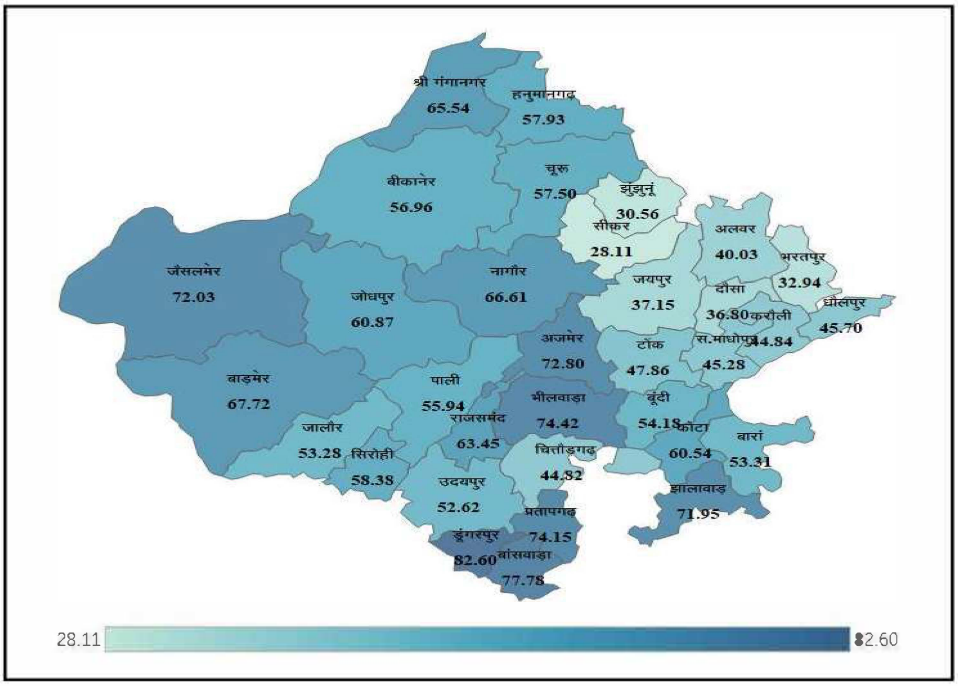

जैसा कि **चार्ट 1.4** से देखा जा सकता है, यह योजना पूर्वी राजस्थान में कम लोकप्रिय है, जहाँ पंजीकृत परिवारों की तुलना में रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों का प्रतिशत सीकर जिले में सबसे कम है।

इससे पहले, मार्च 2012 और मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (स्थानीय निकाय) के प्रतिवेदनों में "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन" पर दो निष्पादन लेखापरीक्षाएँ सम्मिलित की गई थीं। "स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्था समिति" द्वारा पहली निष्पादन लेखापरीक्षा पर चर्चा की गई (डीम्ड डिस्कस) माना गया था। दूसरी निष्पादन लेखापरीक्षा पर "स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्था समिति" में सितंबर 2024 में चर्चा की गई और उनकी सिफारिशें प्रतीक्षित है।

अगस्त 2024 में आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना (ईजीएस) के साथ एक प्रारम्भिक बैठक आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा पद्धति, कार्यक्षेत्र, उद्देश्यों और मानदंडों पर चर्चा की गई। जून 2025 में अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार के साथ एक समापन बैठक आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई।

1.8 आभार

हम निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान आयुक्त, ईजीएस और चयनित जिला कार्यक्रम समन्वयकों, कार्यक्रम अधिकारियों और ग्राम पंचायतों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

अध्याय II
नियोजन और वित्तीय प्रबंधन

अध्याय II: नियोजन और वित्तीय प्रबंधन

किसी भी योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सहभागी नियोजन सबसे जरूरी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना समय पर रोजगार देने के लिए एक मांग आधारित प्रोग्राम है। इसलिए, यह उम्मीद की जाती है कि ग्राम पंचायतें अपने समुदाय के लिए आधारभूत संरचना या गुणवत्तापूर्ण परिसंपत्तियां बनाने के लिए अपनी आवश्यकताएँ स्वयं पहचानें और अपनी मांग अपने प्रस्तावों में रखें और उन्हें ब्लॉक और ज़िला प्रशासन से स्वीकृत करवाएं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नीतिगत ढांचा में, बॉटम-अप अप्रोच/उर्ध्वगामी दृष्टिकोण अपनाया जाता है और शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाता है।

रोजगार के समय और मात्रा की पहचान करने, ग्राम पंचायत स्तर पर विकास योजना तैयार करने और ग्राम सभा द्वारा उन्हें स्वीकृत करने के लिए मनरेगा के तहत नियोजन प्रक्रिया जॉब कार्ड धारकों का बेसलाइन सर्वेक्षण करने से शुरू होती है। ग्राम पंचायत की विकास योजना को पंचायत समिति स्तर पर और आगे जिला स्तर पर संबंधित जिला परिषद की आमसभा द्वारा स्वीकृति के लिए समेकित किया जाता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन में नियोजन प्रक्रिया और वित्तीय प्रबंधन से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.1 बेसलाइन सर्वेक्षण

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 6.2 (i) यह निर्धारित करता है कि ग्राम पंचायत में रोजगार की मांग की मात्रा और समय का आकलन करने के लिए एक बेसलाइन सर्वेक्षण तैयार करने के लिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड धारकों का सर्वेक्षण अनिवार्य रूप से किया जाना था। रूपरेखा एवं कार्यप्रणाली को अंतिम रूप देने के लिए प्रत्येक राज्य में विशेषज्ञ संस्थानों को अलग से पैनल में शामिल किया जाना था। बेसलाइन सर्वेक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट 2012-13 में किए जाने थे ताकि सभी ग्राम पंचायत के सर्वे 2013-14 में पूरे हो जाएं। बेसलाइन मूल्यांकन, ग्राम पंचायत और जिले की विकास योजना का एक अनिवार्य हिस्सा था। श्रम बजट/कार्य की मांग के आधार वर्ष का पुनर्निर्धारण, परिवार सर्वे के आधार पर प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार किया जाना चाहिए ताकि आजीविका के स्थानीय पैटर्न और उत्पादन गतिविधियों में कार्य के अवसरों में बदलाव को ध्यान में रखा जा सके।

आयुक्त, ईजीएस द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, राज्य में बेसलाइन सर्वेक्षण 2013-14 के दौरान किया गया था। हालांकि, 2013-14 में बेसलाइन सर्वेक्षण कराने के संबंध में न तो अभिलेखों में कोई पुष्टि करने वाले सबूत मिले और न ही विभाग के पास कोई सहायक दस्तावेज थे। इसके अलावा, नमूना जाँच की गई 40 ग्राम पंचायत में लेखापरीक्षा ने पाया गया कि

2019-24 के दौरान न तो बेसलाइन सर्वेक्षण किया गया और न ही बेसलाइन सर्वेक्षण के लिए रूपरेखा एवं कार्यप्रणाली को अंतिम रूप देने के लिए किसी विशेषज्ञ संस्थान को पैनल में शामिल किया गया।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि पिछले बेसलाइन सर्वेक्षण से संबंधित अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, 2019-20 से 2023-24 के दौरान बेसलाइन सर्वेक्षण नहीं किया गया क्योंकि इस संबंध में प्रत्येक वर्ष जारी मास्टर सर्कुलर में कोई प्रावधान नहीं था। यह जवाब मान्य नहीं है क्योंकि मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 में ग्राम पंचायत में रोजगार की मांग की मात्रा और समय का आकलन करने के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण कराने का स्पष्ट प्रावधान पहले से ही था।

इस प्रकार, बेसलाइन सर्वेक्षण की अनुपस्थिति में, रोजगार की मांग की प्रकृति, समय और मात्रा का पता नहीं लगाया जा सका और जमीनी स्तर पर एक यथार्थवादी विकास योजना तैयार नहीं की जा सकी।

2.2 ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्य योजना में कार्यों की प्राथमिकताएं तय करना

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 का अनुच्छेद 7.1.5 यह प्रावधान करता है कि कार्यों की प्राथमिकता का क्रम ग्राम पंचायत के अंदर तय किया जाएगा और ग्राम सभा द्वारा मंज़ूर वार्षिक योजना में दिखेगा। दिशानिर्देश का अनुच्छेद 7.1.3 यह भी प्रावधान करता है कि कार्य की प्राथमिकता का क्रम प्रत्येक ग्राम पंचायत ग्राम सभा की बैठकों में तय करेगी।

चयनित 07 पंचायत समितियों की चयनित 16 ग्राम पंचायत के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 2019-24 के दौरान एक ग्राम पंचायत ने सभी पांच वर्षों में, चार ग्राम पंचायतों ने तीन वर्षों में, सात ग्राम पंचायतों ने दो वर्षों में और चार ग्राम पंचायतों ने एक वर्ष में कार्यों की प्राथमिकता तय नहीं की थी। इसका विवरण ***परिशिष्ट 2.1*** में दिया गया है।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि वार्षिक योजना में प्राथमिकताएं तय की गई थीं क्योंकि मनरेगा दिशानिर्देश के अनुसार प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और कृषि से जुड़े कार्यों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। यह जवाब मान्य नहीं है क्योंकि नमूना जाँच की गई 16 ग्राम पंचायत में ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओ में कार्यों को करने की प्राथमिकता का क्रम नहीं दिखाया गया था और उनमें सिर्फ़ कार्यों की सूची ही शामिल थी।

2.3 जिला परिप्रेक्ष्य योजना

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 का अनुच्छेद 15.3.1.1 एक जिला परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने

की परिकल्पना करता है, जो जिलों में सभी क्षेत्रों में जरूरतों और कमियों की पहचान करता है। यह योजना अलग-अलग विभागीय परियोजनाएँ के लिए एक बहुवर्षीय योजना है। मनरेगा के साथ अभिसरण के लिए पहचान की गई परियोजनाओं पर परियोजना क्षेत्र में मौजूद ग्राम सभाओं में चर्चा की जानी है। मनरेगा के तहत क्रियान्वयन करने के लिए पहचान की गई गतिविधियों/ संरचनाओं/कार्यों को ग्राम पंचायतों द्वारा बनाई गई वार्षिक कार्यों की सूची में शामिल किया जाना है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2019-24 के दौरान नमूना जाँच किए गए सभी पांच जिलों में जिला परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई थी। हालांकि, लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, वन, सिंचाई इत्यादि जैसे दूसरे विभागों द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले अभिसरण के कार्यों को ब्लॉक और जिला स्तर पर उनकी वार्षिक विकास योजना में शामिल किया गया था।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि मनरेगा के तहत अनुमत कार्यों के अनुसार परिप्रेक्ष्य योजना ग्राम पंचायतों और ब्लॉकों द्वारा तैयार की जाती है। इसके अलावा, जिलों को जिला परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस जवाब को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि दिशानिर्देशों के अनुसार जिला परिप्रेक्ष्य योजना को जिला स्तर पर समेकित किया जाना है और 2019-24 के दौरान नमूना जाँच किए गए जिलों में कोई परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई थी।

इस प्रकार, अभिसरण के संबंध में जिलों में सभी क्षेत्रों (विभिन्न विभागीय परियोजनाएँ) की जरूरतों और कमियों की पहचान नहीं की जा सकी।

2.4 ब्लॉक संसाधन केंद्र

परिचालन दिशानिर्देश 2013 के अनुच्छेद 4.3.2 के अनुसार, ब्लॉक संसाधन केंद्र (i) नियोजन के लिए तकनीकी इनपुट देने (ii) नियोजन के लिए जरूरी स्थानीय प्राकृतिक संसाधन (जैसे भू-जल, बारिश, मिट्टी, इत्यादि) का डेटाबेस बनाए रखने (iii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और सरकार की दूसरी उत्पादन-उन्मुख योजनाओं के बीच अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए किसी भी ब्लॉक में ब्लॉक संसाधन केंद्र स्थापित नहीं था। एडीपीसी, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, कोटा और नागौर ने बताया (सितंबर 2025) कि ब्लॉक संसाधन केंद्र को दिशानिर्देशों के अनुसार स्थापित किया जाएगा। चूंकि ब्लॉक संसाधन केंद्र नियोजन के लिए जरूरी अहम् जानकारी का मुख्य स्रोत था, इसलिए ब्लॉक संसाधन

केंद्र स्थापित न होने से ग्राम पंचायतों के पास नियोजन के लिए आवश्यक कोई सहायता तंत्र नहीं था।

2.5 कर्मचारियों की उपलब्धता

मनरेगा एक्ट, 2005 की धारा 18 यह प्रावधान करती है कि राज्य सरकार को जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) और कार्यक्रम अधिकारी को आवश्यक कार्मिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध करानी होगी, जो कि योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जरूरी हो।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने नियमित और संविदात्मक दोनों तरफ के कार्मिक नियुक्त किए। नियमित कर्मचारियों में जिलों में अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (एडीपीसी), अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लेखा अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, पंचायत समितियों में सहायक अभियंता और ग्राम पंचायतों में निम्न श्रेणी लिपिक शामिल थे। इसके अलावा, संविदात्मक कार्मिकों में जिलों में समन्वयक, एमआईएस मैनेजर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायत समितियों में कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, एमआईएस प्रबंधक, डेटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक तथा ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक और कंप्यूटर सहायक शामिल हैं।

मार्च 2020 से 2024 के अंत तक राज्य में नियमित स्टाफ और संविदात्मक रखे गए कार्मिकों की स्थिति नीचे **तालिका 2.1** में दी गई है।

तालिका 2.1: वर्ष 2020-24 के दौरान राज्य में मैनपावर की स्थिति

वर्ष	नियमित कार्मिक			संविदात्मक कार्मिक		
	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्तियां (%)	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्तियां (%)
2020	26994	9042	17952 (66.50)	23941	7202	16739 (69.92)
2021	27027	9146	17881 (66.16)	17684	7095	10589 (59.88)
2022	27031	9150	17881 (66.15)	17684	7040	10644 (60.19)
2023	18147	11932	6215 (34.25)	21868	5379	16489 (75.40)
2024	12129	11216	913 (7.53)	21868	5456	16412 (75.05)

(स्रोतः आयुक्त, ईजीएस द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि नियमित स्वीकृत पदों की संख्या वर्ष 2024 (12129 पद) की तुलना में वर्ष 2020 (26994 पद) में 55 प्रतिशत तक कम हो गई । 2020 से 2024 के दौरान राज्य में नियमित कार्मिकों में रिक्तियां 7 प्रतिशत से 66 प्रतिशत के बीच रहीं। इस

अवधि के दौरान 59 प्रतिशत से अधिक संविदात्मक पद रिक्त रहे और वर्ष 2023 और 2024 में, संविदात्मक पदों में रिक्तियां 75 प्रतिशत थीं।

आयुक्त, ईजीएस ने उत्तर (सितंबर 2025) दिया कि 2020 से 2024 के दौरान, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 14898 पद समाप्त कर दिए गए हैं जिसके कारण स्वीकृत कार्मिक संख्या कम हो गई।

31 मार्च 2024 तक राज्य/जिला/पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर की स्थिति नीचे दी गई **तालिका 2.2** में दी गई है:

तालिका 2.2: 31 मार्च 2024 तक मैनपावर की स्थिति

स्तर	नियमित कार्मिक			संविदात्मक कार्मिक		
	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्तियां (%)	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्तियां (%)
राज्य स्तर	50	33	17 (34.00)	48	33	15 (31.25)
जिला	239	85	154 (64.43)	347	129	218 (62.82)
पंचायत समिति	590	252	338 (57.29)	9392	2901	6491 (69.11)
ग्राम पंचायत	11250	10846	404 (3.59)	12081	2393	9688 (80.19)
कुल	**12129**	**11216**	**913 (7.53)**	**21868**	**5456**	**16412 (75.05)**

(स्रोतः आयुक्त, ईजीएस द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

उपरोक्त मैनपावर स्थिति राज्य स्तर, जिला स्तर और पंचायत समिति स्तर पर क्रमशः 34 प्रतिशत, 64.43 प्रतिशत और 57.29 प्रतिशत नियमित पदों की रिक्तियां दर्शाती है। संविदात्मक कार्मिकों के मामले में, 31 मार्च 2024 तक राज्य स्तर, जिला स्तर, पंचायत समिति स्तर और ग्राम पंचायतों में रिक्तियां 31.25 प्रतिशत से 80.19 प्रतिशत के बीच थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संविदात्मक आधार पर पदस्थापित ग्राम रोजगार सहायक, लेखा सहायक और कनिष्ठ तकनीकी सहायक ग्राम पंचायत की मनरेगा कार्यों की पहचान करने, निष्पादन करने और तकनीकी माप करने में और खातों के संधारण में मदद करते हैं। पदों में कमी से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन पर असर पड़ा, जैसा कि **अनुच्छेद 5.7 और 5.8** में चर्चा की गई है कि नमूना जाँच की गई ग्राम पंचायतों में रिकॉर्ड का संधारण न होने, कार्यों का कम निरीक्षण होने जैसी कमियां देखी गईं।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत (सितंबर 2025) कराया कि वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने 2200 कनिष्ठ तकनीकी सहायकों और 400 लेखा सहायकों की भर्ती के लिए सहमति दे दी है। इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड के माध्यम से चल रही है।

2.6 क्षमता निर्माण के प्रयास

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 5.2.1 और 5.2.2 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य को मनरेगा के प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में कार्य करने वाले संस्थानों की पहचान करने और उन्हें जुटाने के लिए एक मनरेगा मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण प्रभाग स्थापित करना था और प्रत्येक हितधारक[1] के लिए राज्य स्तर पर एक प्रशिक्षण प्लान तैयार करना था। परिचालन दिशानिर्देश के अनुच्छेद 5.2.4 में इस उद्देश्य के लिए जिला स्तर पर एक जिला मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण इकाई स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है। इस इकाई में पूर्णकालिक लगनशील संसाधन व्यक्ति होने चाहिए जो मनरेगा के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करेंगे, ब्लॉक और सब-ब्लॉक कार्यान्वयन दलों को प्रशिक्षण और क्षेत्र आधारित हैंड-होल्डिंग सहायता प्रदान करेंगे।

आयुक्त, ईजीएस के अभिलेखों (जुलाई 2024) की संवीक्षा में पाया कि राज्य स्तर पर 2019-20 और 2022-23 से 2023-24 के दौरान विभिन्न हितधारकों[2] के लिए 36 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो मुख्य रूप से मनरेगा की भोगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित योजना और निगरानी पर केंद्रित थे। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, 1519 प्रशिणार्थियों में से 1412 (93 प्रतिशत) को प्रशिक्षित किया गया (***परिशिष्ट- 2.2***)। 2020-21 और 2021-22 के दौरान कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया। यह भी देखा गया कि हालांकि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, परन्तु 2019-24 की अवधि के दौरान राज्य स्तर पर मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण प्रभाग स्थापित नहीं था, जिसके कारण प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण योजना तैयार नहीं की गई थी।

इसके अलावा, नमूना जाँच किए गए पांच जिलों में से केवल तीन[3] में जिला मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण इकाई स्थापित की गई थी।

---

[1] डीपीसी और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, कनिष्ठ इंजीनियर, तकनीकी सहायक, मेट, मनरेगा कार्यकर्ता आदि।

[2] अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, एमआईएस प्रबंधक, खंड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, आईईसी समन्वयक, नागरिक समाज समूह, डेटा एंट्री ऑपरेटर, नोडल अधिकारी (इंजीनियर) और कंप्यूटर ऑपरेटर आदि।

[3] चित्तौड़गढ़, कोटा और नागौर जिले।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि 2019-24 के दौरान चयनित तीन जिलों (चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और कोटा) में कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। 2019-24 के दौरान बांसवाड़ा जिले में केवल दो[4] प्रशिक्षण कार्यक्रम और नागौर जिले में पांच[5] प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें क्रमशः 72.34 प्रतिशत (6673 में से 4827) प्रशिणार्थियों और 95.57 प्रतिशत (3838 में से 3668) प्रशिणार्थियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि हितधारकों के लिए राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर अलग-अलग विषयों पर नियमित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

तथ्य यह है कि राज्य स्तर पर बिना किसी योजना के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और चित्तौड़गढ़ और कोटा जिलों में कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया, जहाँ जिला मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण इकाई स्थापित की गई थी।

2.7 सामाजिक लेखापरीक्षा संपादन के लिए संसाधन व्यक्तियों की तैनाती

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 का अनुच्छेद 13.2.2 यह प्रावधान करता है कि सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई ग्राम सभा को सामाजिक लेखा परीक्षा करने में सहायता करने के लिए राज्य संसाधन व्यक्ति (एसआरपी), जिला संसाधन व्यक्ति (डीआरपी), ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (बीआरपी) और ग्राम संसाधन व्यक्ति (वीआरपी) की उचित संख्या निर्धारित करेगी। जुलाई 2024 तक राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध संसाधन व्यक्तियों का विवरण नीचे **तालिका 2.3** में दिया गया हैः

तालिका 2.3 : जुलाई 2024 तक राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध संसाधन व्यक्तियों का विवरण

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1	एसआरपी	06	06	00
2	डीआरपी	99	59	40 (40%)
3	बीआरपी	1886	-	1886 (100%)
4	वीआरपी	35200	--	35200 (100%)

(स्रोतः ग्रावि व पंरावि द्वारा उपलब्ध करवाई गई सुचना)

[4] वर्ष 2020-21 में, 'खंड विकास अधिकारी, सहायक अभियंता और कनिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए 'पूरा काम पूरा दाम अभियान' प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें 132 में से 98 प्रशिणार्थियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया और 'मेट के लिए प्रशिक्षण' आयोजित किया गया जिसमें 6541 मेट में से 4729 प्रशिणार्थियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया।

[5] वर्ष 2020-24 में, प्रशिक्षण कार्यक्रम 1.(मनरेगा अधिनियम, श्रम बजट, मनरेगा श्रम प्रक्रिया का अधिकार या जॉब कार्ड जारी करना (823 प्रतिभागियों में से 794)। 2. समय पर भुगतान (442 में से 377)। 3. ग्राम सभा (584 में से 561)। 4. 100 दिन का रोजगार (1017 में से 987) । 5. सुशासन (972 में से 949) आदि आयोजित किए गए।

ऊपर दी गई तालिका से पता चलता है कि जुलाई 2024 तक राज्य में डीआरपी के 40 प्रतिशत पद और बीआरपी और वीआरपी के 100 प्रतिशत पद खाली थे। नियमित बीआरपी और वीआरपी की अनुपस्थिति में, 1220 मेट[6] को बीआरपी के रूप में और राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन, स्वयं सहायता समूह और साथिन[7] के 12800 महिला कर्मियों को सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए वीआरपी के रूप में लगाया गया था।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, हैदराबाद द्वारा संसाधन व्यक्तियों के लिए सामाजिक जवाबदेही और सामाजिक लेखापरीक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 35200 स्वयं सहायता समूह-वीआरपी के नियोजित प्रशिक्षण के मुकाबले 16 जिलों के 12810 स्वयं सहायता समूह- वीआरपी को प्रशिक्षण दिया जा सका (फरवरी 2023)। अन्य स्वयं सहायता समूह- वीआरपी को दिए गए प्रशिक्षण के अभिलेख उपलब्ध नहीं पाए।

प्रशिक्षित वीआरपी की अनुपस्थिति में अन्य जिलों में किए जा रहे सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता के बारे में पूछताछ करने पर (अगस्त 2025), विभाग ने कोई जवाब नहीं दिया।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि ग्राम संसाधन व्यक्तियों के खाली पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय (मई 2024) लिया गया है और सभी जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) को जिला स्तर पर ग्राम संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश (जुलाई 2024) दिए गए है।

2.8 वित्तीय प्रबंधन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे लागत साझाकरण के आधार पर लागू किया गया है। भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तपोषण ढांचा नीचे दिया गया है :

[6] मेट एक स्थानीय व्यक्ति है जो ग्राम पंचायत स्तर पर योजना के कार्यान्वयन में सहायता करता है।

[7] ग्राम पंचायत स्तर पर मानदेय प्राप्त महिला कार्यकर्ता की नियुक्ति महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं से अधिकतम लाभ उठाने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई है।

भारत सरकार	राज्य सरकार
• अकुशल शारीरिक श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान के लिए लागत का 100 प्रतिशत • सामग्री और कुशल तथा अर्ध-कुशल श्रमिकों की मजदूरी का 75 प्रतिशत लागत • प्रशासनिक खर्च (योजना के तहत किए गए व्यय का छह प्रतिशत तक)	• सामग्री लागत और कुशल तथा अर्ध-कुशल श्रमिकों की मजदूरी का 25 प्रतिशत • राज्य रोजगार गारंटी परिषद का प्रशासनिक खर्च • बेरोजगारी भत्ता

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 का अनुच्छेद 4.1.2 (vi) यह प्रावधान करता है कि मेट्स को भुगतान की लागत सामग्री घटक का हिस्सा होगी।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 21 और 32 के अनुसार, राज्य सरकार को योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष (एसईजीएफ) गठित करना और एसईजीएफ के गठन के लिए रोजगार गारंटी कोष नियमों को अधिसूचित करना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, योजना के तहत निधि मार्च 2022 तक राज्य रोजगार गारंटी परिषद् के व्यक्तिगत जमा खाते और उसके बाद, सिंगल नोडल खाते में प्राप्त हुई। राज्य सरकार ने राज्य रोजगार गारंटी कोष का गठन श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी के विलंबित भुगतान के लिए मुआवजे के भुगतान के लिए एक रिवॉल्विंग फंड के रूप में योजना के अस्तित्व (जुलाई 2006) में आने के 16 वर्ष से अधिक समय बाद अप्रैल 2023 में किया था। हालांकि राज्य सरकार ने एसईजीएफ का गठन किया, लेकिन एसईजीएफ के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वित्तीय संसाधनों की प्राप्ति[8], हस्तांतरण और उपयोग का प्रभावी ढंग से प्रबंध करने के लिए रोजगार गारंटी कोष नियम अधिसूचित नहीं किए।

लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार 2019-2024 के दौरान सभी घटकों के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त निधियां और उसके विरुद्ध किए गए व्यय की समेकित स्थिति नीचे **तालिका 2.4** में दी गई है। प्राप्ति के साथ-साथ व्यय राशि (सामग्री, मजदूरी, प्रशासनिक/अन्य खर्च) का घटक-वार विभाजन ***परिशिष्ट 2.3*** में दिया गया है।

[8] निधि के स्रोत हैं: केंद्र सरकार की सहायता और राज्य सरकार का अंशदान, दोषी कार्मिकों से बेरोजगारी भत्ते की राशि की वसूली।

तालिकाः 2.4ः प्राप्त निधियां और व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	सरकारों से प्राप्तियां			विविध प्राप्तियां	कुल उपलब्ध निधियां	किया गया व्यय	विविध व्यय	कुल व्यय	अंतिम शेष	उपयोग का प्रतिशत
		भारत सरकार	राज्य सरकार	योग							
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (2+5+6)	8	9	10 (8+9)	11 (7-10)	12
2019-20	227.50	7267.48	588.80	7856.28	20.20	8103.98	6894.46	1.94	6896.40	1207.58	85.10
2020-21	1207.58	8919.96	228.61	9148.57	18.25	10374.40	10018.39	0.41	10018.80	355.60	96.57
2021-22	355.60	9652.34	750.00	10402.34	29.76	10787.70	10482.65	12.22	10494.87	292.83	97.29
2022-23	292.83	9759.10	741.80	10500.9	15.15	10808.88	10332.91	320.44	10653.35	155.53	98.56
2023-24	155.53	8764.73	649.41	9414.14	6.87	9576.54	8493.76	24.93	8518.69	1057.85	88.95
योग		**44363.61**	**2958.62**	**47322.23**	**90.23**		**46222.17**	**359.94**	**46582.11**		**93.29**

(स्रोतः लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों की सूचना और विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार)

उपरोक्त तालिका से दर्शित है कि 2019-20 से 2023-24 के दौरान निधियों का औसत उपयोग 93.29 प्रतिशत था। 2022-23 तक व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति थी और उसके पश्चात, 2023-24 में इसमें कमी आई। सबसे कम व्यय वर्ष 2019-20 में हुआ (85.10 प्रतिशत) और सबसे ज़्यादा व्यय वर्ष 2022-23 में हुआ (98.56 प्रतिशत)।

2.9 राज्यांश जारी करना

अधिनियम के अनुसार, प्रोग्राम की 100 प्रतिशत अकुशल श्रम लागत और 75 प्रतिशत सामग्री लागत केंद्र सरकार द्ववारा वहन की जाएगी। भारत सरकार द्वारा जारी की गई स्वीकृतियों के अनुसार, सामग्री और प्रशासनिक घटक के लिए केंद्रीय सहायता प्राप्ति पर, राज्य सरकार को 2019-20 से 2020-21 तक तीन दिनों के अंदर और 2021-22 से 2023-24 तक 15 दिनों के अंदर इन निधियों की प्राप्ति की तारीख से, अपने अंशदान के साथ निधियां एसईजीएफ में हस्तांतरित करनी होगी। आगे, 2019-20 और 2020-21 के लिए निर्धारित अवधि के बाद देरी की अवधि के लिए राज्य सरकार 12 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

भारत सरकार द्वारा 2019-20 से 2023-24 तक राज्य सरकार को सामग्री और प्रशासनिक घटकों के लिए जारी निधियां और राज्य सरकार द्वारा योजना निधि में भारत सरकार के अंश के साथ-साथ अपने अंशदान को जारी करने की स्थिति नीचे **तालिका 2.5** में दी गई हैः

तालिका 2.5: सामग्री और प्रशासनिक घटक के लिए राज्य अंशदान जारी करने की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केंद्रीय अंशदान			सामग्री घटक के लिए राज्य का अंशदान	राज्य सरकार द्वारा जारी कुल निधियां	राज्य सरकार द्वारा देरी से जारी की गई निधियां	निर्धारित अवधि के बाद निधियां जारी करने में देरी (दिनों में)	देरी से जारी करने पर देय ब्याज की राशि
	सामग्री के लिए	प्रशासनिक व्यय के लिए	कुल					
1	2	3	4 (2+3)	5	6 (4+5)	7	8	9
2019-20	1766.38	342.57	2108.95	588.8	2697.75	1005.51	6 से 31	3.30
2020-21	685.83	137.17	823	228.61	1051.61	830.87	9 से 66	5.78
2021-22	1812.44	280.83	2093.27	750	2843.27	115.00	169	0
2022-23	2572.97	318.42	2891.39	741.8	3633.19	3633.19	4 से 90	0
2023-24	1948.21	233.34	2181.55	649.41	2830.96	2830.95	3 से 62	0
योग	**8785.83**	**1312.33**	**10098.16**	**2958.62**	**13056.78**	**8415.52**		**9.08**

(स्रोतः आयुक्त, ईजीएस के लेखापरीक्षित लेखे और राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृतियां)

2019-20 से 2023-2024 के दौरान, राज्य सरकार ने सामग्री और प्रशासनिक व्ययों के लिए भारत सरकार के अंश और स्वयं के अंशदान का 64.45 प्रतिशत (₹ 8415.52 करोड़), निर्धारित अवधि से 3 से 169 दिनों की देरी से जारी किया। वर्ष 2019-20 से 2020-21 के लिए निधियां जारी करने में देरी के कारण, राज्य सरकार ने ₹ 9.08 करोड़ के ब्याज की देनदारी सृजित की।

राज्य सरकार ने तथ्य स्वीकार किए और अवगत (सितंबर 2025) कराया कि निधियां जारी करने में देरी, निधियां जारी करने की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा समय लगने के कारण हुई।

2.10 लंबित देयता

नरेगा सॉफ्ट के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (एमआईएस) पर उपलब्ध डेटा की संवीक्षा में पाया कि 2019-24 के दौरान राज्य में जारी किए गए ₹ 2014.39 करोड़ के फंड ट्रांसफर ऑर्डर सितंबर 2025 तक भुगतान के लिए बकाया थे, जैसा कि नीचे **तालिका 2.6** में विवरण दिया गया है:

तालिका 2.6: राज्य में प्रतिबद्ध देयता (सितंबर 2025 तक)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अकुशल मजदूरी	अर्ध-कुशल/कुशल मजदूरी	सामग्री	कर	कुल
2019-20	1.40	2.34	9.02	0.35	13.11
2020-21	1.74	1.21	3.39	0.11	6.45
2021-22	1.79	5.33	43.08	0.88	51.07
2022-23	1.46	2.44	67.31	4.97	76.18
2023-24	2.73	7.19	1769.87	87.78	1867.58
योग	**9.12**	**18.51**	**1892.67**	**94.09**	**2014.39**

(स्रोतः नरेगा सॉफ्ट की एमआईएस रिपोर्ट)

लेखापरीक्षा में पाया किः

(i) 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए सितंबर 2025 तक ₹ 2014.39 करोड़ की देयता लंबित थी।

(ii) सामग्री घटक में प्रतिबद्ध देयता (94 प्रतिशत), विशेषकर 2023-24 में ज्यादा थी। यह देखा गया कि 2019-24 के दौरान सामग्री घटक के लिए केंद्र सरकार का अंश ₹ 12241.95 करोड़ की मांग के समक्ष, ₹ 3944.02 करोड़ कम हस्तांतरित हुए।

(iii) अकुशल श्रमिकों को भुगतान न करने (₹ 9.12 करोड़) से इस योजना का उद्देश्य, अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना ही विफल हो सकता है।

बकाया देयता का एक कारण लेनदेनों का निरस्त होना था। अकुशल मजदूरी और सामग्री घटक के संबंध में निरस्त और पुनः जनरेट किए गए लेनदेन की स्थिति नीचे **तालिका 2.7** और **तालिका 2.8** में दी गई है।

तालिका 2.7: सितंबर 2025 तक निरस्त और पुन:जेनरेट किए गए लेनदेनों की स्थिति (अकुशल मजदूरी)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल अस्वीकृत लेनदेन	कुल अस्वीकृत लेनदेनों की राशि	भुगतान किए गए पुनः जनरेट निरस्त लेनदेन		बैंक स्तर पर भुगतान के लिए बकाया पुनः जनरेट निरस्त लेनदेन		पुनः जनरेट के लिए लंबित लेनदेन	
			लेनदेनों की संख्या	राशि	लेनदेनों की संख्या	राशि	लेनदेनों की संख्या	राशि
2019-20	628925	98.35	588194	92.07	40700	6.27	31	0.01
2020-21	481486	84.93	416163	73.58	65236	11.33	87	0.02
2021-22	326109	61.15	319950	59.87	6000	1.25	159	0.03
2022-23	225972	43.88	220382	42.72	5389	1.12	201	0.04
2023-24	935650	168.86	922561	166.32	12186	2.38	903	0.16
योग	**2598142**	**457.17**	**2467250**	**434.56**	**129511**	**22.35**	**1381**	**0.26**

(स्रोतः नरेगा सॉफ्ट की एमआईएस रिपोर्ट)

2019-2024 के दौरान अकुशल मजदूरी घटक में ₹ 457.17 करोड़ मूल्य के कुल 25.98 लाख लेनदेन निरस्त कर दिए गए थे, जिनमें से 24.67 लाख (94.96 प्रतिशत) लेनदेन उसी अवधि (2019-24) में पुनः जनरेट किए गए। ₹ 22.35 करोड़ के 1.29 लाख (4.96 प्रतिशत) लेनदेन बैंक स्तर पर भुगतान के लिए लम्बित थे और 2019-24 की अवधि के ₹ 0.26 करोड़ के 1381 लेनदेन सितंबर 2025 तक भी पुनः जनरेट के लिए बकाया थे। इसके अलावा, बैंक स्तर पर बकाया ₹ 22.35 करोड़ में से ₹17.60 करोड़ (78.75 प्रतिशत) 2019-21 के वर्षों से संबंधित थे और चार से पांच वर्षों से भुगतान के लिए बकाया थे।

तालिका 2.8: सितंबर 2025 तक निरस्त और पुनः जनरेट किए गए लेनदेनों की स्थिति (सामग्री घटक[9])

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल अस्वीकृत लेनदेन	कुल अस्वीकृत लेनदेनों की राशि	भुगतान किए गए पुनः जनरेट निरस्त लेनदेन		बैंक स्तर पर भुगतान के लिए बकाया पुनः जनरेट निरस्त लेनदेन		पुनः जनरेट के लिए लंबित लेनदेन	
			लेनदेनों की संख्या	राशि	लेनदेनों की संख्या	राशि	लेनदेनों की संख्या	राशि
2019-20	13650	12.29	7657	9.62	1240	0.82	5119	2.01
2020-21	17325	30.57	9399	27.65	2434	17.39	6278	2.28
2021-22	53937	53.99	45895	48.79	4053	29.44	6612	2.97
2022-23	81668	768.28	77654	765.01	24093	282.41	2173	1.35
2023-24	19172	44.83	12411	38.59	5270	23.33	2455	1.32
योग	**185752**	**909.96**	**153016**	**889.66**	**37090**	**353.39**	**22637**	**9.93**

(स्रोतः नरेगा सॉफ्ट की एमआईएस रिपोर्ट)

इसी तरह, 2019-24 के दौरान, राज्य में सामग्री घटक के संबंध में ₹ 909.96 करोड़ के कुल ₹1.86 लाख लेनदेन निरस्त कर दिए गए, जिनमें से ₹1.53 लाख लेनदेन पुनः जनरेट किए गए। हालांकि, सितंबर 2025 तक बैंक स्तर पर ₹ 353.39 करोड़ के ₹ 0.37 लाख लेनदेन भुगतान के लिए लम्बित थे और ₹ 9.93 करोड़ के ₹ 0.23 लाख लेनदेन पुनः जनरेट होने के लिए बकाया थे। इसके अलावा, बैंक स्तर पर बकाया ₹ 353.39 करोड़ में से, ₹ 282.41 करोड़ (79.91 प्रतिशत) 2022-23 के वर्ष से संबंधित थे।

[9] 2019-24 के दौरान लेनदेन और सामग्री घटक की राशि में हुए अंतर का विभाग द्वारा मिलान नहीं किया गया।

वित्तीय सलाहकार, ईजीएस ने उत्तर (अप्रैल 2025) दिया कि गलत आईएफएससी कोड देने और आधार को बैंक खातों से लिंक नहीं करने के कारण श्रमिकों के भुगतान लम्बित थे।

(iv) इसके अलावा, नीचे दी गई **तालिका 2.9** में दिए गए विवरण के अनुसार, नमूना जाँच किए गए पांच जिलों में 2019-24 के दौरान ₹ 375.78 करोड़ की बकाया देयता थी:

तालिका 2.9: सितंबर 2025 तक नमूना जाँच किए गए जिलों में बकाया देयता

(₹ करोड़ में)

जिला	अकुशल मजदूरी	अर्ध-कुशल/कुशल मजदूरी	सामग्री	कर	कुल
बांसवाडा	0.99	1.37	109.22	4.45	116.03
चितोडगढ़	0.05	0.07	13.15	0.55	13.82
जैसलमेर	0.51	0.53	121.3	5.74	128.08
कोटा	0.11	0.1	2.63	0.22	3.06
नागौर	0.17	0.58	106.54	7.5	114.79
योग	**1.83**	**2.65**	**352.84**	**18.46**	**375.78**

(स्रोतः नरेगा सॉफ्ट की एमआईएस रिपोर्ट)

लम्बित देयता सामग्री घटक में ज़्यादा थी जो कि कुल बकाया देयता की 93.89 प्रतिशत थी। लम्बित देयता सबसे ज़्यादा जैसलमेर ज़िले में थी, उसके पश्चात् बांसवाड़ा और नागौर ज़िले में और सबसे कम कोटा ज़िले में थी।

जैसा कि राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि लम्बित देयता भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश जारी नहीं करने और लेनदेन निरस्त होने के कारण थीं। बकाया देयता का भुगतान भारत सरकार से निधि मिलने पर किया जाएगा।

2.11 निष्कर्ष और सिफारिशें

राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लागू करने के लिए कुशल नियोजन की कमी थी, जिसकी पुष्टि इस बात से होती है कि 2019-24 के दौरान नमूना जाँच किए गए किसी भी जिले में बेसलाइन सर्वेक्षण नहीं किया गया, जिसके कारण रोजगार की मांग की प्रकृति, समय और मात्रा का पता नहीं लगाया जा सका। नमूना जांच किए गए किसी भी जिले में जिला परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई थी, जिसके कारण अभिसरण के संबंध में जिलों में सभी क्षेत्रों की जरूरतों और कमियों की पहचान नहीं की जा सकी।

राज्य में सभी स्तरों पर अर्थात राज्य, जिलों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के स्तर पर, नियमित कर्मचारियों में 3 प्रतिशत से 64 प्रतिशत और संविदात्मक कार्मिकों में 31 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक मैनपावर की कमी, ने योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। सामाजिक लेखा परीक्षा संपादन के लिए नियमित प्रशिक्षित कर्मचारियों के रिक्त पदों ने सामाजिक लेखा परीक्षा संपादन की दक्षता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया क्योंकि जुलाई 2024 तक राज्य स्तर पर नियमित बीआरपी और वीआरपी के 100 प्रतिशत पद खाली थे और इन बीआरपी/वीआरपी के स्थान पर मेट/साथिन सामाजिक लेखा परीक्षा का कार्य कर रहे थे।

2019-20 से 2023-2024 के दौरान, राज्य सरकार ने सामग्री और प्रशासनिक व्ययों के लिए भारत सरकार के अंश और स्वयं के अंशदान का 64.45 प्रतिशत निर्धारित अवधि से 3 से 169 दिनों की देरी से जारी किया जिसके कारण वर्ष 2019-20 से 2020-21 के लिए ₹ 9.08 करोड़ के ब्याज की देनदारी सृजित हुई। सितंबर 2025 तक 2019-24 की अवधि के लिए राज्य की लंबित देयता ₹ 2014.39 करोड़ थी, जिसमें से सामग्री घटक के लिए देयता ₹ 1892.67 करोड़ थी।

सिफारिशें:

1. राज्य सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर बेसलाइन सर्वेक्षण करवाने और जिला स्तर पर जिला परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के लिए उचित कार्रवाई करे ताकि रोजगार के मांग की प्रकृति, मात्रा और समय का पता लगाया जा सके और जिलों में सभी क्षेत्रों की जरूरतों और कमियों की पहचान की जा सके।

2. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योजना के सुगम संचालन के लिए अपेक्षित कुशलता के साथ पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध हों, खासकर सामाजिक लेखापरीक्षा संपादन करने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित वीआरपी और बीआरपी नियुक्त किए जाएं।

3. राज्य सरकार को राज्य का अंशदान समय पर जारी करना सुनिश्चित करना चाहिए और लम्बित देयता को कम करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।

अध्याय III

रोजगार सृजन

अध्याय III: रोजगार सृजन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य इच्छुक परिवारों जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से तैयार होते हैं, को प्रतिवर्ष कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है।

3.1 श्रमिकों का पंजीकरण

मनरेगा के तहत अकुशल रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले परिवार जॉब कार्ड जारी करवाने के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं। जॉब कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों के अधिकारों को दर्ज करता है और पंजीकृत परिवारों को कानूनी रूप से कार्य के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। नियोजन प्रक्रिया अंतर्गत, विभाग को पात्र परिवारों की पहचान के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण करना होता है और जॉब कार्ड के लिए आवेदन करने वाले परिवारों के आवेदन के सत्यापन के बाद, जॉब कार्ड जारी किया जाता है। परिवारों को जॉब कार्ड जारी करने की मुख्य प्रक्रिया **चार्ट 3.1** में दी गई है।

चार्ट 3.1: जॉब कार्ड जारी करने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया

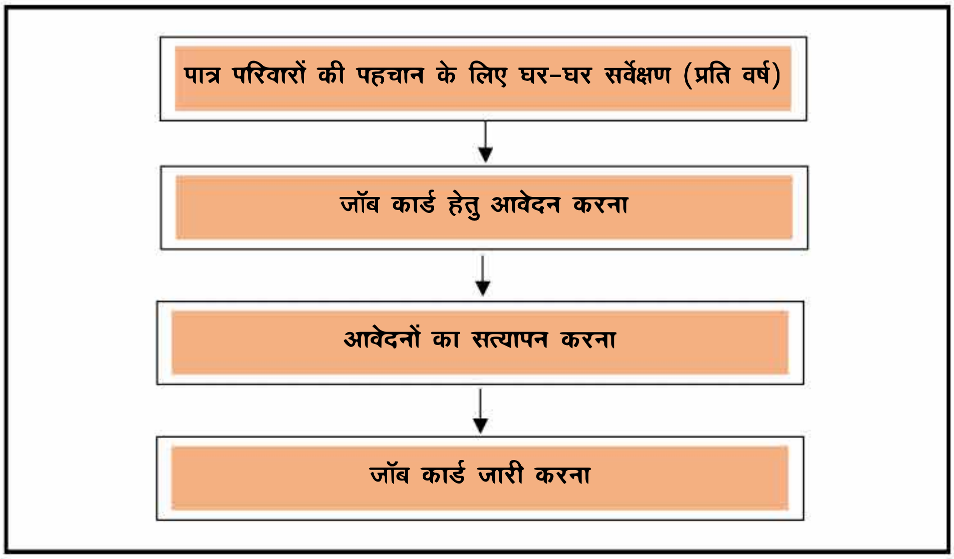

(स्रोत: परिचालन दिशानिर्देश, 2013)

राज्य में 2019-20 से 2023-24 के दौरान पंजीकृत व्यक्तियों और परिवारों की संख्या **चार्ट 3.2** में दर्शाई गई है।

चार्ट 3.2 : 2019-24 के दौरान पंजीकृत परिवारों और व्यक्तियों की संख्या

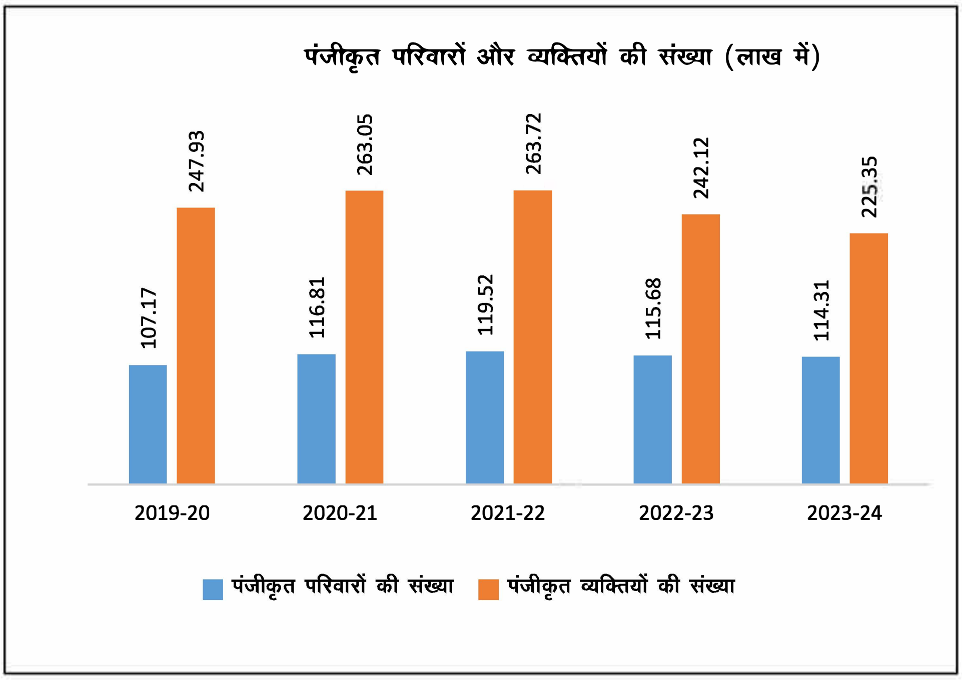

(स्रोतः नरेगा-सॉफ्ट की एमआईएस रिपोर्ट)

2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान, राज्य में योजना के तहत पंजीकृत परिवारों की संख्या में 6.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

घर-घर सर्वेक्षण, जॉब कार्ड और मजदूरी एवं मुआवजे के भुगतान से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

3.2 घर-घर सर्वेक्षण

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 का अनुच्छेद 3.1.1 (ii) यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष घर-घर सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ताकि उन पात्र परिवारों की पहचान की जा सके जो छूट गए हैं और अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2019-2024 के दौरान नमूना जाँच जांच की गई 40 ग्राम पंचायतों में से किसी में भी पात्र परिवारों की पहचान के लिए घर-घर सर्वेक्षण नहीं किया गया था। घर-घर सर्वेक्षण के अभाव में, इन 40 ग्राम पंचायतों में ऐसे पात्र परिवारों के वंचित रह जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है जो अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहते थे।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (सितंबर 2025) कि नागौर में नरेगा दिशानिर्देशों के अनुसार घर-घर सर्वेक्षण किए गए थे, लेकिन संबंधित दस्तावेज लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत नहीं किए गए

थे और संबंधित अधिकारियों से दस्तावेज मांगे गए हैं। जैसलमेर में, सभी विकास अधिकारियों को अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। अन्य जिलों के लिए कोई जवाब नहीं दिया गया।

3.3 जॉब कार्ड

3.3.1 पंजीकृत परिवारों को जॉब कार्ड जारी करना

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 3.1.2 (i) और 3.1.5 (i) यह अनुबंध करते हैं कि जिन परिवारों में वयस्क सदस्य हैं और जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में अकुशल रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, वे पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई परिवार पंजीकरण के लिए पात्र पाया जाता है, तो ग्राम पंचायत, आवेदन की तिथि से एक पखवाड़े के भीतर परिवार को जॉब कार्ड जारी करेगी।

जुलाई 2025 तक राज्य में वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान पंजीकृत परिवारों की संख्या और जारी किए गए जॉब कार्डों की स्थिति **चार्ट 3.3** में दर्शाई गई है।

चार्ट 3.3: जुलाई 2025 तक राज्य में 2019-20 से 2023-24 के दौरान पंजीकृत परिवारों की संख्या और जारी किए गए जॉब कार्यों की संख्या

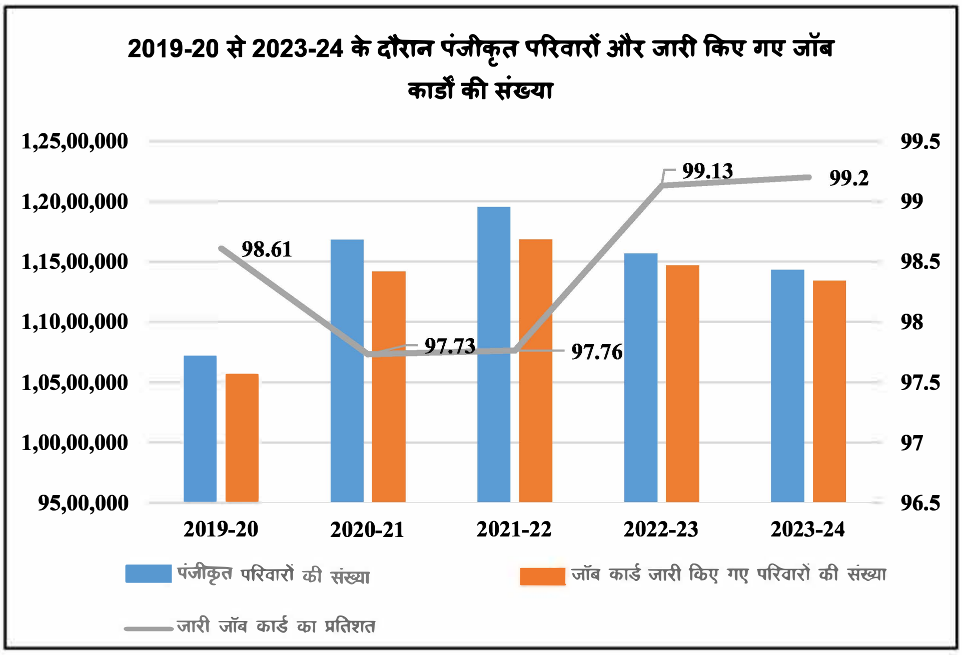

उपरोक्त चार्ट दर्शाता है कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान, राज्य में पंजीकृत परिवारों को जारी किए गए जॉब कार्डों का प्रतिशत 97.73 से 99.20 के बीच रहा।

कारण यह हो सकता है कि पंजीकरण के दौरान जमा किए गए दस्तावेजों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया में परिवार के सदस्य पात्र नहीं थे।

3.3.2 जॉब कार्ड में पाई गई कमियां

परिचालन दिशा-निर्देश 2013 के अनुच्छेद 3.1.5 के अनुसार, जॉब कार्ड का प्रपत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें परिवार से संबंधित स्थायी जानकारी के साथ-साथ मनरेगा के तहत काम चाहने वाले वयस्क सदस्यों के रोजगार विवरण और फोटोग्राफ शामिल हों। इसके अलावा, जॉब कार्ड के प्रारूप के अनुसार, जॉब कार्ड के प्रमाणीकरण के लिए परिवार के मुखिया, सरपंच और सचिव (ग्राम विकास अधिकारी) के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच की गई 40 ग्राम पंचायतों में 400 जॉब कार्डों की जांच की और पाया कि :

I. 262 जॉब कार्डों (65.50 प्रतिशत) में किए गए कार्य की तिथियों की प्रविष्टियां अधूरी पाई गईं।

II. 251 जॉब कार्डों (62.75 प्रतिशत) में किए गए भुगतान के कोई विवरण दर्ज नहीं थे।

III. 134 जॉब कार्डों (33.50 प्रतिशत) में हस्ताक्षर कॉलम खाली थे।

IV. 83 जॉब कार्डों (20.75 प्रतिशत) में कोई फोटोग्राफ संलग्न नहीं थी और 115 जॉब कार्डों (28.75 प्रतिशत) में केवल एक सदस्य की फोटोग्राफ संलग्न थी।

इस प्रकार, दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रारूप के अनुसार जॉब कार्ड संधारित नहीं थे।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि जैसलमेर और नागौर के सभी विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक पखवाड़े के अंत में जॉब कार्ड अद्यतन करने के निर्देश दिए गए है। अन्य जिलों के लिए कोई उत्तर नहीं दिया गया।

3.4 रोजगार के लिए जागरूकता पैदा करना

मनरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निबंधन ग्रामीण लोगों और अन्य हितधारकों, विशेष रूप से मनरेगा श्रमिकों के बीच योजना के प्रावधानों के साथ-साथ उनके अधिकारों और हकों के संबंध में जागरूकता पैदा करना है।

3.4.1 सूचना शिक्षा संचार (आईईसी)

परिचालन दिशा-निर्देश, 2013 का अनुच्छेद 5.4.2 यह प्रावधान करता है कि सभी राज्यों को योजना की सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) योजना विकसित करनी चाहिए, जिसमें पंजीकृत श्रमिकों के साथ-साथ योजना से लाभान्वित होने वाले अन्य समूहों तक पहुंच पर विशेष ध्यान दिया जाए। आईईसी योजना में राज्य, जिला, ब्लॉक और स्थानीय स्तर की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2019-2024 के दौरान राज्य स्तर पर कोई आईईसी योजना तैयार नहीं की गई थी। हालांकि, नरेगा-सॉफ्ट के एमआईएस आंकड़ों के अनुसार, 2021-24 के दौरान पूरे राज्य में दीवार पेंटिंग, विज्ञापन, डिस्प्ले बोर्ड, पुस्तिका मुद्रण, शिविर आयोजन इत्यादि जैसी आईईसी गतिविधियों पर ₹ 30.62 करोड़[1] का व्यय हुआ।

नरेगा-सॉफ्ट के एमआईएस आंकड़ों के अनुसार, 2021-24 के दौरान नमूना जाँच किए गए पांच जिलों में ₹ 8.16 करोड़ (बांसवाड़ाः ₹ 3.59 करोड़, चित्तौड़गढ़ः ₹ 0.45 करोड़, जैसलमेरः ₹ 1.38 करोड़, कोटाः ₹ 0.22 करोड़ और नागौरः ₹ 2.52 करोड़) का व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा ने फील्ड अध्ययन (जुलाई से नवंबर 2024) के दौरान नमूना जाँच की गई 40 ग्राम पंचायतों के 400 लाभार्थियों का प्रश्नावली के माध्यम से सर्वेक्षण किया और पाया कि :

- केवल 138 (34.5 प्रतिशत) लाभार्थी मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने के अपने अधिकार के बारे में जानते थे।
- केवल 231 (57.75 प्रतिशत) लाभार्थी इस बात से अवगत थे कि मजदूरी का भुगतान कार्य पूर्ण होने के 15 दिनों के भीतर किया जाना है।
- 400 लाभार्थियों में से 96 (24 प्रतिशत) को जॉब कार्ड मिलने के बाद रोजगार की प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं थी।
- केवल 36 (9 प्रतिशत) लाभार्थियों को ही गांव में किए गए सामाजिक लेखापरीक्षाओं के बारे में जानकारी थी।

[1] 2021-22: ₹6.07 करोड़, 2022-23: ₹15.67 करोड़ और 2023-24: ₹8.88 करोड़।

3.4.2 रोजगार दिवस (रोजगार गारंटी दिवस) का आयोजन

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 का अनुच्छेद 3.3 (i) यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को महीने में कम से कम एक बार रोजगार दिवस का आयोजन करना चाहिए। रोजगार दिवस आवेदन प्रक्रिया, सूचना का प्रकटन कार्य आवंटन, मजदूरी भुगतान और बेरोजगारी भत्ते के भुगतान आदि के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2019-24 की अवधि के दौरान, नमूना जांच की गई 40 ग्राम पंचायतों में से पांच[2] ग्राम पंचायतों ने रोजगार दिवस का आयोजन किया, 29 ग्राम पंचायतों ने कोई रोजगार दिवस आयोजित नहीं किए और शेष छह[3] ग्राम पंचायतों ने अवगत कराया कि रोजगार दिवस आयोजित किए गए थे, लेकिन संबंधित अभिलेख नहीं रखे गए।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि जैसलमेर, बांसवाड़ा और नागौर जिलों के सभी विकास अधिकारियों को रोजगार दिवस आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी ग्राम पंचायतों में प्रत्येक गुरुवार को रोजगार दिवस आयोजित करने के निर्देश नियमित रूप से जारी किए जाते हैं। कोटा और चित्तौड़गढ़ जिलों के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

3.5 मनरेगा के अंतर्गत प्रदान किया गया रोजगार

पंजीकृत परिवारों की संख्या, पंजीकृत परिवारों द्वारा मांगे गए कार्य, रोजगार की पेशकश किए गए परिवारों की संख्या, रोजगार से वंचित परिवारों की संख्या और 100 दिनों का कार्य पूरा करने वाले परिवारों की संख्या **तालिका 3.1** में दर्शाई गई है।

तालिका 3.1: जुलाई 2025 तक राज्य में 2019-20 से 2023-24 के दौरान माँगा गया और प्रदान किया गया रोजगार।

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की कुल संख्या	जॉब कार्ड जारी किए गए परिवारों की संख्या	रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या (%)	रोजगार की पेशकश किए गए परिवारों की संख्या (%)	रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या (%)	100 दिनों का रोजगार प्रदान किए गए परिवारों की संख्या (रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों के सापेक्ष प्रतिशत) (%)
1	2	3	4	5	6	7
2019-20	1,07,17,276	1,05,68,002	62,04,067 (58.71)	62,02,188 (99.97)	55,74,419 (89.88)	8,48,695 (15.22)

[2] ग्राम पंचायतः भोयर, चिरावालागाडा, डोलिया, गोलियावाड़ा और कसार।

[3] ग्राम पंचायतः डुंगरा कलां, गोडा, जगपुरा, मंगलपुरा, मस्का महुडी और महुडी।

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की कुल संख्या	जॉब कार्ड जारी किए गए परिवारों की संख्या	रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या (%)	रोजगार की पेशकश किए गए परिवारों की संख्या (%)	रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या (%)	100 दिनों का रोजगार प्रदान किए गए परिवारों की संख्या (रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों के सापेक्ष प्रतिशत) (%)
1	2	3	4	5	6	7
2020-21	1,16,80,539	1,14,15,781	80,57,589 (70.58)	80,56,217 (99.98)	75,42,536 (93.62)	12,31,428 (16.33)
2021-22	1,19,51,663	1,16,83,935	76,05,899 (65.10)	76,04,790 (99.99)	70,80,122 (93.10)	9,91,738 (14.00)
2022-23	1,15,67,931	1,14,67,592	68,26,480 (59.53)	68,24,820 (99.98)	63,45,619 (92.98)	4,53,482 (7.15)
2023-24	1,14,30,651	1,13,38,669	67,39,627 (59.44)	67,37,591 (99.97)	63,85,192 (94.77)	5,09,350 (7.98)

(स्रोतः नरेगा-सॉफ्ट की एमआईएस रिपोर्ट)

ऊपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2019-24 के दौरान केवल 58.71 प्रतिशत से 70.58 प्रतिशत जॉब कार्ड धारक परिवारों ने ही इस योजना के तहत रोजगार की मांग की। हालांकि रोजगार की मांग करने वाले 99.96 प्रतिशत से अधिक जॉब कार्ड धारकों को रोजगार की पेशकश की गई, लेकिन केवल 89.88 प्रतिशत से 94.77 प्रतिशत परिवारों ने ही रोजगार प्राप्त किया और रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों में से केवल 7.15 प्रतिशत से 16.33 प्रतिशत को ही 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया।

राज्य में 2019-20 से 2023-24 के दौरान परिवारों द्वारा औसतन प्राप्त रोजगार के दिनों की संख्या नीचे **चार्ट 3.4** में दर्शाई गई है:

चार्ट 3.4: 2019-20 से 2023-24 के दौरान परिवारों द्वारा औसतन प्राप्त रोजगार के दिनों की संख्या

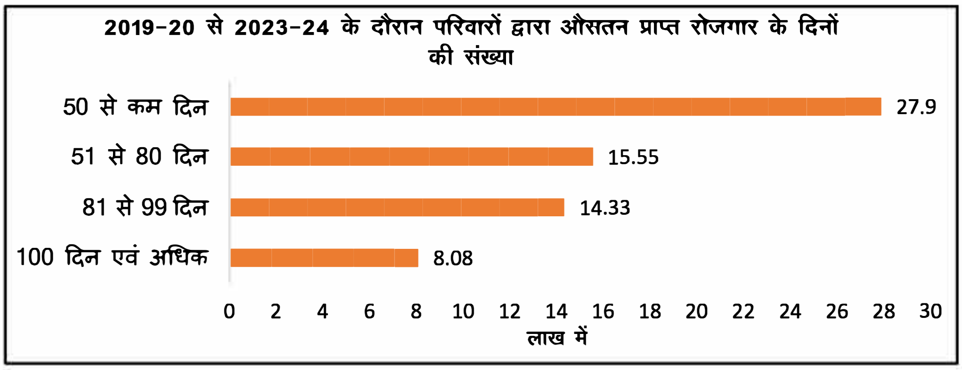

(स्रोतः नरेगा-सॉफ्ट की एमआईएस रिपोर्ट)

उपरोक्त चार्ट दर्शाता है कि औसतन 27.90 लाख परिवारों (42.36 प्रतिशत) ने 50 दिनों से कम का रोजगार प्राप्त किया, जबकि 8.08 लाख परिवारों (12.26 प्रतिशत) ने 2019-20 से 2023-24 के दौरान 100 दिनों या उससे अधिक का रोजगार प्राप्त किया।

नमूना जाँच की गई 40 ग्राम पंचायतों में 400 लाभार्थियों के लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, 96.50 प्रतिशत लाभार्थियों (400 में से 386 लाभार्थी) ने उत्तर दिया कि पिछले वर्ष (2023-24) में प्रत्येक परिवार को 100 दिनों का रोजगार प्रदान नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि जैसलमेर जिले के सभी विकास अधिकारियों को इस संबंध में भविष्य में सुधार के प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। चित्तौड़गढ़ और नागौर जिलों में, सभी श्रमिकों को उनकी मांग के अनुसार रोजगार प्रदान किया गया है और योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाकर अधिकतम प्रयास किए जाएंगे। कोटा और बांसवाड़ा जिलों के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

3.5.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महिला लाभार्थियों को रोजगार प्रदान करना

मनरेगा की अनुसूची II यह प्रावधान करती है कि महिलाओं को इस प्रकार प्राथमिकता दी जाएगी, कि पंजीकृत और कार्य के लिए अनुरोध करने वाले लाभार्थियों में से कम से कम एक तिहाई महिलाएं हों।

राज्य में 2019-20 से 2023-24 के दौरान इस योजना के तहत नियोजित महिलाओं का जिलावार प्रतिशत नीचे **चार्ट 3.5** में दिया गया है।

चार्ट 3.5: 2019-20 से 2023-24 के दौरान कुल नियोजित व्यक्तियों में से जिलेवार महिला श्रमिकों का प्रतिशत

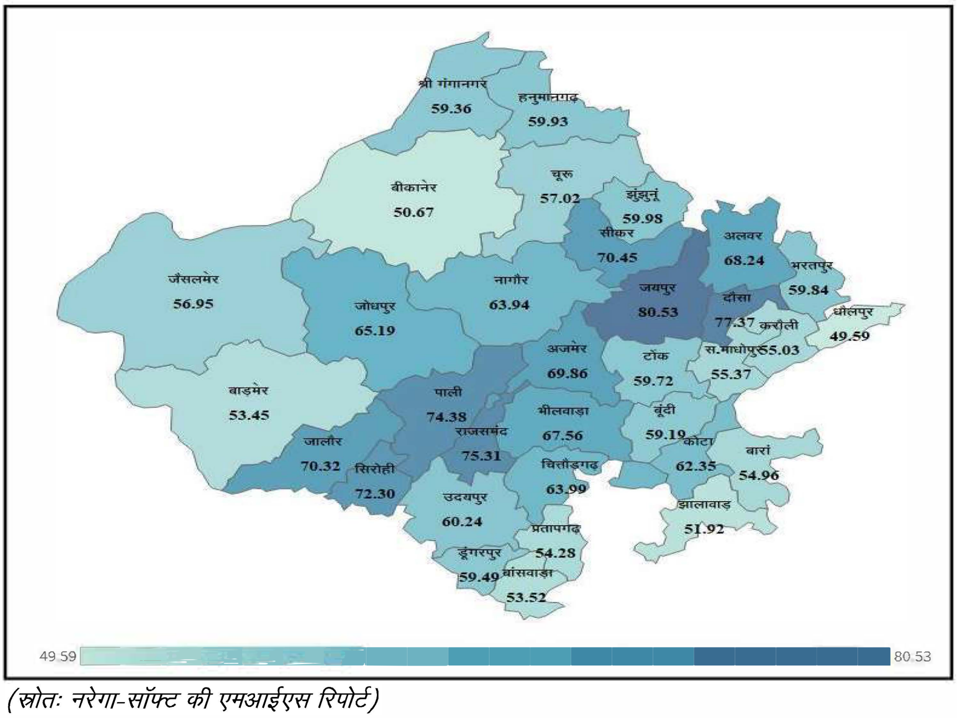

(स्रोतः नरेगा-सॉफ्ट की एमआईएस रिपोर्ट)

जैसा कि **चार्ट 3.5** से देखा जा सकता कि योजना में भाग लेने वाली महिलाओं का प्रतिशत 49.59 प्रतिशत तथा 80.53 प्रतिशत के बीच था और जयपुर जिले में यह सर्वाधिक था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के सभी जिलों में योजना के तहत रोजगार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कुल सृजित रोजगार के एक तिहाई से अधिक था।

3.5.2 विशेष योग्यजनों को रोजगार प्रदान करना

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 का अनुच्छेद 9.3.9 यह प्रावधान करता है कि सभी विशेष योग्य जनों और अन्य कमजोर व्यक्तियों की पहचान करने और एक निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी गांवों में उनके परिवारों को 100 दिनों का कार्य प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जाना चाहिए।

विशेष योग्य जनों और अन्य कमजोर व्यक्तियों के लिए कोई विशेष अभियान न चलाए जाने के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अवगत (सितंबर 2025) करवाया कि राज्य में जिला स्तर पर विशेष योग्य जनों से संबंधित मामलों को संभालने के लिए कमजोर समूह समन्वयक का कोई पद नहीं है। हालांकि, विशेष योग्य जनों और अन्य कमजोर व्यक्तियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए जाएंगे।

एमआईएस की संवीक्षा से पता चला कि राज्य में 2019-2024 के दौरान पंजीकृत विशेष योग्य जनों को 29.53 प्रतिशत तथा 42.98 प्रतिशत के बीच रोजगार प्रदान किया गया और औसत रोजगार दिवस 38 से 44 दिन के बीच रहा। विवरण नीचे **तालिका 3.2** में दिया गया है :

तालिका 3.2: 2019-24 के दौरान राज्य में पंजीकृत विशेष योग्य जनों को रोजगार सृजन का विवरण

वर्ष	पंजीकृत विशेष योग्य जनों की संख्या	विशेष योग्य जनों को प्रदान किया गया कार्य	प्रतिशत	वर्ष के दौरान औसत रोजगार दिवस
2019-20	75034	22160	29.53	38
2020-21	79840	31677	39.67	40
2021-22	86199	30238	35.08	41
2022-23	72772	29599	40.67	40
2023-24	68458	29427	42.98	44

(स्रोतः नरेगा-सॉफ्ट की एमआईएस रिपोर्ट)

इसके अलावा, यह पाया गया कि 2019-24 के दौरान कार्य की मांग करने वाले विशेष योग्य जनों का आंकड़ा न तो नरेगा-सॉफ्ट में दर्ज किया गया था और न ही कोई पुख्ता भौतिक

अभिलेख रखा गया था। इसलिए, लेखापरीक्षा में काम की मांग करने वाले विशेष योग्य जनों का प्रतिशत निर्धारित नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) करवाया कि जैसलमेर जिले के सभी विकास अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं और भविष्य में सुधार के प्रयास किए जाएंगे। बांसवाड़ा और नागौर जिलों में विशेष योग्य जनों को उनकी मांग के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया गया है और योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाकर इस दिशा में अधिकतम प्रयास किए जाएंगे। कोटा और चित्तौड़गढ़ जिलों के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

3.6 बेरोजगारी भत्ता

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 का अनुच्छेद 3.5 यह प्रावधान करता कि यदि किसी आवेदक को उसके रोजगार मांगने वाले आवेदन प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा, जो पहले तीस दिनों के लिए मजदूरी दर के एक-चौथाई से कम नहीं होगा और वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी दर के आधे से कम नहीं होगा। सचिव, ईजीएस द्वारा जारी आदेश (अप्रैल 2011) के अनुसार, बेरोजगारी भत्ता समय पर भुगतान न किए जाने की स्थिति में जिम्मेदार कर्मचारी/अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान भुगतान किए जाने वाले ₹ 54.09 लाख के बेरोजगारी भत्ते के विरुद्ध जुलाई 2024 तक परिवारों को केवल ₹ 1.18 लाख (2.18 प्रतिशत) बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया गया था, जैसा कि नीचे दी गई **तालिका 3.3** में विवरण दिया गया है:

तालिका 3.3: जुलाई 2025 तक राज्य में बकाया बेरोजगारी भत्ता

(₹ लाख में)

वर्ष	देय बेरोजगारी भत्ते की राशि	भुगतान किया गया बेरोजगारी भत्ता	बकाया बेरोजगारी भत्ते की राशि
2019-20	11.48	0	11.48
2020-21	7.02	1.16	5.86
2021-22	24.81	0	24.81
2022-23	9.41	0	9.41
2023-24	1.37	0.02	1.35
योग	**54.09**	**1.18**	**52.91**

(स्रोतः नरेगा-सॉफ्ट की एमआईएस रिपोर्ट)

इसके अलावा, नमूना जाँच किए गए पाँच जिलों में, केवल बांसवाड़ा जिले में ही जुलाई 2024

तक परिवारों को ₹ 7.44 लाख[4] का बेरोजगारी भत्ता दिया जाना था। इस ओर ध्यान आकर्षित करने पर, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक बांसवाड़ा ने जवाब (जुलाई 2024) दिया कि संबंधित कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है कि वे दोषी अधिकारियों से वसूल कर बेरोजगारी भत्ता का भुगतान करें। अन्य नमूना जाँच किए गए जिलों में कोई बेरोजगारी भत्ता बकाया नहीं था।

जैसा कि ऊपर तालिका 3.3 से देखा जा सकता है कि ₹ 52.91 लाख का बेरोजगारी भत्ता बकाया था। हालांकि, 2019-24 की अवधि के लिए एमआईएस रिपोर्टों की संवीक्षा से पता चला कि नमूना जाँच की गई 40 ग्राम पंचायतों में से 32 ग्राम पंचायतों ***(परिशिष्ट 3.1)*** में 6026 श्रमिकों को ₹ 80.26 लाख का बेरोजगारी भत्ता दिया जाना था, जो राज्य के आंकड़े से अधिक है। लेखापरीक्षा (मई 2025) द्वारा मांगे जाने पर भी, इस विसंगति का कारण विभाग द्वारा नहीं बताया गया।

नमूना जाँच की गई 40 ग्राम पंचायतों में लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि 400 लाभार्थियों में से केवल 63 (15.75 प्रतिशत) को ही यह जानकारी थी कि यदि कार्य के लिए आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाना है।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) करवाया कि ₹52.91 लाख में से ₹37.36 लाख बकाया बेरोजगारी भत्ते का भुगतान कर दिया गया है और जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 7 के अनुसार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूली करके शेष बेरोजगारी भत्ते की राशि का भुगतान करें।

इसके अलावा, ग्राम पंचायत और राज्य स्तर पर अदा किए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते की राशि में विसंगति के संबंध में कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

3.7 मजदूरी एवं मुआवजे का भुगतान

मनरेगा अधिनियम की अनुसूची II का अनुच्छेद 29 यह प्रावधान करता है कि श्रमिकों को मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन के बाद भुगतान में हुई देरी के लिए प्रतिदिन 0.05 प्रतिशत की दर से 'विलंब मुआवजा' प्राप्त करने का अधिकार है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों (जून 2014) के अनुच्छेद 4 में प्रावधान है कि प्रत्येक कार्यक्रम अधिकारी निर्धारित अवधि के बाद मजदूरी के भुगतान में हुई देरी के लिए देय मुआवजे की राशि का निर्णय करेगा।

---

[4] अवधि 2019-20 (₹2.66 लाख)। 2020-21 (₹4.15 लाख), 2021-22 (₹0.56 लाख) और 2022-23 (₹0.07 लाख)।

नरेगा-सॉफ्ट में उपलब्ध एमआईएस से लेखापरीक्षा में पाया गया कि सिस्टम फंड ट्रांसफर ऑर्डर अपलोड होने तक मुआवजे की गणना करता है। सार्वजनिक डोमेन में कोई एमआईएस रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है जो द्वितीय चरण तक यानी लाभार्थियों के खाते में मजदूरी के वास्तविक रूप से जमा होने तक मजदूरी के भुगतान में हुई देरी के कारण मुआवजे की समेकित स्थिति दर्शाती हो। विभाग ने तथ्य स्वीकार किए (सितंबर 2025) और अवगत कराया कि द्वितीय चरण का संचालन भारत सरकार से संबंधित है।

एमआईएस डेटा (चरण-1) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि सितंबर 2025 तक, राज्य में 2019-24 के दौरान ₹948.54 करोड़ की मजदूरी के भुगतान के 19.03 करोड़ लेन-देनों में से 53.75 लाख (2.82 प्रतिशत) लेन-देन निर्धारित समय सीमा से 16 दिन से लेकर 90 दिन से अधिक की देरी से किए गए थे। मनरेगा श्रमिकों को विलंबित भुगतानों का विवरण नीचे **तालिका 3.4** में दिया गया है :

तालिका 3.4: मजदूरी के विलंबित भुगतानों का आयु-वार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विलंबित भुगतान								कुल विलंबित भुगतान		वर्ष में कुल भुगतान	
	16-30 दिन		31-60 दिन		61-90 दिन		90 दिन से ज्यादा					
	लेन-देन	राशि	लेन-देन	राशि	लेन-देन	राशि	लेन-देन	राशि	लेन-देन	राशि	लेन-देन	राशि
2019-20	135490	20.09	6841	1.01	412	0.07	1229	0.14	143972	21.30	31815698	4760.20
2020-21	144661	24.16	24136	3.70	3201	0.48	2730	0.46	174728	28.80	44570669	7802.31
2021-22	231604	37.79	34546	5.82	3640	0.65	8644	1.41	278434	45.67	41117147	7740.06
2022-23	2274664	400.94	2174220	389.14	32911	5.75	20010	3.62	4501805	799.46	35399182	6773.78
2023-24	236987	45.83	34160	6.54	3991	0.73	1342	0.21	276480	53.31	37437151	7531.54
कुल	**3023406**	**528.81**	**2273903**	**406.2**	**44155**	**7.68**	**33955**	**5.84**	**5375419**	**948.54**	**190339847**	**34607.89**
कुल विलंबित भुगतान का प्रतिशत		**55.75**		**42.83**		**0.81**		**0.61**		**2.74**		

(स्रोतः नरेगा-सॉफ्ट की एमआईएस रिपोर्ट)

नरेगा-सॉफ्ट में मौजूद आंकड़ों की संवीक्षा से पता चला कि 2019-24 के दौरान ₹4.95 लाख का मुआवजा भुगतान के लिए अनुमोदित किया था, जिसमें से ₹4.29 लाख का भुगतान हो चुका था और ₹ 0.66 लाख का भुगतान लंबित था। इसके अलावा, ₹ 662.28 लाख का मुआवजा अस्वीकृत कर दिया गया था, जिसके लिए नरेगा सॉफ्ट में दो कारण दर्ज किए गए थे, अर्थात् (i) प्राकृतिक आपदाएं और (ii) मुआवजा देय नहीं था। हालांकि, नरेगा-सॉफ्ट में दर्ज कारणों की सत्यता की जांच के लिए कोई ऑडिट ट्रेल उपलब्ध नहीं थी। मुआवजे की बड़ी राशि को अस्वीकृत करने के विशिष्ट कारणों के बारे में पूछताछ करने पर, विभाग ने

अवगत (सितंबर 2025 में) कराया कि मुआवजे का भुगतान तभी किया जाता है जब देरी संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के कारण हुई हो, अन्यथा मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, सभी कार्यक्रम अधिकारियों को मुआवजे की अस्वीकृति से संबंधित विशिष्ट रिकॉर्ड रखने के निर्देश दे दिए गए हैं।

राज्य में वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान अनुमोदित भुगतान किए गए और अस्वीकृत मुआवजे का विवरण **तालिका 3.5** में दिखाया गया है।

तालिका 3.5: सितंबर 2025 तक राज्य में अनुमोदित, भुगतान किए गए और अस्वीकृत मुआवजे का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.स.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	कुल
1	गणना किया गया मुआवजा	8.59	20.04	50.24	728.89	23.27	**831.03**
2	अनुमोदित मुआवजा	0.79	2.39	0.36	1.28	0.13	**4.95**
3	मुआवजा अभी सत्यापित होना शेष है	2.09	4.72	13.09	139.78	4.12	**163.80**
4	मुआवजा अस्वीकृत (क्रम संख्या 1-2-3)	5.71	12.93	36.79	587.83	19.02	**662.28**
5	अनुमोदित राशि में से भुगतान किया गया मुआवजा	0.48	2.39	0.35	1.04	0.03	**4.29**
6	अदत्त मुआवजा (क्रम संख्या 2-5)	0.31	0.00	0.01	0.24	0.10	**0.66**

(स्रोतः नरेगा-सॉफ्ट से डाउनलोड किए गए डेटा (सितंबर 2025) के आधार पर संकलित)

इसके अलावा, चयनित पांच जिलों में, 2019-20 से 2023-24 के दौरान भुगतान के लिए अनुमोदित ₹ 25,203 के मुआवजे में से केवल ₹ 569 का ही भुगतान किया गया, और ₹ 24,634 का भुगतान लंबित था। **तालिका 3.6** में दर्शाए अनुसार, अधिकतम मुआवजा ₹ 24,622 जैसलमेर जिले में लंबित था।

तालिका 3.6: सितंबर 2025 तक 2019-24 के दौरान चयनित जिलों में अनुमोदित, भुगतान किए गए और अस्वीकृत मुआवजे का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र.स.	विवरण	बांसवाडा	चित्तौड़गढ	जैसलमेर	कोटा	नागौर	कुल
1	गणना किया गया मुआवजा	1931489	1160283	614032	846302	7862281	**12414387**
2	अनुमोदित मुआवजा	32	547	24622	0	2	**25203**
3	मुआवजा अभी सत्यापित होना शेष है	172991	83857	231142	441506	4829359	**5758855**

क्र.स.	विवरण	बांसवाडा	चित्तौड़गढ	जैसलमेर	कोटा	नागौर	कुल
4	मुआवजा अस्वीकृत (क्रम संस्या 1-2-3)	1758466	1075879	358268	404796	3032920	**6630329**
5	अनुमोदित राशि में से भुगतान किया गया मुआवजा	22	547	0	0	0	**569**
6	अदत्त मुआवजा (क्रम संस्या 2-5)	10	0	24622	0	2	**24634**

(स्रोतः नरेगा-सॉफ्ट से डाउनलोड किए गए डेटा (सितंबर 2025) के आधार पर संकलित)

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) करवाया कि जैसलमेर जिले के सभी विकास अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं और अनुपालना शीघ्रातिशीघ्र सूचित कर दी जाएगी।

3.8 निष्कर्ष और सिफारिशें

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान, हालांकि राज्य में 97.73 प्रतिशत तथा 99.20 प्रतिशत के मध्य पंजीकृत परिवारों को जॉब कार्ड जारी किए गए थे, लेकिन वे पात्र परिवार जो छूट गए हैं या पंजीकृत होना चाहते हैं की पहचान के लिए नमूना जांच की गई किसी भी ग्राम पंचायत में घर-घर सर्वेक्षण नहीं किया गया। जॉब कार्ड के संधारण में कई कमियां पाई गई थी, जैसे कि किए गए कार्य की तिथियों और भुगतान के विवरण की अधूरी प्रविष्टियां, हस्ताक्षर कॉलम का खाली रहना, परिवार के सभी सदस्यों की फोटोग्राफ नहीं होना आदि।

2019-24 की अवधि के दौरान, राज्य स्तर पर कोई भी आईईसी योजना तैयार नहीं की गई और नमूना जांच की गई 72 प्रतिशत ग्राम पंचायतों ने इस अवधि के दौरान कोई रोजगार दिवस आयोजित नहीं किए।

सितंबर 2025 तक, राज्य में 2019-24 के दौरान राशि ₹ 948.54 करोड़ के मजदूरी भुगतान के 2.82 प्रतिशत लेनदेन निर्धारित समय सीमा से 16 दिन से लेकर 90 दिन से अधिक की देरी से किए गए थे। लाभार्थियों को उनके आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान न करने के मामले सामने आए, जैसे कि जुलाई 2025 तक राज्य स्तर पर 2019-24 की अवधि के लिए ₹ 52.91 लाख का बेरोजगारी भत्ता लंबित था।

मजदूरी के विलम्बित भुगतान के कारण गणना किए गए मुआवजे का 80 प्रतिशत प्राकृतिक आपदा और मुआवजे के देय न होने जैसे मनमाने कारणों का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया गया, जिससे मुआवजे के वितरण में लापरवाहीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने पर चिंता उत्पन्न होती है।

सिफारिशें:

4. राज्य सरकार सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी करे कि वें परिवारों के पंजीकरण के लिए वार्षिक रूप से घर-घर सर्वेक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि जॉब कार्ड सभी प्रकार से पूर्ण और सुव्यवस्थित हों।

5. राज्य सरकार नियमित रूप से रोजगार दिवस आयोजित करने के अतिरिक्त आईईसी गतिविधियों को बढ़ाने हेतु निर्देश जारी करे।

6. राज्य सरकार श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करे, मजदूरी के समय पर भुगतान नहीं होने के कारण मुआवज़े की बड़ी राशि को अस्वीकार किए जाने के कारणों की समीक्षा करे और बेरोजगारी भत्ता वितरित करने के लिए समयबद्ध कार्रवाई करे।

अध्याय IV
कार्यों का निष्पादन

अध्याय IV: कार्यों का निष्पादन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के उद्देश्यों में से एक टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। केवल वे ही कार्य किए जा सकते हैं जिनके परिणामस्वरूप टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और गरीब ग्रामीणों के आजीविका संसाधनों को मजबूती मिले। इस योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों/गतिविधियों के दायरे को मोटे तौर पर जल संरक्षण और संचयन, सूखा-रोधी उपाय, सूक्ष्म और लघु सिंचाई, पारंपरिक जल के स्रोतों का नवीनीकरण, ग्रामीण सम्पर्क और भूमि विकास आदि में वर्गीकृत किया गया है। मनरेगा के तहत कार्य का श्रेणी-वार विभाजन **चार्ट 4.1** में दर्शाया गया है :

चार्ट 4.1

इस योजना का ध्यान उन कार्यों पर है जिन्हें नीचे दी गई चार श्रेणियों में बांटा गया है :

श्रेणी अ
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित सार्वजनिक कार्य

श्रेणी ब
- कमजोर वर्गों के लिए सामुदायिक संपत्ति या व्यक्तिगत संपत्ति

श्रेणी स
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अनुरूप स्वयं सहायता समूहों के लिए सामान्य अवसंरचना सहित

श्रेणी द
- ग्रामीण अवसंरचना

इन चार श्रेणियों को आगे योजना के तहत 266 प्रकारों के अनुमत्य कार्यों में उप-विभाजित किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यों के निष्पादन के दौरान पाई गई कमियों पर इस अध्याय के आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

4.1 कार्यों के निष्पादन की स्थिति

राज्य में 2019-20 से 2023-24 के दौरान अनुमोदित कार्यों की स्थिति **तालिका 4.1** में दिखाई गई है।

तालिका 4.1: राज्य में 2019-20 से 2023-24 के दौरान अनुमोदित कार्यों की स्थिति

वर्ष	अनुमोदित नये कार्य	पूर्ण कार्यों की संख्या (प्रतिशत)	पूर्ण कार्यों पर व्यय (₹ करोड़ में)	अपूर्ण कार्यों की संख्या (प्रतिशत में)	अपूर्ण कार्यों पर व्यय (₹ करोड़ में)	शुरू नहीं हुए कार्यों की संख्या (प्रतिशत)
2019-20	465300	446183(96)	4423.53	12429 (3)	367.56	6688 (1)
2020-21	451550	398440(88)	9697.07	36303 (8)	1503.65	16807 (4)
2021-22	618544	518065(84)	9677.08	73120 (12)	2978.46	27354 (4)
2022-23	207081	73482(36)	4407.64	106622 (51)	3852.33	26977 (13)
2023-24	231085	28480(12)	1509.42	175593 (76)	5428.06	27012 (12)
योग	**1973560**	**1464650(74)**	**29714.74**	**404067 (21)**	**14130.06**	**104838 (5)**

(स्रोतः सितंबर 2025 में आयुक्त (मनरेगा योजना) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना)

2019-20 से 2023-24 के दौरान नमूना जाँच किए गए पांच जिलों में अनुमोदित कार्यों की स्थिति **तालिका 4.2** में दिखाई गई है।

तालिका 4.2: 2019-20 से 2023-24 के दौरान नमूना जाँच किए गए जिलों में अनुमोदित कार्यों की स्थिति

वर्ष	अनुमोदित नये कार्य	पूर्ण कार्यों की संख्या (प्रतिशत)	पूर्ण कार्यों पर व्यय (₹ करोड़ में)	अपूर्ण कार्यों की संख्या (प्रतिशत में)	अपूर्ण कार्यों पर व्यय (₹ करोड़ में)	शुरू नहीं हुए कार्यों की संख्या (प्रतिशत)
2019-20	86887	84371 (97)	631.91	1518 (02)	71.55	998 (01)
2020-21	75863	67562 (89)	1700.97	5244 (07)	230.85	3057 (04)
2021-22	122842	96682 (79)	2104.94	18412 (15)	663.01	7748 (06)
2022-23	32611	9930 (31)	2212.55	18718 (57)	641.53	3963 (12)
2023-24	24264	2330 (10)	204.67	18511 (76)	865.16	3423 (14)
योग	**342467**	**260875 (76)**	**6855.04**	**62403 (18)**	**2472.10**	**19189 (06)**

(स्रोतः सितंबर 2025 में आयुक्त (मनरेगा योजना) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना)

(अ) प्रगतिरत कार्य

तालिका 4.1 से देखा जा सकता है कि राज्य में 2019-20 से 2023-24 के दौरान अनुमोदित 4.04 लाख (21 प्रतिशत) कार्य सितंबर 2025 तक अपूर्ण थे, जिनमें से 1.22 लाख (8 प्रतिशत) तीन वर्ष से अधिक समय से पूर्ण होने के लिए लंबित थे। यह भी देखा गया कि 2018-19 तक की अवधि के 0.42 लाख कार्य भी अपूर्ण थे, और इस प्रकार, सितंबर 2025 तक कुल 4.46 लाख कार्य अपूर्ण थे।

आगे, नमूना जाँच किए गए पाँच जिलों (**तालिका 4.2**) में, 2019-20 से 2023-24 के दौरान अनुमोदित 0.62 लाख (18 प्रतिशत) कार्य सितंबर 2025 तक अपूर्ण थे, जिनमें से 0.25 लाख कार्य (9 प्रतिशत) तीन वर्षों से अधिक समय से पूर्ण होने के लिए लंबित थे जैसा कि ***परिशिष्ट 4.1*** में विवरण दिया गया है।

नमूना जाँच किए गए 280 कार्यों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 116 कार्य (41 प्रतिशत), जिनकी लागत ₹8.57 करोड़ थी और जो कि 2019-20 से 2023-24 के बीच आरंभ हुए थे, पूर्ण होने के लिए लंबित थे। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि इन 280 कार्यों में से 81 कार्य (29 प्रतिशत) जिन पर ₹5.57 करोड़ का व्यय हुआ था, गत 12 महीनों से चार वर्षों

तक निष्पादन में नहीं थे।

कार्य अधूरे रहने के मुख्य कारण सामग्री घटक के लिए निधि की अनुपलब्धता, श्रम की उपलब्धता व कार्य की मांग पर निर्भरता और स्थानीय समस्याएँ/अतिक्रमण आदि थे।

(ब) शुरू नहीं किए गए कार्य

जैसा कि **तालिका 4.1** से देखा गया है, राज्य में 2019-20 से 2023-24 के दौरान अनुमोदित 1.05 लाख कार्य (5 प्रतिशत) सितंबर 2025 तक शुरू नहीं हुए थे, जिनमें से 0.51 लाख कार्य (3 प्रतिशत) तीन वर्ष से ज़्यादा समय से शुरू नहीं हुए थे।

नमूना जाँच किए गए पाँच जिलों (**तालिका 4.2**) में, 2019-20 से 2023-24 के दौरान अनुमोदित 0.19 लाख कार्य (6 प्रतिशत) सितंबर 2025 तक शुरू नहीं हुए थे, जिनमें से 0.12 लाख कार्य (4 प्रतिशत) तीन वर्षों से अधिक समय तक शुरू नहीं हुए थे, जैसा कि ***परिशिष्ट 4.1*** में विवरण दिया गया गया है।

विभाग ने अवगत कराया कि, ऐसे मामलों में जहाँ ग्राम पंचायत में पहले से ही अधिकतम 20 कार्य अधूरे/प्रगतिरत हैं, में नए कार्यों पर लगी सीमा के कारण नए कार्य शुरू नहीं किए जा सके।

चयनित 40 ग्राम पंचायतों में चयनित 280 कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन जुलाई 2024 से नवंबर 2024 के दौरान किया गया। ऐसे महत्वपूर्ण मामले जहाँ स्वीकृति के 2 से 5 वर्षों के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं हुए/शुरू नहीं हुए उनका विवरण नीचे दिया गया है :

शुरू नहीं हुए/ प्रगतिरत कार्य		
1. (ब्लॉक-लाडपुरा) जिला-कोटा		
कार्य का नाम	राज के कुएं से व्यास बावड़ी तक ग्रेवल सड़क तथा सड़क बनाने का कार्य, मंडाना (लाडपुरा)	
कार्य का क्षेत्र	कार्य का क्षेत्र "मिट्टी का काम, ग्रेवल का परिवहन, ग्रेवल बिछाना/फैलाना और कॉम्पेक्शन"	
स्वीकृत राशि	₹14.91 लाख (अगस्त 2022)	
व्यय	₹1.55 लाख	
कार्य की स्थिति	प्रगतिरत	
भौतिक सत्यापन	अक्टूबर 2024	
आक्षेप	भौतिक सत्यापन (अक्टूबर 2024) के दौरान, यह देखा गया कि स्वीकृति के दो वर्षों से ज़्यादा समय व्यतीत होने के पश्चात् भी, सिर्फ़ मिट्टी का काम शुरू हुआ था। पानी भरने की वजह से सड़क पर बहुत ज़्यादा कीचड़ जमा हो गई थी। कनिष्ठ तकनीकी सहायक ने बताया कि गांव से बारिश का पानी जमा होने की वजह से सड़क खराब हो गई है और कार्य जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा।	

2. (ब्लॉक-लाडपुरा) जिला-कोटा		
कार्य का नाम	सार्वजनिक पार्क निर्माण कार्य बाग भूमि, रंगपुर (लाडपुरा)	
कार्य का क्षेत्र	सामुदायिक उपयोग के लिए बंजर भूमि को समतल करना और आकार देना।	
स्वीकृत राशि	₹10.00 लाख (23.11.2022)	
व्यय	₹400 मात्र	
कार्य की स्थिति	प्रगतिरत	
भौतिक सत्यापन	अक्टूबर 2024	
आक्षेप	कार्यस्थल पर अतिक्रमण था, जिसके कारण स्वीकृति के दो वर्ष पश्चात् भी काम शुरू नहीं हो पाया था। ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक पार्क की जगह से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं।	
3. (ब्लॉक-लाडपुरा) जिला-कोटा		
कार्य का नाम	चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण कार्य, कसार (लाडपुरा)	
कार्य का क्षेत्र	चारागाह का विकास और पौधारोपण (2160 वानिकी पौधे और 499 बागवानी पौधे लगाए जाने थे), खाई की बाड़ लगाना, कंटूर ट्रेंच बनाना, तालाब खोदना, खाद और कीटनाशक खरीदना, पौधों की सुरक्षा के लिए देखभाल और रखवाली करना।	
स्वीकृत राशि	₹21.55 लाख (01.03.2019)	
व्यय	₹5.31 लाख	
कार्य की स्थिति	प्रगतिरत	
भौतिक सत्यापन	अक्टूबर 2024	
आक्षेप	पौधों की सुरक्षा के लिए चारागाह भूमि पर कोई बाड़ नहीं मिली। इसके अलावा, मार्च 2024 तक लगभग 2659 पौधे लगाए और उगाए जाने थे, लेकिन ऐसी कोई प्रगति नहीं दिखी। कनिष्ठ तकनीकी सहायक ने बताया कि चारागाह जमीन पर लोग कब्ज़ा कर रहे हैं और बाड़ न होने के कारण पौधे बच नहीं पाए क्योंकि उन्हें जानवर खा जाते थे। इस तरह, चारागाह जमीन के विकास और पौधारोपण का अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।	
4. (ब्लॉक-सज्जनगढ़) जिला-बांसवाडा		
कार्य का नाम	'ग्रेवल सड़क मय पुलिया राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल महुडी से मछारफला मुख्य सड़क तक, महुडी (सज्जनगढ़)	
कार्य का क्षेत्र	कार्य का क्षेत्र "मिट्टी का काम, ग्रेवल का परिवहन ग्रेवल बिछाना/फैलाना और कॉम्पेक्शन लंबाई 450 मीटर और चौड़ाई 7.5 मीटर"	

स्वीकृत राशि	₹6.96 लाख (02.03.2022)	
व्यय	₹5.27 लाख	
कार्य की स्थिति	प्रगतिरत	
भौतिक सत्यापन	सितम्बर 2024	
आक्षेप	ग्रेवल सड़क निर्मित पाई गई, लेकिन मच्छरफला की तरफ सड़क की चौड़ाई 15 मीटर लंबाई तक सिर्फ एक मीटर पाई गई थी। ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि ग्रेवल सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण के कारण इसकी चौड़ाई कम हो गई है। ग्राम विकास अधिकारी का यह कथन स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्राक्कलन साइट की जरूरत और सड़क के अलाइनमेंट के अनुसार तैयार किया गया था। इसके अलावा, दो वर्ष व्यतीत होने के बाद भी सड़क अधूरी थी।	

4.2 टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण

परिचालन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 7.1.5 के अनुसार, केवल उन्ही कार्यों का निर्माण करवाया जा सकता है जिनसे टिकाऊ परिसंपत्ति सृजित हो और गरीब ग्रामीणों के आजीविका संसाधनों को मज़बूती मिले।

लेखापरीक्षा ने चयनित 40 ग्राम पंचायतों में, सीसी सड़कों, ग्रेवल सड़कों, मॉडल तालाबों, पशु शेड, ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण, चेक डैम, वृक्षारोपण और पारंपरिक जल स्रोतों के नवीनीकरण आदि से संबंधित चयनित 280 कार्यों के अभिलेखों की संवीक्षा की। टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण में पाई गई कमियां नीचे दिए गए अनुच्छेदों में दी गई हैं:

4.2.1 सामग्री के उपयोग के बिना कार्य पूर्ण किए गए

ग्रेवल सड़क निर्माण, नहर के सुदृढ़ीकरण, चारागाह में 'तलाई' (छोटा तालाब) निर्माण और तालाब निर्माण से संबंधित चयनित चार कार्यों के भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि हालांकि इन कार्यों को ऑनलाइन परिसम्पत्ति रजिस्टर में पूर्ण दिखाए गए थे, फिर भी इन कार्यों में सामग्री घटक पर कोई व्यय नहीं किया गया था। इन चार कार्यों की अनुमानित लागत ₹ 41.53 लाख थी और सामग्री घटक के लिए ₹ 9.18 लाख का प्रावधान शामिल था।

यह देखा गया कि केवल श्रम से संबंधित भाग ही पूर्ण किए गए थे और इन कार्यों को पूर्ण करने में किसी भी सामग्री का उपयोग नहीं किया गया था। इसलिए, भले ही कार्य पूर्ण दर्शाए गए हों, परन्तु वास्तव में, ये कार्य अपेक्षित उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूर्ण नहीं हुए थे। विवरण नीचे दिए गए हैं:

(i) ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य, जिसकी अनुमानित लागत ₹14.99 लाख थी और जिसमें ₹3.15 लाख की सामग्री का प्रावधान था, जुलाई 2024 में ₹11.78 लाख व्यय करने के पश्चात् पूर्ण दर्शाया गया। यह देखा गया कि सिर्फ़ मिट्टी का कार्य श्रमिकों से करवाया गया था, और ग्रेवल जिसका निर्माण में इस्तेमाल होना था, जैसा कि प्राक्कलन में प्रावधान था, खरीदी ही नहीं गई थी।

'ग्रेवल सड़क एवं पुलिया निर्माण कार्य सीमलिया रोड से छोटी देहडी तक', ग्राम पंचायत, कनवास, पंचायत समिति -सांगोद (कोटा) संयुक्त भौतिक सत्यापन (अक्टूबर 2024)

(ii) नहर[1] के सुदृढ़ीकरण करने से संबंधित कार्य ₹ 2.83 लाख की लागत से पूर्ण किये जाने का अनुमान था, जिसमें सामग्री के लिए ₹1.13 लाख का प्रावधान था। हालांकि, ₹1.70 लाख व्यय करने के बाद कार्य को ऑनलाइन परिसम्पत्ति रजिस्टर में पूर्ण दर्शाया गया, लेकिन पूर्ण किए गए कार्य की कोई भी फ़ोटोग्राफ ऑनलाइन परिसम्पत्ति रजिस्टर में अपलोड नहीं की गई है। इसके अलावा, पूर्ण हो चुके कार्य की 3 स्टेज जियो-टैग वाली फ़ोटोग्राफ भी 'भुवन ऐप' पर अपलोड नहीं की गई थी।

'मंडेला माइनर की आरडी 5 किमी से टेल का जंगल सफाई सिल्ट सफाई एवं सुदृढ़ीकरण कार्य'। ग्राम पंचायत-जगपुरा, पंचायत समिति-घाटोल (बांसवाड़ा)। संयुक्त भौतिक सत्यापन (सितंबर 2024)

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि सिर्फ़ गाद हटाने का काम किया गया था, और मरम्मत/सुदृढ़ीकरण के कार्य के लिए कोई भी सामग्री (सीमेंट, मिस्त्री और रेत वगैरह) नहीं खरीदी गई थी। इस तरह, सुदृढ़ीकरण का कार्य नहीं किया गया, जबकि अक्टूबर 2023 में कार्य पूर्ण दर्शाया गया था।

[1] माइनर एक छोटी नहर है जो सिंचाई के लिए खेतों तक पानी ले जाने के लिए फील्ड चेनलों को पानी उपलब्ध कराती है।

(iii) चारागाह में 'तलाई निर्माण' से संबंधित कार्य ₹ 9.44 लाख की अनुमानित लागत से किया जाना था, जिसमें सामग्री के लिए ₹ 2.11 लाख का प्रावधान था। इस कार्य को सितंबर 2021 में ₹ 6.97 लाख व्यय करने के पश्चात् पूर्ण दर्शाया गया था। भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि जंगल वाले इलाके में सिर्फ़ छोटे-छोटे गड्ढे खोदे गए थे, जो कि गाँव से बहुत दूर थे और इसलिए ग्रामीणों के लिए किसी उपयोग के नहीं थे।

'चारागाह में तलाई निर्माण, कीर खेड़ा', ग्राम पंचायत-चाकुड़ा, पंचायत समिति -कपासन, (चित्तौड़गढ़)। संयुक्त भौतिक सत्यापन (सितंबर 2024)

(iv) इस कार्य का कार्य-क्षेत्र तालाब के चारों ओर से रेत खोदना, तालाब की मौजूदा बाहरी दीवार की ऊंचाई बढ़ाना और पत्थर लगाने का कार्य करना था। इस कार्य की अनुमानित लागत ₹14.27 लाख थी, जिसमें ₹ 2.79 लाख की सामग्री का प्रावधान था। यह देखा गया कि दीवार की ऊंचाई बढ़ाने के लिए सिर्फ़ तालाब के चारों ओर से रेत खोदी गई थी, लेकिन दीवार पर पत्थर लगाने का कार्य नहीं किया गया था। इस कार्य को दिसंबर 2020 में पूर्ण दिखाया गया, जिसमें कुल ₹10.94 लाख व्यय हुए।

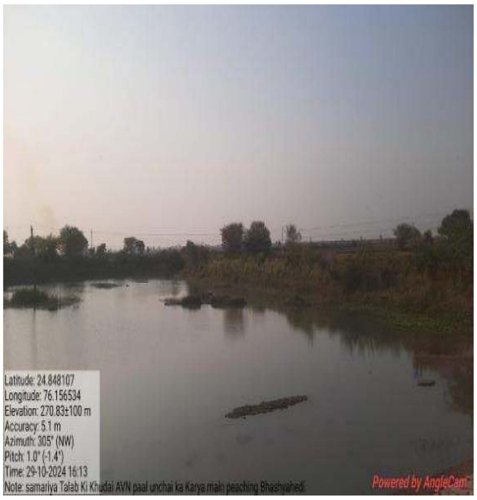

'सामरिया तालाब की खुदाई एवं पाल ऊंची करने में पिचिंग कार्य' ग्राम पंचायत-बश्याहेडी, पंचायत समिति सांगोद (कोटा)। संयुक्त भौतिक सत्यापन (अक्टूबर 2024)

इस प्रकार, बिना कोई सामग्री के उपयोग किए इन कार्यों को पूर्ण करने के कारण, अपेक्षित टिकाऊ सम्पतियों का सृजन नहीं हुआ, जिससे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत इस सीमा तक ग्रामीण इलाकों में टिकाऊ अवसंरचना बनाने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इसके अलावा, हालांकि ये सभी काम ऑनलाइन परिसम्पत्ति रजिस्टर में पूर्ण दर्शाए गए थे और 'भुवन ऐप' पर जियो-टैग भी किए गए थे, लेकिन पूर्ण हुए कार्यों की कोई भी

फोटोग्राफ ऑनलाइन परिसम्पत्ति रजिस्टर में अपलोड नहीं की गई है।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि चित्तौड़गढ़ जिले में सरपंचों द्वारा कम रूचि लेने के कारण टिकाऊ परिसम्पतियों का निर्माण नहीं किया जा सका, क्योंकि गत वर्षों में सामग्री मद के तहत राज्य सरकार से समय पर निधियां प्राप्त नहीं हुई (जैसा कि अनुच्छेद 2.10 में बताया गया है)। अन्य जिलों के लिए कोई जवाब नहीं दिया गया।

4.2.2 पारम्परिक जल स्रोतों के रूप में मॉडल तालाबों का विकास

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा जारी निर्देशों (जून 2014) के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक पारंपरिक जल स्रोत को मॉडल तालाब के रूप में इस तरह से विकसित किया जाना था कि ग्रामीण जनता के लाभ और क्षेत्र के विकास के लिए उन्हें मजबूत और सुंदर बनाया जा सके, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में एक अच्छा वातावरण बने और उनकी पूरी उपयोगिता सुनिश्चित हो सके।

मॉडल तालाबों के विकास के लिए सुविधाएँ जैसेः मॉडल तालाब में पानी के प्रवाह की व्यवस्था, पाल का निर्माण, पिचिंग और अग्रभाग का निर्माण, मवेशियों की सुविधा के लिए पाल पर पत्थरों की पिचिंग (ढलान वाली खुर), लंबे समय तक चलने वाले छायादार पौधों का रोपण, ग्रामीणों के नहाने और कपड़े धोने के लिए पक्के चबूतरे और पक्के घाट निर्मित किए जाने थे।

चयनित दो ग्राम पंचायतों में दो मॉडल तालाबों के संयुक्त भौतिक सत्यापन (सितम्बर व नवंबर 2024) के दौरान यह पाया गया कि ₹45.41 लाख व्यय करने के पश्चात् भी, मॉडल तालाबों में उपरोक्त सुविधाएं निर्मित नहीं की गई और केवल मिट्टी/खुदाई का कार्य किया गया। सुविधाओं के निर्माण के अभाव में, ग्रामीण सार्वजनिक सुविधाओं से वंचित रहे और पारंपरिक जल स्रोतों को मॉडल तालाब के रूप में विकसित करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। दो मॉडल तालाबों का विवरण नीचे दिया गया हैः

(i) **कार्य का नाम**: मॉडल तालाब निर्माण कार्य, जाकड़खेड़ा रोलिया (पंचायत समिति - कपासन, चित्तौड़गढ़)

स्वीकृत राशिः ₹ 37.78 लाख

व्यय राशिः ₹ 20.70 लाख

कार्य पूर्ण : जुलाई 2022

आक्षेपः सामग्री घटक के लिए ₹14.92 लाख रुपये का प्रावधान था, जिसका प्राक्कलन बांध और पिचिंग कार्य, घाट निर्माण, चबूतरा निर्माण, फेस वॉल और वेस्टवेयर निर्माण के लिए, किया गया था। हालांकि, सितंबर 2024 में किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान ऐसा कोई निर्माण नहीं पाया गया और सिर्फ खुदाई/मिट्टी का कार्य ही किया हुआ पाया गया।

(ii) **कार्य का नामः** आदर्श तालाब विकास कार्य रावड़ीचक, मंडई (पंचायत समिति- फतेहगढ़, जैसलमेर)।

स्वीकृत राशिः ₹ 36.52 लाख

व्यय राशिः ₹ 24.71 लाख

कार्य पूर्णः मई 2025

आक्षेपः सुरक्षा दीवार और चबूतरा निर्माण तथा पौधारोपण कार्य के लिए ₹ 8.06 लाख का प्रावधान किया गया था। हालांकि, नवंबर 2024 में जब कार्य प्रगतिरत था, तब किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान कोई सुरक्षा दीवार या चबूतरा निर्मित नहीं पाया गया।
अब इस कार्य को ऑनलाइन सम्पत्ति रजिस्टर में पूर्ण दर्शाया गया है (मई 2025) और परिसम्पत्ति रजिस्टर में पूर्ण हुई सम्पत्ति पर सामग्री मद पर व्यय 'शून्य' दर्शाया गया है।

इसके अलावा, हालांकि ऊपर बताए गए कार्य ऑनलाइन परिसम्पत्ति रजिस्टर में पूर्ण दर्शाए गए हैं और 'भुवन ऐप' पर जियो-टैग भी किए गए हैं, लेकिन ऑनलाइन परिसम्पत्ति रजिस्टर में पूर्ण हो चुके कार्यों की कोई भी फ़ोटोग्राफ अपलोड नहीं की गई है।

राज्य सरकार ने अवगत (जून 2025) कराया कि पारंपरिक जल स्रोतों को मॉडल तालाब के रूप में विकसित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

4.2.3 कार्य-क्षेत्र के अनुसार कार्य निष्पादन नहीं करना

सड़क निर्माण (इंटरलॉकिंग/खरंजा/ग्रेवल) और 'सिंचाई नाली निर्माण' के चार कार्य ₹41.11 लाख की लागत से स्वीकृत किए गए थे और ₹29.31 लाख व्यय कर पूर्ण किए गए। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि ये कार्य, कार्य के स्वीकृत क्षेत्र के अनुसार निष्पादित

नहीं किए गए थे, इसलिए, कार्य अपेक्षित उद्देश्य के लिए उपयोग योग्य नहीं थे, जैसा कि नीचे दिखाया गया है :

(i) "इंटरलाकिंग निर्माण कार्य डामर सड़क से 'एक्स' के घर तक लुन्नार, पंचायत समिति -सम (जैसलमेर)" का कार्य ₹ 9.92 लाख का स्वीकृत किया गया था और ₹ 9.57 लाख व्यय कर पूर्ण किया गया (मार्च 2024)। संयुक्त भौतिक सत्यापन (नवंबर 2024) के दौरान पाया गया कि इंटरलाकिंग सड़क 'एक्स' के घर के सामने सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर बनाई गई थी। इंटरलाकिंग सड़क डामर सड़क (शुरुआती पॉइंट) से जुड़ी हुई नहीं थी। इस तरह, कनेक्टिविटी का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। इंटरलाकिंग सड़क के साइड पैकिंग का कार्य भी नहीं किया गया था।

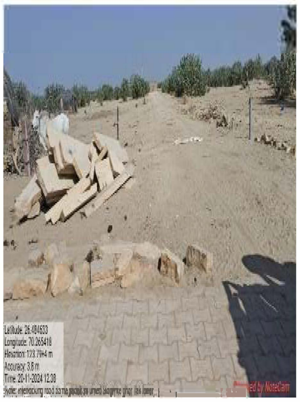

(ii) इंटरलाकिंग रोड 'डामर सड़क से 'वाई' 'जेड' के घर तक' लुन्नार, पंचायत समिति-सम (जैसलमेर) का कार्य ₹ 7.19 लाख का स्वीकृत किया गया था और ₹ 6.96 लाख का व्यय कर पूर्ण किया गया (मार्च 2024)। संयुक्त भौतिक सत्यापन (नवंबर 2024) के दौरान पाया गया कि इंटरलाकिंग रोड डामर रोड (शुरुआती पॉइंट) से जुडी हुई नहीं थी, बल्कि सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर 'वाई' से 'जेड' के घर तक निष्पादित किया गया था।

(iii) ग्रेवल सड़क 'मंडाना मेन रोड से हनोतिया लिंक रोड की ओर' का कार्य, मंडना, पंचायत समिति, लाडपुरा (कोटा) के लिए ₹ 8.48 लाख का स्वीकृत किया गया और नरेगा-सॉफ्ट पर ₹ 5.37 लाख व्यय कर पूर्ण दर्शाया गया था (जुलाई 2024)। संयुक्त भौतिक सत्यापन (अक्टूबर 2024) के दौरान पाया गया कि ग्रेवल सड़क अधूरी थी जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी ने बताया की अतिक्रमण के कारण 200 मीटर सड़क अभी भी नहीं बनी थी।

(iv) सिंचाई नाली निर्माण खेड़ावाला काड से डाबरिया वाला काड की ओर नागनसेल, चिरावाला गड़ा (घाटोल) ('सामुदायिक फीडर नहर का निर्माण') का कार्य ₹14.52 लाख का स्वीकृत किया गया (मार्च 2021) और ₹ 7.41 लाख की लागत से पूर्ण किया (सितंबर 2024)। हालांकि, संयुक्त भौतिक सत्यापन (सितंबर 2024) के दौरान, यह देखा गया कि सिर्फ़ सिंचाई नहर बनी हुई थी। लेकिन, यह स्रोत से जुड़ी हुई नहीं थी। ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि 'साइफन' जल्द ही बनाए जाएगा और स्रोत से जोड़ दिए जाएगा।

इसके अलावा, यद्यपि ये सभी कार्य ऑनलाइन परिसम्पत्ति रजिस्टर में पूर्ण दर्शाए गए थे तथा भुवन ऐप पर जियो-टैग किए गए हैं, हालाँकि पूर्ण हो चुके कार्य की कोई भी फ़ोटोग्राफ ऑनलाइन सम्पत्ति रजिस्टर में अपलोड नहीं की गई है।

4.3 कार्यों की जियो-टैगिंग

योजना में पारदर्शिता को बेहतर बनाने और इसकी स्पष्टता बढ़ाने के उद्देश्य से, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन (इसरो) के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) की साझीदारी में, योजनान्तर्गत बनाई गई परिसम्पत्ति की जियो-टैगिंग के लिए जियो-मनरेगा का क्रियान्वयन शुरू किया। इस उद्देश्य के लिए एनआरएससी के 'भुवन जियोपोर्टल' को कस्टमाइज्ड किया गया है।

जियो-टैगिंग भुवन मोबाइल प्लेटफार्म के माध्यम से एंड्राइड आधारित मोबाइल ऐप से उपयोग करके की जाती है, जिसका उपयोग फील्ड-लेवल के डेटा को कैप्चर करने के साथ-साथ परिसम्पत्ति विज़ुअलाइजेशन क्षमताओं और रिपोर्ट जनरेशन टूल के लिए किया जाता है। इसमें परिसम्पत्ति की जीपीएस लोकेशन को तस्वीरों के साथ कैप्चर करना शामिल है। जियो-मनरेगा फेज़-II के तहत, जिसे 01 नवंबर 2017 के बाद बनाई गई सभी परिसंपत्तियों (पीएम्एवाई के तहत किए गए कार्यों को छोड़कर) की जियो-टैगिंग के लिए लागू किया गया था, जियो-टैगिंग को नीचे वर्णित तीन चरणों में किया जाना था:

• स्टेज 1 जियो-टैगिंग (कार्य शुरू होने से पहले): यह उन कार्यों पर की जानी है जिनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है और जिनकी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नरेगा-सॉफ्ट में जमा हो चुकी है।

• स्टेज 2 जियो-टैगिंग (कार्य के दौरान): जब कार्य की अनुमानित लागत का 30 प्रतिशत व्यय के रूप में दर्ज हो जाता है, तो वह कार्य स्टेज-2 जियो-टैगिंग के लिए उपलब्ध होगा।

• स्टेज 3 जियो-टैगिंग (कार्य पूर्ण होने के पश्चात्): जब कार्य पूर्ण हो जाता है और नरेगा-सॉफ्ट पर बंद हो जाता है, तो यह स्टेज-3 जियो-टैगिंग के लिए उपलब्ध होता है।

चयनित 10 पंचायत समितियों में तीन चरणों में जियो-टैगिंग की स्थिति नीचे **तालिका 4.3** में दर्शाई गई है:

तालिका 4.3: चयनित 10 पंचायत समितियों में कार्यों की जियो-टैगिंग की स्थिति

विवरण	स्टेज I	स्टेज II	स्टेज III	कुल (प्रतिशत)
कार्यों की संख्या	31,237	28,040	15,190	74,467
कार्यों की संख्या जिनमें जियो-टैगिंग पूर्ण हो चुकी थी	28,515	23,989	14,169	66,673
ऐसे कार्यों की संख्या जो कि एनआरएससी के भुवन जियोपोर्टल के साथ साझा किए गए लेकिन जियो-टैग नहीं किए गए।	162	503	1,021	1,686 (2.26)
ऐसे कार्यों की संख्या जो कि जियो-टैगिंग के लिए साझा नहीं किए गए	2,560	3,548	-	6,108 (8.20)

स्रोतः नरेगा-सॉफ्ट से डाउनलोड किए गए डेटा (अक्टूबर 2025) के आधार पर संकलित।

ऊपर दी गई तालिका दर्शाती है कि चयनित 10 पंचायत समितियों में अक्टूबर 2025 तक 10 प्रतिशत कार्यों की जियो-टैगिंग विभिन्न चरणों में लंबित थी।

4.4 मनरेगा योजना के साथ योजनाओं का अभिसरण

परिचालन दिशानिर्देश (अनुच्छेद 15.1.1), टिकाऊ परिसम्पत्ति बनाने के लिए योजना निधि को दूसरी योजनाओं और स्रोतों की निधिओं के साथ अभिसरण करने की स्वीकृति देता है। अभिसरण के तहत किए गए कार्यों में आंगनवाड़ी/अन्य ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण, व्यक्तिगत भूमि पर कार्य (आवास योजना), सूखा निवारण, ग्रामीण सम्पर्क और ग्रामीण स्वच्छता, जल संरक्षण और जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों का नवीनीकरण आदि शामिल हैं।

2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान, राज्य में शुरू किए गए अभिसरण योजनाओं की संख्या **तालिका 4.4** में दी गई है।

तालिका 4.4: राज्य में अभिसरण के तहत शुरू की गई योजनाएँ

वर्ष	अभिसरण के तहत स्वीकृत योजनाएँ	अभिसरण कार्य जो पूर्ण हो चुके हैं	पूर्ण हुए अभिसरण कार्यों का प्रतिशत
2019-20	382806	36964	9.66
2020-21	281097	39546	14.07
2021-22	407793	46732	11.46
2022-23	33365	10042	30.10
2023-24	31009	2583	8.33
योग	**1136070**	**135867**	**11.96**

स्रोतः नरेगा-सॉफ्ट से डाउनलोड डेटा (सितंबर 2025) के आधार पर संकलित।

ऊपर दी गई तालिका दर्शाती है कि 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान अभिसरण के कुल 11.36 लाख कार्य अनुमोदित किए थे, जिनमें से 1.36 लाख कार्य (11.96 प्रतिशत) पूर्ण हुए थे।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि राज्य में 2019-20 से 2023-24 के दौरान अनुमोदित किए कुल 11.36 लाख अभिसरण कार्यों में से 10.53 लाख (92.65 प्रतिशत) कार्य प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम्एवाई) के तहत थे, जैसा कि **तालिका 4.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.5: अभिसरण के अंतर्गत अनुमोदित पीएमएवाई योजना तथा अभिसरण के तहत अनुमोदित कुल योजना

वर्ष	अभिसरण के तहत अनुमोदित योजनाएँ	पीएमएवाई अभिसरण के अनुमोदित कार्य	कुल अभिसरण योजनाओं में पीएम्एवाई कार्यों का प्रतिशत	कुल पीएमएवाई के पूर्ण कार्य (प्रतिशत)	पीएमएवाई अभिसरण के अलावा अनुमोदित कार्य	पीएमएवाई अभिसरण के अलावा पूर्ण कार्य (प्रतिशत)
2019-20	382806	374599	97.86	32943(8.79)	8207	4021(48.99)
2020-21	281097	266257	94.72	31416(11.80)	14840	8130(54.78)
2021-22	407793	386113	94.68	38163(9.88)	21680	8569(39.52)
2022-23	33365	10786	32.33	3195(29.62)	22579	6847(30.32)
2023-24	31009	14802	47.73	637(4.30)	16207	1946(12.01)
योग	**1136070**	**1052557**	92.65	**106354(10.10)**	**83513**	**29513(35.34)**

स्रोतः नरेगा-सॉफ्ट से डाउनलोड डेटा (सितंबर 2025) के आधार पर संकलित।

ऊपर दी गई तालिका दर्शाती है कि 2019-20 से 2023-24 के दौरान कुल अभिसरण कार्यों में पीएमएवाई अभिसरण कार्यों का अनुपात 32.33 प्रतिशत (2022-23) से 97.86 प्रतिशत (2019-20) के बीच रहा। अनुमोदित कार्यों की तुलना में पूर्ण किए गए पीएमएवाई कार्यों का अनुपात 4.30 प्रतिशत (2023-24) और 29.62 प्रतिशत (2022-23) के बीच रहा, जबकि पीएमएवाई के अलावा अन्य कार्यों को पूर्ण करने का अनुपात 12.01 प्रतिशत (2023-24) और 54.78 प्रतिशत (2020-21) के बीच रहा।

4.4.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ अभिसरण के तहत ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण

परिचालन दिशानिर्देश दर्शाते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के उद्देश्यों, यानी टिकाऊ परिसंपत्ति का निर्माण और ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षित करना,

को ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं[2] के संसाधनों के साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों के अभिसरण के माध्यम से सुगम बनाया जा सकता है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों (जून और अगस्त 2020) के अनुसार, नव सृजित ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण ₹ 20 लाख[3] प्रति भवन की लागत से किया जाना था, जिसे अगस्त 2020 में संशोधित करके ₹ 50 लाख[4] कर दिया गया। दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राम पंचायत भवन और परिसर में चार दीवारी, पौधारोपण, आंतरिक सड़क, वर्षा जल संचयन संरचना, बैठने के लिए पेड़ के नीचे चबूतरा आदि जैसे अन्य कार्य भी किए जाने थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित पांच जिलों में से दो (बांसवाड़ा और जैसलमेर) में, जिला कलेक्टरों ने 15वें वित्त आयोग के अनुदान और अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के तहत 2019-24 के दौरान ₹ 57.64 करोड़[5] की लागत से 139 ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण की स्वीकृति जारी की। ये भवन स्वीकृति की तारीख से एक वर्ष के भीतर निर्मित किए जाने थे। इन 139 भवनों में से, 116 भवन[6] पूर्ण हो चुके थे और 23 भवन अधूरे थे/शुरू नहीं[7] हुए थे, जैसा कि फील्ड अध्ययन (जुलाई और नवंबर 2024) के दौरान पाया गया। ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण का विवरण **परिशिष्ट 4.2** में दिया गया है।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि सभी विकास अधिकारियों को अधूरे ग्राम पंचायत भवनों को पूर्ण करने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं और शेष ग्राम पंचायत भवन शीघ्र ही पूर्ण कर लिए जाएंगे।

---

[2] पीएमएवाई, एमएलएएलएडी, एमपीएलएडी, राज्य वित्त आयोग अनुदान, केंद्र वित्त आयोग अनुदान आदि।

[3] महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से ₹ 10 लाख और 15वें वित्त आयोग से ₹ 10 लाख उपलब्ध कराए जाने थे।

[4] महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से ₹ 21.50 लाख, 15वें वित्त आयोग से ₹ 18 लाख और अन्य योजनाओं के लिए ₹10.50 लाख।

[5] बांसवाड़ा में ₹33.63 करोड़ की लागत से 73 ग्राम पंचायत भवन और जैसलमेर जिले में ₹24.01 करोड़ की लागत से 66 ग्राम पंचायत भवन।

[6] बांसवाड़ा में 61 भवनों के निर्माण पूर्ण हुए (जिस पर ₹26.05 करोड़ का व्यय हुआ) और जैसलमेर में 55 भवनों के निर्माण पूर्ण हुए (जिस पर ₹19.77 करोड़ का व्यय हुआ)।

[7] बांसवाड़ा जिले में 12 भवन अधूरे थे/शुरू नहीं हुए थे (ग्राम पंचायत भवन 2020-24 के बीच स्वीकृत {2020-21:8, 2021-22:4} और व्यय ₹2.16 करोड़) और जैसलमेर में 11 भवन (ग्राम पंचायत भवन 2020-24 के बीच स्वीकृत {2020-21:2, 2021-22:5, 2022-23:3, 2023-24:1} और व्यय ₹2.29 करोड़)।

4.5 कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर व्यय

मनरेगा की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 4 के उप-अनुच्छेद (2) के नीचे परन्तुक (जुलाई 2014 के संशोधन के अनुसार) अनुबंध करते है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी जिले में किए जाने वाले कार्यों में से, लागत के अनुसार कम से कम 60 प्रतिशत कार्य भूमि, जल तथा वृक्षों के विकास के जरिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों से सीधे जुड़े उत्पादक परिम्पतियों के निर्माण के लिए हो।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि 2019-24 के दौरान राज्य में केवल दो से पाँच जिलों ने ही कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों से संबंधित कार्यों पर कम से कम 60 प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया, जैसा कि **तालिका 4.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.6: कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर व्यय करने वाले जिलों का विवरण

वर्ष	60 प्रतिशत से कम व्यय वाले जिलों की संख्या	60 प्रतिशत या उससे अधिक व्यय वाले जिलों की संख्या	कृषि और संबंधित कार्यों पर व्यय (₹ करोड़ में)
2019-20	30	3	2996.47
2020-21	28	5	4491.64
2021-22	28	5	4990.54
2022-23	31	2	4268.82
2023-24	30	3	4949.81

(स्रोत-नरेगा-सॉफ्ट की एमआईएस रिपोर्ट)

इसके अतिरिक्त, चयनित पाँच जिलों में, 2019-20 से 2023-24 के दौरान कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से संबंधित कार्यों की लागत 60 प्रतिशत से कम थी (2023-24 के दौरान बांसवाड़ा जिले को छोड़कर) और यह 20.71 प्रतिशत से 55.70 प्रतिशत के बीच थी, जैसा कि ***परिशिष्ट 4.3*** में विस्तार से बताया गया है।

कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से सीधे जुड़े, कम से कम 60 प्रतिशत कार्य नहीं करने के कारण स्थाई आजीविका पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से इन्कार नहीं किया जा सकता।

4.6 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यों पर व्यय

वार्षिक मास्टर परिपत्र 2019-20 का अनुच्छेद 6.1.10 यह अनुबंध करता है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य योजना इस तरह से हो कि चिन्हित 'मिशन जल संरक्षण' ब्लॉकों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत, कम से कम 65 प्रतिशत

व्यय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) के कार्यों, जैसे कि जल संरक्षण और संचयन, सूखा निवारण, पारंपरिक जल स्रोतों का नवीनीकरण आदि पर हो।

राजस्थान में 'मिशन जल संरक्षण' के तहत 246 ब्लॉक चिन्हित किए गए थे। इन 246 ब्लॉकों में से, नमूना जाँच किए गए दस में से सात ब्लॉक 'मिशन जल संरक्षण' के तहत कवर थे। इन सात ब्लॉकों में एनआरएम कार्यों पर किए गए व्यय के प्रतिशत का विवरण, जैसा कि कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा (जुलाई से नवंबर 2024) प्रदान किया गया है, नीचे **तालिका 4.7** दिया गया है।

तालिका 4.7: एनआरएम कार्यों पर व्यय का प्रतिशत

ब्लॉकों के नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सांगोद	**73.59**	**70.55**	60.78	**74.37**	16.34
लाडपुरा	**82.45**	**73.01**	**76.72**	**68.37**	**68.42**
सम	-	-	57.49	30.84	25.61
कपासन	**70.69**	36.33	51.19	46.24	64.95
बड़ी सादडी	53.92	34.52	36.97	55.80	**69.68**
लाडनूं	59.96	59.99	56.56	59.88	30.22
मकराना	31.26	58.84	52.21	39.88	62.57

(स्रोतः संबंधित ब्लॉकों द्वारा प्रदान की गई सूचना)

ऊपर दी गई तालिका से पता चलता है कि 2019-24 की अवधि के दौरान एनआरएम कार्यों पर कम से कम 65 प्रतिशत व्यय सभी पांच वर्षों में केवल एक ब्लॉक (लाडपुरा) में किया गया और सांगोद ब्लॉक में यह तीन वर्ष और कपासन और बड़ीसादड़ी ब्लॉक में केवल एक वर्ष में किया गया। 2019-24 के दौरान सम, लाडनूं और मकराना ब्लॉक में एनआरएम कार्यों पर व्यय का अनिवार्य प्रतिशत वहन नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि सभी जिलों को एनआरएम श्रेणी के अंतर्गत अधिक से अधिक कार्य प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

4.7 ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुसार इंटरलॉकिंग सड़कों के लिए स्वीकृति

ग्रामीण कार्य निर्देशिका[8] 2010 के पॉइंट 7.4.5 के नोट-7 के अनुसार, "सड़क कार्यों की तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति में, कार्य के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य है, उदाहरण के

[8] ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2010, राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे विकास कार्यों के क्रियान्वयन के लिए जारी किया गया एक दिशानिर्देश है।

लिए, "ए" गाँव से "बी" गाँव तक ("0" किमी से "3.5" किमी तक, अर्थात् जो भी वास्तविक स्थिति हो), यदि उक्त सड़क पूर्व में ही "0" से "1.0" किमी तक निर्मित है या किसी अन्य योजना में अनुमोदित है, तो कार्यों के अनुमोदन में ("1" किमी से "3.5" किमी तक, जो भी वास्तविक स्थिति हो) का स्पष्ट विवरण देना अनिवार्य है।"

पंचायत समिति, सम (जिला-जैसलमेर) की चयनित चार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया कि 2019-20 से 2023-24 के दौरान इन चार ग्राम पंचायतों में ₹ 6.23 करोड़[9] के निष्पादित किए गए 89 इंटरलॉकिंग/ग्रेवल/खरंजा सड़क कार्यों में प्रारम्भिक और अंतिम बिंदु उल्लेखित नहीं थे और स्वीकृति उन व्यक्तियों के नाम पर जारी की गई थी जिनके घर, निर्मित सड़कों के पास स्थित थे।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि कार्य तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निष्पादित किए गए हैं एवं सभी कार्यक्रम अधिकारियों को कार्यों का निष्पादन तकनीकी प्राक्कलन के अनुसार प्रारम्भिक बिंदु से करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

यह जवाब मान्य नहीं है क्योंकि कार्य ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत किए जाने थे और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में कार्यों की स्वीकृति में प्रारम्भिक और अंतिम बिंदु स्पष्ट इंगित हों।

4.8 मस्टर रोल में कार्य पूर्ण होने की अवधि के बाद सामग्री की खरीद

मास्टर परिपत्र 2019-20 और 2020-21 के अनुच्छेद 7.1.7(ई) के अनुसार, सामग्री की अधिक खरीद से बचना चाहिए, और आपूर्ति के लिए ऐसा आदेश देना चाहिए कि आपूर्ति के तुरंत पश्चात् उसका उपयोग किया जा सके।

पंचायत समिति घाटोल (बांसवाड़ा) की चयनित दो ग्राम पंचायतों (भोयर और चिरावाला गड़ा) के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि 'सिंचाई नाली' और सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निर्माण से संबंधित दो कार्यों में सामग्री, अंतिम मस्टर रोल जनरेशन की तारीख के बाद क्रय की गई थी।

सिंचाई नाली के निर्माण कार्य के लिए अंतिम मस्टर रोल में कार्य की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2021 थी, जबकि सामग्री (सीमेंट, ग्रेवल, पत्थर) क्रय बिल की तारीखें (19 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021) इन तारीखों के बाद की थीं। इसी प्रकार, सीमेंट कंक्रीट सड़क के निर्माण

[9] सिपलाः ₹1.74 करोड़ के 43 कार्य, लुनारः ₹0.56 करोड़ के 8 कार्य, सगरो की बस्तीः ₹2.17 करोड़ के 21 कार्य और कोटडीः ₹1.76 करोड़ के 17 कार्य।

से संबंधित कार्य में यह देखा गया कि मस्टर रोल में कार्य की अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2022 थी, जबकि सीमेंट,ग्रेवल और मिट्टी जैसे सामग्री के क्रय बिल बाद की तारीखों (21 दिसंबर 2022 से 19 फरवरी 2023) के थे। मस्टर रोल का विवरण ***परिशिष्ट 4.4*** में दिया गया है।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि संबंधित ग्राम पंचायत ने सूचित किया कि सामग्री समय पर खरीदी गई थी लेकिन विक्रेताओं द्वारा बिल बाद में जारी किए गए थे।

तथ्य यह है कि ऑनलाइन सामग्री रजिस्टर में मस्टर रोल में दर्ज कार्य की आखिरी तारीखों से मिलान किए बिना बिलों की प्रविष्टि की अनुमति दी गई थी, जिन्हें सिस्टम में भी अपलोड किया गया था।

4.9 मस्टर रोल में पाई गई अनियमितता

परिचालन दिशानिर्देश 2013 के अनुच्छेद 4.1.2 (vii) के अनुसार, मेट्स को मस्टर रोल में प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए। उपस्थिति लगाने के लिए, श्रमिक मस्टर रोल में दिन वाले कॉलम के नीचे अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसके अलावा, मस्टर रोल के सत्यापन, कार्यस्थल पर कार्य की भौतिक माप एवं उसके मूल्यांकन के पश्चात् मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इस तरह, मस्टर रोल में किसी श्रमिक की दर्ज की गई उपस्थिति मनरेगा साइट पर उनका रोजगार सुनिश्चित करने के लिए मुख्य घटक है। मस्टर रोल में पाई गई अनियमितताएं नीचे बताई गई हैं:

4.9.1 श्रमिकों की उपस्थिति सुनिश्चित किए बिना ₹ 3.60 लाख का अनियमित भुगतान

दो पंचायत समितियों (लाडनूं और सज्जनगढ़) के खंड विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी के मस्टर रोल की संवीक्षा करने पर यह पाया गया कि 17 मस्टर रोल में श्रमिकों और कारीगरों को ₹ 3.60 लाख का भुगतान उनके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिए बिना किया गया था (₹ 2.31 लाख का भुगतान ग्राम पंचायत, मालगांव में नए ग्राम पंचायत भवन के निर्माण के 11 मस्टर रोल[10] में किया गया था और ₹ 1.29 लाख का भुगतान ग्राम पंचायत, गोडा में निर्माण कार्यों के छह[11] मस्टर रोल में किया गया था)। मांगे जाने पर (जनवरी 2025) भी, श्रमिकों/कारीगरों की उपस्थिति सुनिश्चित किए बिना मजदूरी के भुगतान का कारण लेखापरीक्षा को नहीं बताया गया।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि संबंधित पंचायत समितियों के कार्यक्रम अधिकारियों को वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।

4.9.2 पौधारोपण के कार्यों के मस्टर रोल में छेड़छाड़/सुधार

चयनित छह ग्राम पंचायतों के चयनित कार्यों के मस्टर रोल की समीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा में

[10] मस्टर रोल संख्या 24375-76, 25642-45, 26126-28 तथा अकुशल श्रमिक मस्टर रोल 26154-55

[11] मस्टर रोल संख्या-38442 से 38447

पाया की 2019-22 के दौरान कार्यों के निष्पादन हेतु श्रमिकों को जारी किए गए 28[12] मस्टर रोल में श्रमिकों की उपस्थिति में ओवरराइटिंग/ छेड़छाड़ और विलोपन किया गया था। मांगे जाने (अक्टूबर 2024 और मई 2025) पर भी, इन मस्टर रोल में उपस्थिति में छेड़छाड़/ओवरराइटिंग और विलोपन करने के कारणों के बारे में संबंधित ग्राम पंचायतों ने लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया। इस प्रकार, इन मस्टर रोल द्वारा श्रमिकों की उपस्थिति की वास्तविकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि संबंधित जिलों को इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा, मस्टर रोल में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, मई 2022 से एक मोबाइल ऐप (नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम एप - एनएमएमएस एप) के माध्यम से कार्यस्थल पर उपस्थिति लेने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की गई है। यह एक दिन में श्रमिकों की दो समय मुद्रांकित और जियो-टैग्ड फोटोग्राफ लेता है।

4.10 पूर्ण कार्यों का रखरखाव

जुलाई 2024 से नवंबर 2024 के दौरान कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय के तकनीकी प्रतिनिधियों के साथ मिलकर चयनित 40 ग्राम पंचायतों में चयनित 280 कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया और इन कार्यों के रखरखाव में कमियां पाई गईं थीं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :

कार्यों का उचित रूप से रखरखाव नहीं किया जाना		
1. ब्लॉक-सम (जिला-जैसलमेर)		
कार्य का नाम	पशुशाला निर्माण कार्य, जीएलआर के पास, ग्राम पंचायत, सिपला	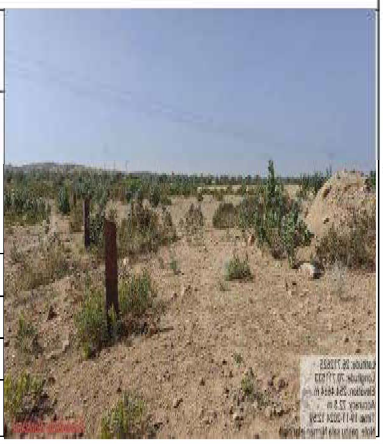
कार्य का क्षेत्र	प्रवेश द्वार का निर्माण, सामने की दीवार, समतलीकरण कार्य, बंड का कार्य, पशुओं के लिए टिन शेड का निर्माण।	
स्वीकृत राशि	₹ 9.17 लाख	
व्यय	₹ 7.67 लाख	
कार्य पूर्ण	मई 2024	
भौतिक सत्यापन	नवम्बर 2024	

2 ग्राम पंचायत, मंदानाः 12 मस्टर रोल (संख्या 8009 से 8020), जुसरीः चार मस्टर रोल (10540, 10542, 11713 और 11719), जगपुराः तीन मस्टर रोल (13808, 13811 और 7764), भोयरः दो मस्टर रोल (38439 और 38463), महुदीः पांच मस्टर रोल (28112, 28114 से 28116 और 2051) और डूंगरा कलांः दो मस्टर रोल (21545 और 21547)।

आक्षेप	मौके पर सिर्फ सामने की दीवार निर्मित पाई गई। ग्राम विकास अधिकारी ने बताया गया कि तूफान की वजह से टिन का शेड गिर गया और चोरी हो गया। इसके अलावा, मवेशियों के शेड के चारों तरफ कोई बाड़ नहीं मिली।
2. (ब्लॉक-घाटोल) जिला-बांसवाड़ा	
कार्य का नाम	'सीसी सड़क निर्माण कार्य पूजा धिरिया के घर से महाकाली मंदिर की ओर खादन काड', चिरावाला गढ़ा (घाटोल)
कार्य का क्षेत्र	मोटी रेत, पोर्टलैंड सीमेंट, पत्थर आदि का उपयोग करके सीसी सड़क का निर्माण।
स्वीकृत राशि	₹14.74 लाख
व्यय	₹10.23 लाख
कार्य पूर्ण	फरवरी 2024
भौतिक सत्यापन	सितम्बर 2024
आक्षेप	सड़क के 50 फीट के हिस्से की ऊपरी सतह खराब पाई गई। ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि सड़क पर बारिश का पानी बहने के कारण सड़क खराब हो गई। इसे इस बात के साथ देखा जाना चाहिए कि मास्टर परिपत्र 2016-17 के अनुसार, ग्रेवल रोड की लाइफ 5 से 10 साल होनी चाहिए।

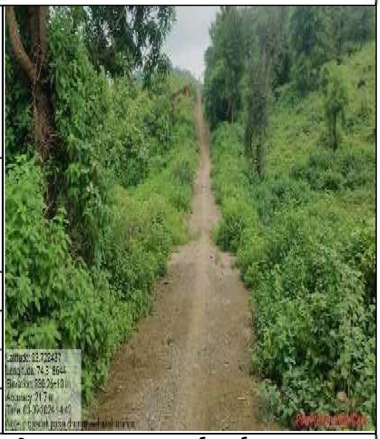

3. (ब्लॉक- सम) जिला- जैसलमेर	
कार्य का नाम	बावड़ीपार तालाब में 'अमृत सरोवर का निर्माण, नाडी की गहराई बढ़ाना, और जलग्रहण क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने' का कार्य, ग्राम पंचायत, शिपला
कार्य का क्षेत्र	सामुदायिक तालाबों का नवीनीकरण
स्वीकृत राशि	₹11.37 लाख (2022-23)
व्यय	₹11.16 लाख
कार्य पूर्ण	मई 2024
भौतिक सत्यापन	नवम्बर 2024
आक्षेप	वेस्टवेयर टूटी हुई पाई गई। ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि बरसात के कारण से यह टूट गई थी और जल्द ही इसकी मरम्मत करवा दी जाएगी। टूटी हुई वेस्टवेयर की समय पर मरम्मत न होने के कारण सरोवर में पानी नहीं भरा जा सका और इसका अपेक्षित लाभ जनता तक नहीं पहुँच पाया।

4. ब्लॉक-सम (जिला-जैसलमेर)	
कार्य का नाम	खरंजा निर्माण कार्य तेने के वास से सड़क के वास तक, सगरो की बस्ती
कार्य का क्षेत्र	पत्थर, मोटी रेत और सीमेंट का उपयोग करके खरंजा सड़क का निर्माण।
स्वीकृत राशि	₹ 8.05 लाख

व्यय	₹ 7.61 लाख	
कार्य पूर्ण	मार्च 2023	
भौतिक सत्यापन	नवम्बर 2024	
आक्षेप	यह पाया गया कि खरंजा कई जगहों पर टूटा हुआ था और मौके पर खरंजे के कुछ हिस्सों पर मिट्टी भी मिली। इससे पता चलता है कि खरंजे का कार्य घटिया क्वालिटी का निष्पादित किया गया था।	

राज्य सरकार ने अवगत (जून 2025) कराया कि ज़िम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए ज़िलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

4.11 निर्माण कार्यों के लिए सूचना बोर्ड लगाना

ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2010 के अनुच्छेद 24.2 के अनुसार, कार्य के प्रत्येक निर्माणाधीन कार्यस्थल पर एक सूचना बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें कार्य का विवरण अंकित होगा, जैसे कार्य का नाम, योजना का नाम, कार्य प्रारम्भ करने की तारीख और कार्य पूर्ण होने की संभावित तारीख/पूर्ण होने की तारीख, स्वीकृत राशि और व्यय की गई राशि इत्यादि।

लेखापरीक्षा ने चयनित 280 कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया, जिनमें से 208 कार्यों/स्थलों (74 प्रतिशत) पर सूचना बोर्ड लगे हुए नहीं पाए गए। इस तरह, कार्यों के निष्पादन के बारे में सूचना प्रचारित नहीं जा सकी। विवरण **तालिका 4.8** में दिखाई गई हैं।

तालिका 4.8: नमूना जाँच किए गए जिलों में कार्यस्थल सूचना बोर्ड की अनुपलब्धता

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल चयनित कार्य	कार्यों की संख्या जहाँ सूचना बोर्ड उपलब्ध नहीं थे
1	बांसवाडा	56	42
2	चितौडगढ़	56	47
3	जैसलमेर	56	46
4	कोटा	56	47
5	नागौर	56	26
योग		**280**	**208**

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन के आधार पर संकलित

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि नागौर और जैसलमेर जिलों में सभी निर्माण कार्यों पर सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा जिलों के लिए कोई जवाब नहीं दिया गया।

4.12 निष्कर्ष और सिफारिशें

2019-20 से 2023-24 के दौरान, सितंबर 2025 तक राज्य में स्वीकृत किए गए 21 प्रतिशत कार्य अधूरे थे और 5 प्रतिशत कार्य शुरू ही नहीं हुए थे। राज्य में अधूरे कार्यों में से 8 प्रतिशत कार्य तीन वर्षों से अधिक समय से पूर्ण करने लंबित थे।

टिकाऊ संपतियां सृजित करने पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि कार्य बिना किसी सामग्री उपयोग के निष्पादित किए गए थे। 2019-24 के दौरान अभिसरण के तहत अनुमोदित कार्यों में से केवल 11.96 प्रतिशत ही पूर्ण हुए। मस्टर रोल में अनियमितताएं, जैसे कि मस्टर रोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान गायब होना, मस्टर रोल में सुधार/ओवरराइटिंग भी देखी गई।

सिफारिशें:

7. राज्य सरकार अधूरे कार्यों की स्थिति की समीक्षा करे और कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए एक योजना बनाए और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत दूसरी योजनाओं के अभिसरण के तहत स्वीकृत किए गए कार्यों को भी शीघ्रता से करे।

8. राज्य सरकार मस्टर रोल के उचित संधारण को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए कार्यवाही करे।

अध्याय V

निगरानी, शिकायत निवारण और सामाजिक लेखापरीक्षा

अध्याय V: निगरानी, शिकायत निवारण और सामाजिक लेखापरीक्षा

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश गुणवता प्रबंधन और गुणवत्ता निगरानी तंत्र के पहलुओं को निर्दिष्ट करते हैं। गुणवता प्रबंधन के तीन विशिष्ट पहलू हैं जैसे कार्यस्थल पर गुणवता नियंत्रण, गुणवता पर्यवेक्षण और गुणवता निगरानी। गुणवता प्रबंधन के अलावा, राज्य रोजगार गारंटी परिषद, सामाजिक अंकेक्षण, शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही, लोकपाल प्रणाली जैसे अन्य पहलू भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की निगरानी का हिस्सा हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन में लगने वाली भारी धनराशि और राज्य भर में 11037 ग्राम पंचायतों में इसे लागू करने से योजना की निगरानी और मूल्यांकन चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसलिए, योजना की कार्यप्रणाली की सुदृढ़ और कुशल निगरानी, मूल्यांकन और समीक्षा अनिवार्य थी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत निगरानी, आंतरिक नियंत्रण और शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है :

5.1 राज्य रोजगार गारंटी परिषद की कार्यप्रणाली

नरेगा अधिनियम, 2005 (नवंबर 2009 तक संशोधित) की धारा 12(2) के अनुसार, प्रत्येक राज्य में निगरानी एवं निवारण तंत्र की समीक्षा करने, सुधार के लिए सिफारिशें देने और राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने तथा योजना से संबंधित सभी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए राज्य रोजगार गारंटी परिषद (एसईजीसी) का गठन किया जाना था। एसईजीसी की बैठक हर छह महीने में होनी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राजस्थान सरकार ने एसईजीसी का गठन मार्च 2006 में किया था, जिसका पुनर्गठन[1] जुलाई 2010 में किया गया था। हालांकि, यह देखा गया कि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यकाल पूरा होने (मार्च 2022) पर उनके नामांकन में देरी और 2023 में राज्य विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के कारण 2019-2024 के दौरान एसईजीसी की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी। एसईजीसी की अंतिम बैठक 5 जुलाई 2016 को आयोजित की गई थी।

आयुक्त, ईजीएस ने स्वीकार किया (जुलाई 2024) कि बैठकें आयोजित नहीं की गई और

[1] राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एसईजीसी का पुनर्गठन किया गया और इसमें 24 सदस्य और 10 मनोनीत सदस्य शामिल हैं।

परिषद द्वारा कोई सुझाव नहीं दिए गए। हालाँकि, वार्षिक रिपोर्ट समय पर राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जा रही थीं।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि पूर्व में मनोनीत गैर-सरकारी सदस्यों के दो वर्ष पूरे होने और हाल ही में 16वीं विधानसभा के गठन के कारण बैठकें नहीं हो सकीं और राजस्थान एसईजीसी में गैर-सरकारी सदस्यों का मनोनयन प्रक्रियाधीन है।

तथ्य यह है कि राज्य सरकार को योजना से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने और सलाह देने के लिए एसईजीसी की बैठकें एक महत्वपूर्ण तंत्र हैं, और राज्य में इस तंत्र का उपयोग नहीं किया गया।

5.2 राज्य एवं जिला गुणवत्ता नियंत्रकों की नियुक्ति

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 14.10.4 के अनुसार, राज्य गुणवत्ता मॉनिटर कम से कम पाँच प्रतिशत कार्यों का प्रगतिरत होने के दौरान निरीक्षण करेगा, ताकि प्रक्रिया की गुणवत्ता के पहलुओं का आकलन किया जा सके। इसके अतिरिक्त, वार्षिक मास्टर परिपत्र 2019-20 के अनुच्छेद 7.12.1 के अनुसार, जिला गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ योजना के अंतर्गत संबंधित जिले में निष्पादित कम से कम 10 प्रतिशत कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने छह सदस्यीय राज्य स्तरीय तकनीकी एवं गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ तथा जिलों में पांच सदस्यीय जिला स्तरीय तकनीकी एवं गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना फरवरी 2025 में की थी, अर्थात परिचालन दिशानिर्देश 2013 जारी होने के 11 वर्ष से अधिक समय बाद।

इस प्रकार, राज्य स्तरीय तकनीकी एवं गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना में विलंब के कारण, प्रगतिरत कार्यों की गुणवत्ता का आकलन नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, जिला स्तरीय तकनीकी एवं गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना में विलंब के कारण, जिला स्तर के अधिकारियों ने 2019-24 के दौरान योजना के अंतर्गत पूर्ण किए गए कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी एवं मूल्यांकन नहीं किया।

राज्य सरकार द्वारा गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ के गठन में विलंब के कारणों की जानकारी नहीं दी।

5.3 जिला स्तर पर लोकपाल की स्थापना और शिकायतों का निवारण

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 का अनुच्छेद 13.14 यह प्रावधान करता है कि राज्य सरकार योजना के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए सभी जिलों में लोकपाल कार्यालय स्थापित करेगी।

लोकपालों को मनरेगा श्रमिकों और अन्य लोगों से निर्दिष्ट मामलों पर शिकायतें प्राप्त करने, उन पर विचार करने और कानून के अनुसार उनका निपटान करने का अधिकार होगा। लोकपाल को शिकायत प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर निर्णय पारित करना होगा।

राज्य सरकार ने सभी 33 जिलों में लोकपाल नियुक्त किए हैं। मनरेगा पोर्टल की एमआईएस रिपोर्ट की संवीक्षा से पता चला है कि फरवरी 2025 तक राज्य स्तर पर लोकपाल के पास 159 शिकायतें लंबित थीं, जिनमें से 136 (85.53 प्रतिशत) शिकायतें छह महीने से अधिक समय से लंबित थीं, जिनमें से 99 (62.26 प्रतिशत) शिकायतें एक वर्ष से अधिक समय से लंबित थीं।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि नमूना जाँच किए गए चार जिलों[2] में फरवरी 2025 तक लोकपाल के पास 23 शिकायतें अभी भी लंबित थीं, जिनमें से 20 शिकायतें[3] एक वर्ष से भी अधिक समय से लंबित थीं। शिकायतों का लंबे समय से लंबित रहना दर्शाता है कि विभाग ने कोई प्रभावी शिकायत निपटान तंत्र विकसित नहीं किया है।

नमूना जाँच की गई 40 ग्राम पंचायतों में किए गए लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि केवल 5 प्रतिशत (400 में से 20) लाभार्थियों को पता था कि शिकायत निवारण के लिए जिला स्तर पर एक लोकपाल है।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि मई 2025 तक संबंधित लोकपालों द्वारा 159 लंबित शिकायतों में से 43 का समाधान कर दिया गया है। शिकायतों के निवारण के लिए समय-समय पर सभी लोकपालों को स्मरणपत्र जारी किए गए हैं।

5.4 शिकायत निवारण हेतु अपीलीय प्राधिकरण

भारत सरकार द्वारा जारी (अगस्त 2017) संशोधित दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 13.4 के अनुसार, लोकपाल के निर्णयों से व्यथित किसी भी पक्ष के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए एक तीन-

[2] नागौरः 10 शिकायतें, जैसलमेरः 10 शिकायतें, बांसवाड़ाः एक शिकायत और कोटाः दो शिकायतें।

[3] नागौरः 10 शिकायतें, जैसलमेरः नौ शिकायतें और बांसवाड़ाः एक शिकायत।

सदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण, जिसमें एक शिक्षाविद्, एक सेवानिवृत्त सिविल सेवक और एक नागरिक समाज प्रतिनिधि शामिल होंगे, गठित किया जाना था।

यह देखा गया कि जैसा की दिशानिर्देशों में अपेक्षित था राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर अपीलीय प्राधिकरण गठित नहीं किया।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (सितंबर 2025) कि राज्य स्तरीय लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण के तीन सदस्यों (शिक्षाविद, सेवानिवृत्त सिविल सेवक और नागरिक समाज संगठन श्रेणी) की नियुक्ति कर दी गई है और राज्य में लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है।

तथ्य यह है कि दिशा-निर्देश जारी होने के आठ साल की देरी से अपीलीय प्राधिकरण की नियुक्ति की गई है।

5.5 शिकायतों का निपटान

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 13.13.1 के अनुसार, राज्य सरकार, नियमों द्वारा, योजना के कार्यान्वयन के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी शिकायत से निपटने के लिए ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र निर्धारित करेगी और ऐसी शिकायतों के निपटान के लिए प्रक्रिया निर्धारित करेगी।

आयुक्त, ईजीएस द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना की संवीक्षा से पता चला कि 2019-24 के दौरान आयुक्त, ईजीएस को 915 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से, 502 शिकायतों का समाधान किया गया और 413 शिकायतें[4] (45.14 प्रतिशत) अगस्त 2024 तक लंबित थीं, जिनमें से 65 लंबित शिकायतें (7.10 प्रतिशत) 2021-22 और 2022-23 की अवधि से संबंधित थीं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए पाँच जिलों में श्रमिकों को मजदूरी भुगतान, निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री के उपयोग, कार्यों में जेसीबी मशीनों के उपयोग आदि से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। नमूना जाँच किए गए जिलों में शिकायतों के निपटान का विवरण नीचे दिया गया है :

- बांसवाड़ा जिले में 2019-24 के दौरान प्राप्त सभी 76 शिकायतों का जुलाई 2024 तक अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (एडीपीसी) द्वारा निपटान कर दिया गया।

[4] 2019-20: 22 शिकायतें प्राप्त हुई और सभी का समाधान हो गया, 2020-21: 69 शिकायतें प्राप्त हुई और सभी का समाधान हो गया, 2021-22: 107 शिकायतें प्राप्त हुई और 10 लंबित, 2022-23: 227 शिकायतें प्राप्त हुई और 55 लंबित, 2023-24: 490 शिकायतें प्राप्त हुई और 348 लंबित।

- चित्तौड़गढ़ जिले में वर्ष 2023-24 में प्राप्त आठ शिकायतों में से दो शिकायतें लंबित (जुलाई 2024) थीं।

- कोटा जिले में 2019-23 की अवधि के लिए शिकायत रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया, जिसके कारण यह पता नहीं चल सका कि कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं। हालाँकि, वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त सभी 31 शिकायतों का निपटान कर दिया गया।

- नागौर जिले में, 2019-23 के दौरान प्राप्त 197 शिकायतों में से 108 सितंबर 2024 तक लंबित थीं।

- जैसलमेर जिले में, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

नमूना-जाँच की गई 40 ग्राम पंचायतों में किए गए लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि 67 प्रतिशत (400 लाभार्थियों में से 268) लाभार्थियों को शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी नहीं थी।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि 2019-24 के दौरान प्राप्त केवल 77 शिकायतें लंबित हैं, जो केवल वर्ष 2023-24 से संबंधित हैं। चित्तौड़गढ़, कोटा और नागौर जिलों को अनुपालना हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

5.6 सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 13.6.2, 13.6.3 और 13.6.4 यह प्रावधान करते हैं कि राज्य स्तर पर एक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) से युक्त एक सतर्कता प्रकोष्ट, जिला स्तर पर जिला स्तरीय प्राधिकरण के अधीन एक जिला सतर्कता प्रकोष्ठ और स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद एक सतर्कता एवं निगरानी समिति गठित की जानी हैं। इन प्रकोष्ठों का गठन योजना के कार्यान्वयन के बारे में शिकायतें प्राप्त करने, अनियमितताओं का पता लगाने के लिए नियमित रूप से क्षेत्रीय दौरे करने, मीडिया में आने वाली रिपोर्टों के आधार पर स्वतः कार्रवाई करने, कार्यस्थलों का दौरा करने और मजदूरों से बातचीत करने के लिए किया जाना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य स्तर पर सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन फरवरी 2025 में परिचालन दिशानिर्देश 2013 जारी होने के 11 वर्ष से भी अधिक समय बाद किया था।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थानीय स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी

समिति का गठन नहीं किया गया था। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, कोटा और नागौर जिलों में सतर्कता प्रकोष्ठ के गठन से संबंधित जानकारी माँगे जाने (जुलाई-दिसंबर 2024) के बावजूद भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि नागौर जिलों में सतर्कता समिति का गठन कर दिया गया है। हालाँकि, नागौर जिले में सतर्कता समिति के गठन की तिथि सूचित नहीं की गई और अन्य चयनित जिलों के लिए कोई उत्तर नहीं दिया गया।

5.7 आवधिक निरीक्षण

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने क्षेत्रीय अधिकारी निगरानी भ्रमण ऐप लॉन्च (मई 2021) किया है। इस ऐप का उद्देश्य ग्रामीण विकास योजनाओं का वास्तविक समय पर निरीक्षण और साक्ष्य आधारित रिपोर्टिंग करना है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए गए क्षेत्रीय निरीक्षण की परिणाम रिपोर्ट देखने का प्रावधान भी ऐप में उपलब्ध है।

'क्षेत्रीय अधिकारी एप्लीकेशन' पर उपलब्ध रिपोर्ट 'लक्ष्य बनाम कार्यस्थल निरीक्षण रिपोर्ट' की संवीक्षा से पता चला कि 2021-22 से 2023-24 के दौरान जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी), अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (एडीपीसी), कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता को दिए गए लक्ष्यों के मुकाबले कार्यस्थल निरीक्षण बहुत कम थे, जैसा कि नीचे **तालिका 5.1** में दिखाया गया है:

तालिका 5.1: 2021-22 से 2023-24 के दौरान लक्ष्यों के विरुद्ध कार्यस्थल निरीक्षण

वर्ष	डीपीसी		एडीपीसी		अधिशाषी अभियंता		सहायक अभियंता		कनिष्ठ अभियंता	
	लक्ष्य	कार्यस्थल निरीक्षण	लक्ष्य	कार्यस्थल निरीक्षण	लक्ष्य	कार्यस्थल निरीक्षण	लक्ष्य	कार्यस्थल निरीक्षण	लक्ष्य	कार्यस्थल निरीक्षण
2021-22	3960	235	3960	1403	3960	301	3960	239	3960	0
2022-23	3960	2105	3960	3439	3960	2064	3960	370	3960	0
2023-24	3960	1472	3960	2968	3960	3506	3960	573	3960	0
योग	**11880**	**3812 (32%)**	**11880**	**7810 (66%)**	**11880**	**5871 (49%)**	**11880**	**1182 (10%)**	**11880**	**0**

(स्रोतः एरिया ऑफिसर ऐप डेटा)

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 2021-22 से 2023-24 के दौरान डीपीसी, एडीपीसी, अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता द्वारा किए गए कार्य स्थल निरीक्षण का

प्रतिशत क्रमशः 32 प्रतिशत, 66 प्रतिशत, 49 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 0 प्रतिशत था। वर्ष 2019-20 से 2020-21 तक की रिपोर्ट 'क्षेत्रीय अधिकारी' एप पर अपलोड नहीं की गई।

इसके अलावा, नमूना-जांच किए गए पांच जिलों में 2021-22 से 2023-24 के दौरान लक्ष्यों के विरुद्ध कार्य स्थल निरीक्षण काफी कम थे। नमूना-जांच किए गए किसी भी जिले में कनिष्ठ अभियंता द्वारा कार्य स्थल निरीक्षण नहीं किया गया और चित्तौड़गढ़ जिले में केवल सहायक अभियंता द्वारा कार्य स्थल निरीक्षण किया गया, जो लक्ष्य के विरुद्ध केवल 24 प्रतिशत था। नमूना-जांच किए गए पांच जिलों में लक्ष्यों के विरुद्ध कार्य स्थल निरीक्षण की स्थिति ***परिशिष्ट 5.1*** में दर्शाई गई है:

आयुक्त, ईजीएस ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि कोविड-19 महामारी और राज्य चुनावों के कारण वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक कम निरीक्षण किए गए।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा के जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक को अनुपालना रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। एडीपीसी, नागौर ने बताया कि निरीक्षण बढ़ाने के प्रयास किए जाएँगे और एडीपीसी, जैसलमेर ने खंड विकास अधिकारीयों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

5.8 अनिवार्य अभिलेखों का संधारण

भारत सरकार ने योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अभिलेखों के उचित संधारण हेतु निर्देश जारी किए (अक्टूबर 2016) और सात रजिस्टरों[5] के सरलीकृत प्रारूप प्रदान किए। ये रजिस्टर क्षेत्रीय स्तर के कर्मियों के कामकाज को आसान बनाने और सूचना की गुणवत्ता से समझौता किए बिना कार्य के दोहराव को कम करने के उद्देश्य से, विशेषकर मजदूरों के अधिकारों से संबंधित, डिज़ाइन किए गए हैं।

नमूना-जाँच की गई 40 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई से नवंबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि केवल 16 ग्राम पंचायतों में ही सभी सात रजिस्टर संधारित किए जा रहे हैं। आठ[6] ग्राम पंचायतों ने शिकायत रजिस्टर संधारित नहीं किया, एक[7] ग्राम पंचायत ने संपत्ति रजिस्टर संधारित नहीं किया, 14[8] ग्राम पंचायतों ने इन सात रजिस्टरों को

---

[5] I - जॉब कार्ड रजिस्टर (आवेदन, पंजीकरण, जॉब कार्ड जारी करना) और परिवार रोजगार रिपोर्ट; II - ग्राम सभा रजिस्टर; III - कार्य की माँग, कार्य का आवंटन और मजदूरी भुगतान रजिस्टर; IV - कार्य का रजिस्टर; V - अचल संपत्ति रजिस्टर; VI - शिकायत रजिस्टर; और VII - सामग्री रजिस्टर।

[6] जगपुरा, डोलिया, रंगपुर, मंडाना, कसार, किसनपुरा, बश्याहेड़ी और श्यामपुरा

[7] मस्का महुडी

[8] टोगा, मंडई, फतेहगढ़, उत्तम नगर, चकुदा, छापरी, मुंगाणा, रोलिया, बालसमंद, ढिंगसरी, तंवरा, जूसरी, सफेद बड़ी, सरनावदा।

आंशिक रूप से संधारित किया और एक[9] ग्राम पंचायत ने कोई रजिस्टर संधारित नहीं किया।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि सभी जिलों को निर्धारित रजिस्टर संधारित किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

5.9 सामाजिक लेखापरीक्षा में इंगित वित्तीय दुर्विनियोजनों की वसूली

मनरेगा लेखापरीक्षा नियम 2011 की धारा 7(3)(सी) यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक जिला कार्यक्रम समन्वयक या उसकी ओर से कोई भी अधिकारी गबन की गई या अनुचित तरीके से उपयोग की गई राशि की वसूली के लिए कदम उठाएगा और इस प्रकार वसूली गई राशि के लिए एक अलग खाते का संधारण करेगा।

निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (एसएसएएटी) द्वारा प्रदान की गई सूचना (जनवरी 2025) की संवीक्षा से पता चला है कि 2021-22 से 2023-24 के दौरान राज्य स्तर पर सामाजिक लेखा परीक्षा के दौरान मनरेगा कार्यों में 140 मामलों में ₹ 3.91 करोड़ रुपये की वित्तीय हेराफेरी की पहचान की गई थी, इनमें से जनवरी 2025 तक 41 मामलों में केवल ₹ 92.23 लाख रुपये (23.58 प्रतिशत) की वसूली की गई थी, जैसा कि नीचे **तालिका 5.2** में विवरण के बाद दिया गया है।

तालिका 5.2: सामाजिक लेखापरीक्षा में इंगित वित्तीय दुर्विनियोजन की वसूली की स्थिति

(₹ लाख में)

वर्ष	मामलों की संख्या जिनसे वित्तीय दुर्विनियोजन राशि वसूल की जानी थी	वसूली की जाने वाली राशि	मामलों की संख्या जिनमें राशि वसूल की गई	कुल वसूल की गई राशि	वसूली का प्रतिशत
2021-22	01	0.12	01	0.12	100
2022-23	51	122.27	18	76.13	62.26
2023-24	88	268.77	22	15.98	5.95
कुल	**140**	**391.16**	**41**	**92.23**	**23.58**

(स्रोतः एसएसएएटी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

यह भी पाया गया कि वर्ष 2007-08 से 2019-20 तक सामाजिक लेखापरीक्षा में इंगित ₹ 42.77 लाख की वित्तीय अनियमितताओं के मामले, अप्रैल 2023 तक 3 से 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी जिला स्तर पर वसूल नहीं किए गए।

[9] महुडी

नमूना-जांच किए गए पाँच जिलों में, वर्ष 2021-24 के दौरान ₹ 2.83 करोड़ की वित्तीय अनियमितताएँ इंगित की गईं, जिनमें से चित्तौड़गढ़ जिले में दिसंबर 2024 तक केवल ₹ 0.20 लाख की वसूली की गई, जैसा कि नीचे **तालिका 5.3** में दिया गया विवरण है:

तालिका 5.3: सामाजिक लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किए गए जिलों में इंगित की गई दुर्विनियोजन राशि की वसूली की स्थिति

(₹ लाख में)

क्र. स.	जिले का नाम	दुर्विनियोजन की गई राशि	वसूल की गई राशि	शेष राशि
1.	चित्तौड़गढ़	112.88	0.20	112.68
2.	बांसवाड़ा	27.05	00	27.05
3	नागौर	50.80	00	50.80
4	कोटा	29.88	00	29.88
5	जैसलमेर	62.50	00	62.50
कुल		**283.11**	**0.20**	**282.91**

(स्रोतः एसएसएएटी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

उपरोक्त के अतिरिक्त, नमूना-जाँच किए गए किसी भी जिले में वसूली गई राशि के लिए अलग बैंक खाता संधारित नहीं किया गया था। केवल एडीपीसी, जैसलमेर ने उत्तर (नवंबर 2024) दिया और अवगत कराया कि सामाजिक अंकेक्षण में दर्शाई गई राशि वसूल की जाएगी और अलग खाते संधारित किये जाएंगे।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि संबंधित जिला परिषदों को 2021-24 के दौरान सामाजिक अंकेक्षण में इंगित की गई शेष ₹ 2.99 करोड़ की राशि की वसूली और 2007-08 से 2019-20 के दौरान इंगित की गई वित्तीय अनियमितताओं की बकाया राशि की वसूली/समायोजन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

5.10 सामाजिक लेखापरीक्षा में इंगित टिप्पणियों पर सुधारात्मक उपायों के लंबित रहने की स्थिति

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 का अनुच्छेद 13.4.2 यह प्रावधान करता है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

निदेशक, एसएसएएटी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना (नवंबर 2024) के अनुसार, 2019-24 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा में उठाई गई लंबित टिप्पणियों की स्थिति नीचे **तालिका 5.4** में दी गई है:

तालिका 5.4: लंबित सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों की स्थिति

वर्ष	सामाजिक लेखापरीक्षा में उठाई गई टिप्पणियों की संख्या	निपटाई गई टिप्पणियों की संख्या	लंबित टिप्पणियों की संख्या	लंबित टिप्पणियों का प्रतिशत
2019-20	571	80	491	85.99
2020-21	40	35	05	12.50
2021-22	55	28	27	49.09
2022-23	474	429	45	09.49
2023-24	1391	154	1237	88.93
कुल	**2531**	**726**	**1805**	**71.32**

(स्रोतः एसएसएएटी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 2019-24 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा में उठाए गए कुल 2531 टिप्पणियों में से 71.32 प्रतिशत टिप्पणियां सुधारात्मक उपायों के अभाव में लंबित थी। 2019-20 में उठाई गई 85.99 प्रतिशत टिप्पणियां चार वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नवंबर 2024 तक लंबित थी।

इसके अलावा, नमूना-जांच किए गए पाँच जिलों में, 2019-24 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा में उठाई गई 50 प्रतिशत से 97.72 प्रतिशत टिप्पणियां नवंबर 2024 तक लंबित थी (बांसवाड़ाः 50 प्रतिशत, चित्तौड़गढ़ः 97.50 प्रतिशत, कोटाः 97.72 प्रतिशत, नागौरः 79.59 प्रतिशत और जैसलमेरः 72.94 प्रतिशत)।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक सामाजिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा जारी 2531 आपत्तियों में से 916 का संबंधित जिलों द्वारा निस्तारण/समायोजन कर दिया गया है। सामाजिक लेखापरीक्षा में उठाई गई लंबित आपत्तियों के निस्तारण एवं समायोजन हेतु सभी जिलों को समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं।

5.11 समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा

मास्टर सर्कुलर 2019-20 के अनुच्छेद 10.1.12 के अनुसार, सभी कार्यों की हर माह समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा की जाएगी । इस प्रयोजन के लिए, स्वयं सहायता समूहों, ग्राम सामाजिक लेखापरीक्षकों, ग्राम निगरानी समितियों और अन्य ग्राम स्तरीय संगठनों को सप्ताह के एक निश्चित दिन ग्राम पंचायत में किए गए कार्यों और व्यय के सभी अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। आवश्यकतानुसार, कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अभिलेखों की प्रतियाँ नाममात्र की लागत पर उपलब्ध कराई जाएँगी। ग्राम निगरानी समितियां प्रत्येक चालू कार्यस्थल का महीने में एक बार दौरा कर सकती है। ग्राम निगरानी समिति अपनी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करके उसे कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

सभी चयनित ब्लॉकों से एकत्रित अभिलेखों और सूचनाओं की संवीक्षा से पता चला कि किसी भी चयनित पंचायत समिति में चयनित प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए न तो ग्राम निगरानी समिति

का गठन किया गया और न ही समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी। घाटोल, फतेहगढ़ और मकराना पंचायत समितियों ने तथ्य स्वीकार किए और शेष सात पंचायत समितियों ने मांगे जाने के बावजूद (सितंबर-जनवरी 2025) भी जवाब नहीं दिए।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि समवर्ती लेखापरीक्षा एसएसएएटी के दायरे में नहीं आती है, परन्तु ग्राम निगरानी समिति के गठन और ग्राम निगरानी समिति या किसी अन्य ग्राम स्तरीय संगठन द्वारा समवर्ती लेखापरीक्षा करने के बारे में कोई जवाब नहीं दिया।

5.12 मनरेगा श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) में पंजीकरण

ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश (दिसंबर 2021) के अनुसार, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थी परिवारों को ई-श्रम पोर्टल में पंजीकृत करना अनिवार्य था, ताकि श्रमिक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत ₹ 2 लाख की दुर्घटना बीमा योजना का लाभ भी प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त, आयुक्त, ईजीएस (अक्टूबर 2022) ने जिला कार्यक्रम समन्वयकों को महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना[10] (पीएम-एसवाईएम) में पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें पंजीकृत करने के निर्देश दिए।

एमआईएस रिपोर्ट की संवीक्षा से पता चला कि राज्य स्तर पर मनरेगा के 1.24 करोड़ सक्रिय श्रमिकों में से केवल 46.70 लाख (37.66 प्रतिशत) श्रमिक ई-श्रम पोर्टल में पंजीकृत थे और फरवरी 2025 तक पीएम-एसवाईएम में 14.29 लाख (11.52 प्रतिशत) श्रमिक पंजीकृत थे।

नमूना जाँच किए गए पाँच जिलों में, फरवरी 2025 तक 17.99 प्रतिशत से 79.17 प्रतिशत तक श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर और 2.03 प्रतिशत से 22.05 प्रतिशत तक श्रमिक पीएम-एसवाईएम पर पंजीकृत थे। कोटा जिले में ई-श्रम पोर्टल पर सबसे अधिक 79.17 प्रतिशत श्रमिक पंजीकृत थे। नागौर जिले की स्थिति ख़राब थी जैसे कि यहाँ ई-श्रम पोर्टल पर 17.99 प्रतिशत श्रमिक और पीएम-एसवाईएम पर 2.03 प्रतिशत श्रमिक पंजीकृत थे। विवरण नीचे **तालिका 5.5** में दिया गया है :

[10] यह भारत सरकार की एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह ₹ 3000/- की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी और साथ ही पति/पत्नी के लिए पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है।

तालिका 5.5: फरवरी 2025 तक ई-श्रम पोर्टल और पीएम-एसवाईएम पर श्रमिकों के पंजीकरण की स्थिति

जिले का नाम	सक्रिय श्रमिक	ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या	पीएम-एसवाईएम पर पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या
बांसवाड़ा	717039	300007 (41.84%)	21470 (2.99%)
चित्तौड़गढ़	259142	72552 (28.00%)	15684 (6.05%)
जैसलमेर	233628	61925 (26.51%)	51513 (22.05%)
कोटा	184720	146239 (79.17%)	10128 (5.48%)
नागौर	756859	136194 (17.99%)	15381 (2.03%)

(स्रोतः नरेगा -सॉफ्ट की एमआईएस रिपोर्ट)

ई-श्रम पोर्टल और पीएम-एसवाईएम पर पंजीकरण में विभाग की ढिलाई के कारण, मजदूरों को योजनाओं के लाभ से काफी हद तक वंचित रहना पड़ा।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025 में) कराया कि राज्य स्तर पर मनरेगा श्रमिकों के ई-श्रम पोर्टल/पीएम-एसवाईएम पर अधिकतम पंजीकरण के लिए निर्देश जारी करने के बाद समय-समय पर निगरानी की गई है। तथ्य यह है कि फरवरी 2025 तक राज्य स्तर पर मनरेगा श्रमिकों में से केवल 37.66 प्रतिशत और 11.52 प्रतिशत ही क्रमशः ई-श्रम पोर्टल और पीएम-एसवाईएम पर पंजीकृत हो पाए हैं।

5.13 निष्कर्ष और सिफारिशें

राज्य में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र अच्छी तरह से स्थापित और कार्यात्मक नहीं है। परिचालन दिशानिर्देश 2013 जारी होने के 11 साल से अधिक समय के बाद राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय तकनीकी एवं गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ गठित किए गए थे। लोकपाल के निर्णयों के विरुद्ध अपील पर विचार करने के लिए गठित की जाने वाली अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति में आठ साल की देरी हुई है, जिससे पीड़ित व्यक्ति को लोकपाल के निर्णयों के विरुद्ध अपील करने के अधिकार से वंचित रहना पड़ा। 2021-22 से 2023-24 के दौरान जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा योजना के तहत निष्पादित कार्यों का आवधिक निरीक्षण 0 से 66 प्रतिशत के बीच रहा। नमूना जाँच की गई 60 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में योजना के तहत आवश्यक अभिलेखों का संधारण सुनिश्चित नहीं किया गया।

योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्यों के सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान इंगित वित्तीय अनियमितताओं की वसूली राज्य स्तर पर केवल 23.58 प्रतिशत तक थी। इसके अतिरिक्त, सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई पर्याप्त संख्या में आपत्तियाँ, राज्य और नमूना जाँच किए गए ज़िलों के स्तर पर सुधारात्मक कार्रवाई के अभाव में लंबित थीं।

सिफारिशें:

9. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्यों की प्रभावी निगरानी के लिए अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आवधिक निरीक्षण किए जाएँ और ग्राम पंचायतों में सभी अनिवार्य रजिस्टर संधारित किये जाएँ।

जयपुर, **(रामावतार शर्मा)**

24 फरवरी 2026 **महालेखाकार**

(लेखापरीक्षा-I), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली, **(के. संजय मूर्ति)**

26 फरवरी 2026 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ अनुच्छेद 1.4)

राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्यात्मक ज़िम्मेदारियां दर्शाए जाने वाला विवरण

स्तर	योजना के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी/प्राधिकारी	कार्य एवं उत्तरदायित्व
राज्य स्तर	राज्य रोजगार गारंटी परिषद	योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार को सलाह देना, मुख्य कार्यों को निर्धारित करना, समय-समय पर निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र की समीक्षा करना और राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाने वाला वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना।
	राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी आयुक्त	राज्य में योजना के क्रियान्वयन का सम्पूर्ण पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण और योजना के प्रभाव का आंकलन करने के लिए प्रतिष्ठित एजेंसियों को सूचीबद्ध करना।
जिला स्तर	जिला परिषद्	• योजना के क्रियान्वयन के नियोजन एवं समीक्षा के लिए मुख्य प्राधिकारी, जिला/ब्लॉक ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्लान का अनुमोदन करना। • ब्लॉक-वार परियोजनाओं की सूची को अंतिम रूप देना एवं अनुमोदन करना। • अपने प्रस्तावों एवं अन्य लाइन विभागों से प्राप्त प्रस्तावों के कार्यों का निष्पादन करना। • अधिनियम के क्रियान्वयन का पूर्ण पर्यवेक्षण तथा निगरानी करना।
	जिला कार्यक्रम समन्वयक	• जिला पंचायत को उसके काम करने में मदद करना। • कार्यों की सूची में सम्मिलित करने के लिए ब्लॉक पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजना को समेकित करना। • कार्यक्रम अधिकारियों के कार्यों के पर्यवेक्षण तथा अनुमोदन में समन्वय करना। • प्रगतिरत कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण करना।
ब्लॉक स्तर	पंचायत समिति	ब्लॉक स्तर पर योजना तैयार करना एवं कार्यों की प्राथमिकता निर्धारण और क्रियान्वयन की निगरानी करना।
	कार्यक्रम अधिकारी	• ग्राम पंचायतों के दिए गए प्रस्तावों की तकनीकी व्यहार्यता की जांच करना। ब्लॉक स्तर पर कार्यों की मांग के अनुसार रोजगार के अवसरों का मिलान करना। • यह सुनिश्चित करना कि (i) कार्य निर्धारित समय पर हो, (ii) कार्य पर लगे श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान हो और (iii) सामाजिक लेखापरीक्षा हो।
ग्राम स्तर	ग्राम पंचायत	कार्य योजना बनाना, परिवारों का पंजीकरण, जॉब कार्ड जारी करना, रोजगार आवंटन और योजना का क्रियान्वयन करना और सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करना।
लाइन विभाग एवं अन्य	लाइन विभाग-वन, सिंचाई इत्यादि गैर-सरकारी संगठन	• प्राक्कलन तैयार करने, माप करने, निष्पादित किए गए कार्य का पर्यवेक्षण करने में तकनीकी सहायता करना। • कार्य निष्पादन इत्यादि।

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ अनुच्छेद 1.7)

चयनित जिलों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों का विवरण दर्शाने वाला विवरण

जिलों के नाम	पंचायत समितियों के नाम	चयनित ग्राम पंचायतों के नाम
बांसवाडा	सज्जनगढ़ (निम्न स्तर)	गोडा
		महुडी
		डूंगरा कलां
		मस्का महुडी
	घाटोल (उच्च स्तर)	गोलियावाडा
		भोयर
		जगपुरा
		चिरावाला गडा
कोटा	लाडपुरा (निम्न स्तर)	डोलिया
		मंडाना
		कसार
		रंगपुर
	सांगोद (उच्च स्तर)	किसनपुरा
		बास्याहेडी
		श्यामपुरा
		कनवारा
चित्तौड़गढ़	बड़ी सादड़ी (निम्न स्तर)	कचुमरा
		खेरमालिया
		कीरतपुरा
		मुन्जवा
	कपासन (उच्च स्तर)	चाकुडा
		छापरी
		मंगाना
		रोलिया
नागौर	लाडनूं (निम्न स्तर)	बालसमंद
		ढिंगसरी
		मांगलपुरा
		तंवरा
	मकराना (उच्च स्तर)	दोबडीकलां
		जूसरी
		सफ़ेद बड़ी
		सरनावदा
जैसलमेर	सम (उच्च स्तर)	सगरों की बस्ती
		कोटडी
		लूणार
		सिपला
	फतेगढ़ (निम्न स्तर)	टोगा
		मंडाई
		फतेगढ़
		उतम नगर

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ अनुच्छेद 2.2)

ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्य योजनाओं में कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित नहीं करना

जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वार्षिक कार्य योजना के वर्ष जिनमें की कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित नहीं की गई
बांसवाडा	सज्जनगढ़	गोडा	2022-23, 2023-24
		डूंगरा कलां	2020-21, 2021-22
		महुडी	2020-21
		मस्का महुडी	2022-23
	घाटोल	गोलियावाडा	2021-22, 2022-23
चित्तौड़गढ़	बड़ी सादड़ी	कीरतपुरा	2020-21, 2022-23, 2023-24
जैसलमेर	सम	सिपला	2021-22, 2022-23
		कोटडी	2022-23, 2023-24
		सगरो की बस्ती	2021-22, 2022-23, 2023-24
कोटा	लाडपुरा	डोलिया	2019-20, 2020-21, 2021-22
		रंगपुर	2021-22
		कसार	2020-21, 2021-22, 2023-24
	सांगोद	किसनपुरा	2022-23
		बास्याहेडी	2021-22, 2022-23
		कनवास	2021-22, 2022-23
नागौर	मकराना	सफ़ेदबड़ी	2019-20, 2020-21,2021-22, 2022-23, 2023-24

परिशिष्ट - 2.2

(संदर्भ अनुच्छेद 2.6)

राज्य स्तर पर आयोजित किये गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं	वर्ष	कोर्स	विषय	हितधारक	प्रस्तावित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	2019-20 (04.10.2019)	कोर्स -II	आईएनआरएम योजना तैयार करना	नोडल ऑफिसर (इंजीनियर) कम्प्यूटर ओपरेटर	66	66
2	2022-23 (28.07.2022)	कोर्स -I	मॉडल प्राक्कलन की लागत, डिज़ाइन, उपयोग एवं गुणवत्ता	1.अधीक्षण अभियंता/ अधिशाषी अभियंता /सहायक अभियंता 2. विकास अधिकारी 3.ग्राम विकास अधिकारी 4.कनिष्ठ तकनीकि सहायक	80	90
3	2022-23 (29.07.2022)	कोर्स -I	मॉडल प्राक्कलन की लागत, डिज़ाइन, उपयोग एवं गुणवत्ता	1.अधीक्षण अभियंता/ अधिशाषी अभियंता /सहायक अभियंता 2. विकास अधिकारी 3.ग्राम विकास अधिकारी 4.कनिष्ठ तकनीकि सहायक	80	81
4	2022-23 (30.07.2022)	कोर्स -I	मॉडल प्राक्कलन की लागत, डिज़ाइन, उपयोग एवं गुणवत्ता	1.अधीक्षण अभियंता/ अधिशाषी अभियंता /सहायक अभियंता 2. विकास अधिकारी 3.ग्राम विकास अधिकारी 4.कनिष्ठ तकनीकि सहायक	80	105
5	2022-23 (17.11.2022)	कोर्स -I	अमृत सरोवर, न्यूट्री गार्डन और उत्कृष्ट कार्यों की सफलता की कहानियां	आईईसी समन्वयक	33	28
6	2022-23 (09.12.2022)	कोर्स -III	सीएमआरइजीएस योजना को लागू करने के लिए सिविल सोसाइटी समूह के साथ विमर्श	सिविल सोसाइटी समूह	26	21
7	2022-23 (16.12.2022)	क्लास -II	नरेगा सोफ्टवेयर तकनीकी बिंदु	जिला और ब्लॉक स्तर पर काम करने वाले एमआईएस मैनेजर	80	64
8	2022-23 (13-15.03.2023)	जीआईएस	ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा की जीआईएस आधारित योजना और निगरानी युक्तधारा (एनआईआरडी द्वारा)	प्रत्येक जिले से जीआईएस से सम्बंधित कार्य दो कर्मचारी कर रहे हैं	17	17
9	2022-23 (16-18.03.2023)	जीआईएस	ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा की जीआईएस आधारित योजना और निगरानी युक्तधारा (एनआईआरडी द्वारा)	प्रत्येक जिले से जीआईएस से सम्बंधित कार्य दो कर्मचारी कर रहे हैं	16	16
10	2023-24 (24.05.2023)	क्लास -I	वृक्षमाला नदी तट संरक्षण के तहत पौधारोपण	अधिशाषी अभियंता /तकनीकी अधिकारी	66	21

क्र.सं	वर्ष	कोर्स	विषय	हितधारक	प्रस्तावित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
11	2023-24 (04-06.07.2023)	जीआईएस	"ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा की जीआईएस आधारित योजना और निगरानी युक्तधारा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनआईआरडी द्वारा)	जिला-जयपुर पंचायत समिति -22 प्रत्येक पंचायत समिति से -जेटीए/एमआईएस/डीईओ	44	36
12	2023-24 (10-12.07.2023)	जीआईएस	"ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा की जीआईएस आधारित योजना और निगरानी युक्तधारा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनआईआरडी द्वारा)	जिला -उदयपुर पंचायत समिति -20 प्रत्येक पंचायत समिति से जेटीए/एमआईएस/डीईओ	40	37
13	2023-24 (13-15.07.2023)	जीआईएस	"ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा की जीआईएस आधारित योजना और निगरानी युक्तधारा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनआईआरडी द्वारा)	जिला -बाडमेर पंचायत समिति -21 प्रत्येक पंचायत समिति से जेटीए/एमआईएस/डीईओ	42	40
14	2023-24 (17-19.07.2023)	जीआईएस	"ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा की जीआईएस आधारित योजना और निगरानी युक्तधारा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनआईआरडी द्वारा)	जिला-जोधपुर पंचायत समिति -21 प्रत्येक पंचायत समिति से जेटीए/एमआईएस/डीईओ	42	42
15	2023-24 (20-22.07.2023)	जीआईएस	"ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा की जीआईएस आधारित योजना और निगरानी युक्तधारा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनआईआरडी द्वारा)	जिला-बूंदी पंचायत समिति -05 जिला -प्रतापगढ़ पंचायत समिति -08 जिला-चुरू पंचायत समिति -07 कुल पंचायत समिति -20 प्रयेक पंचायत समिति से जेटीए/एमआईएस/डीईओ	40	39
16	2023-24 (24-26.07.2023)	जीआईएस	"ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा की जीआईएस आधारित योजना और निगरानी युक्तधारा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनआईआरडी द्वारा)	जिला-झालावाड पंस-08 जिला-सीकर पंचायत समिति -12 कुल पंचायत समिति -20 प्रत्येक पंचायत समिति से जेटीए/एमआईएस/डीईओ	40	40
17	2023-24	जीआईएस	"ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा की	जिला- करौली पंचायत समिति -08	40	37

क्र.सं	वर्ष	कोर्स	विषय	हितधारक	प्रस्तावित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
	(27-29.07.2023)		जीआईएस आधारित योजना और निगरानी युक्तधारा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनआईआरडी द्वारा)	जिला-टोंक पंचायत समिति -07 जिला-कोटा-05 कुल पंचायत समिति -20 प्रत्येक पंचायत समिति से जेटीए/एमआईएस/डीईओ		
18	2023-24 (31-07/2023-02.08.2023)	जीआईएस	"ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा की जीआईएस आधारित योजना और निगरानी युक्तधारा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनआईआरडी द्वारा)	जिला-पाली पंचायत समिति -10 जिला-डूंगरपुर पंचायत समिति -10 कुल पंस-20 प्रत्येक पंचायत समिति से जेटीए/एमआईएस/डीईओ	40	36
19	2023-24 (03-05.08.2023)	जीआईएस	"ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा की जीआईएस आधारित योजना और निगरानी युक्तधारा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनआईआरडी द्वारा)	जिला -अजमेर पंचायत समिति -11 जिला-गंगानगर पंचायत समिति -09 कुल पंचायत समिति -20 प्रत्येक पंचायत समिति से जेटीए/एमआईएस/डीईओ	40	40
20	2023-24 (10-12.08.2023)	जीआईएस	"ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा की जीआईएस आधारित योजना और निगरानी युक्तधारा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनआईआरडी द्वारा)	जिला-नागौर पंचायत समिति -15 जिला-सिरोही पंचायत समिति -05 कुल पंचायत समिति -20 प्रत्येक पंचायत समिति से जेटीए/एमआईएस/डीईओ	40	35
21	2023-24 (17-19.08.2023)	जीआईएस	"ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा की जीआईएस आधारित योजना और निगरानी युक्तधारा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनआईआरडी द्वारा)	जिला-भीलवाडा पंचायत समिति -14 जिला-धोलपुर पंचायत समिति -06 कुल पंस-20 प्रत्येक पंचायत समिति से जेटीए/एमआईएस/डीईओ	40	37
22	2023-24 (21-23.08.2023)	जीआईएस	"ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा की जीआईएस आधारित योजना और निगरानी युक्तधारा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनआईआरडी द्वारा)	जिला-दौसा पंचायत समिति -11 जिला-बीकानेर पंचायत समिति -09 कुल पंचायत समिति -20 प्रत्येक पंचायत समिति से जेटीए/एमआईएस/डीईओ	40	38
23	2023-24 (24-26.08.2023)	जीआईएस	"ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा की जीआईएस आधारित योजना और निगरानी युक्तधारा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	जिला -भरतपुर पंचायत समिति -12 जिला-बारां पंचायत समिति -08 कुल पंचायत समिति -20	40	38

क्र.सं	वर्ष	कोर्स	विषय	हितधारक	प्रस्तावित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
			(एनआईआरडी द्वारा)	प्रत्येक पंचायत समिति से जेटीए/एमआईएस/डीईओ		
24	2023-24 (04-06.09.2023)	जीआईएस	"ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा की जीआईएस आधारित योजना और निगरानी युक्तधारा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनआईआरडी द्वारा)	जिला-झुंझुनू पंचायत समिति -11 जिला-राजसमन्द पंचायत समिति -08 कुल पंचायत समिति -19 प्रत्येक पंचायत समिति से जेटीए/एमआईएस/डीईओ	38	38
25	2023-24 (11-13.09.2023)	जीआईएस	"ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा की जीआईएस आधारित योजना और निगरानी युक्तधारा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनआईआरडी द्वारा)	जिला- जालोर पंचायत समिति -10 जिला-बांसवाडा पंचायत समिति -11 कुल पंचायत समिति -21 प्रत्येक पंचायत समिति से जेटीए/एमआईएस/डीईओ	42	40
26	2023-24 (14.09.2023)	क्लास -I	एनएमएमएस, सिक्योर ई-मेप तथा जियो मनरेगा एवं अभिनव कार्य	अधिशाषी अभियंता-33 सहायक अभियंता-33 एमआईएस मेनेजर-33	99	82
27	2023-24 (14-16.09.2023)	जीआईएस	"ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा की जीआईएस आधारित योजना और निगरानी युक्तधारा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनआईआरडी द्वारा)	जिला-अलवर पंस -16 प्रत्येक पंचायत समिति से जेटीए/एमआईएस/डीईओ	32	30
28	2023-24 (18-20.09.2023)	जीआईएस	"ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा की जीआईएस आधारित योजना और निगरानी युक्तधारा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनआईआरडी द्वारा)	जिला - चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति -11 जिला-जैसलमेर पंचायत समिति -07 कुल पंस-18 प्रत्येक पंचायत समिति से जेटीए/एमआईएस/डीईओ	36	35
29	2023-24 (21-23.09.2023)	जीआईएस	"ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा की जीआईएस आधारित योजना और निगरानी युक्तधारा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनआईआरडी द्वारा)	जिला-सवाईमाधोपुर पंचायत समिति -07 जिला-हनुमानगढ़ जिला स्तर अभियंता एवं एमआईएस -06 कुल पंचायत समिति -14 प्रत्येक पंचायत समिति से जेटीए/एमआईएस/डीईओ	34	32
30	2023-24 (05.10.2023)	क्लास -II	समयपर भुगतान एवं यूसी/सीसी	जिला स्तरीय लेखाकार	33	29

क्र.सं	वर्ष	कोर्स	विषय	हितधारक	प्रस्तावित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
31	2023-24 (08-10.01.2024)	क्लास -I	समावेशी विकास के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना (एनआईआरडी द्वारा)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौसा/सीकर	2	2
32	2023-24 (09.02.2024)	क्लास -II	समयपर भुगतान एवं यूसी/सीसी	लेखाधिकारी,ईजीएस	33	31
33	2023-24 (12.02.2024)	क्लास -II	मनरेगा के तहत एमआईएस पर कार्यशाला	एमआईएस मेनेजर	33	30
34	2023-24 (24.02.2024)	क्लास -II	ऑनलाइन रिसीप्ट डिस्पैच एंड ई-फाइल	मुख्यालय नरेगा के कर्मचारी	50	46
35	2023-24 (27.02.2024)	क्लास -I	एडीपीसी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यशाला (अभिनव)	एडीपीसी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)	12	10
36	2023-24 (12.03.2024)	क्लास -I	नए कार्य मॉड्यूल, अनुमोदित कार्य मैपिंग और ई-वर्क फाइल -कार्यशाला	नरेगा मुख्यालय जयपुर के अधिकारी	3	3
					1519	**1412**

(स्रोतः आयुक्त, ईजीएस, राजस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये डेटा)

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ अनुच्छेद 2.8)

घटक वार प्राप्तियों एवं व्ययों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	सरकार से प्राप्तियां					विविध प्राप्तियां	कुल उपलब्ध निधियां	किया गया व्यय					कुल व्यय	अंतिम शेष	उपयोग का प्रतिशत
		सामग्री		मजदूरी	प्रशासनिक	कुल			सामग्री		मजदूरी	प्रशासनिक	विविध व्यय			
		केन्द्रांश	राज्यांश						केन्द्रांश	राज्यांश						
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)	8	9 (2+7+8)	10	11	12	13	14	15 (10+11+12+13+14)	16 (9-15)	17 (15/9*100)
2019-20	227.5	1766.38	588.8	5158.53	342.57	7856.28	20.2	8103.98	952.33	317.44	5158.58	466.11	1.94	6896.4	1207.58	85.10
2020-21	1207.58	685.83	228.61	8096.96	137.17	9148.57	18.25	10374.4	1115.29	371.77	8013.61	517.72	0.41	10018.8	355.6	96.57
2021-22	355.6	1812.44	750	7559.07	280.83	10402.34	29.76	10787.7	1736.07	578.69	7642.41	525.48	12.22	10494.87	292.83	97.29
2022-23	292.83	2572.97	741.8	6867.71	318.42	10500.9	15.15	10808.88	2362.81	787.6	6866.31	316.19	320.44	10653.35	155.53	98.56
2023-24	155.53	1948.21	649.41	6583.18	233.34	9414.14	6.87	9576.54	1365.13*	455.04*	6571.39	102.20	24.93	8518.69	1057.85	88.95
योग		**8785.83**	**2958.62**	**34265.45**	**1312.33**	**47322.23**	**90.23**		**7521.63**	**2510.54**	**34252.3**	**1927.7**	**359.94**	**46582.11**		**93.29**

(स्रोतः वार्षिक लेखे एवं विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना)

* *वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखों में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के लिए सामग्री घटक पर व्यय का वर्गीकरण 75:25 के अनुपात में है।*

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ अनुच्छेद 3.6)

नमूना जांच की गई 32 ग्राम पंचायतों में दिया जाने वाला बेरोजगारी भत्ता

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	श्रमिकों की संख्या जिनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाना था	दिए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते की राशि (₹ लाख में)
1.	सज्जनगढ़	2	1096	14.93
2.	घाटोल	4	899	12.17
3.	लाडपुरा	2	9	0.1
4.	सांगोद	3	278	3.17
5.	सम	3	1804	23.47
6	फतेगढ़	2	835	11.61
7	बड़ी सादड़ी	4	415	5.18
8	कपासन	4	42	0.61
9	मकराना	4	555	7.73
10	लाडनूं	4	93	1.29
योग		**32**	**6026**	**80.26**

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ अनुच्छेद 4.1)

चयनित जिलों में कार्यों के निष्पादन की स्थिति

(₹ करोड़ में)

जिला	वर्ष	अनुमोदित नए कार्य	पूर्ण कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों पर व्यय	अपूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों पर किया गया व्यय	शुरू नहीं हुए कार्यों की संख्या
बांसवाडा	2019-20	51368	50731	246.79	449	17.67	188
	2020-21	37538	34441	469.41	2355	113.31	742
	2021-22	52808	39318	575.48	10446	272.32	3044
	2022-23	15933	3745	1655.60	10385	210.33	1803
	2023-24	5167	844	34.23	3088	96.76	1235
	योग	**162814**	**129079**	**2981.51**	**26723**	**710.39**	**7012**
चित्तौड़गढ़	2019-20	8972	8437	11.79	297	8.70	238
	2020-21	7836	6407	177.74	966	29.62	463
	2021-22	11825	9672	131.16	918	41.56	1235
	2022-23	2886	948	72.45	1379	60.35	559
	2023-24	2156	252	26.54	1532	79.35	372
	योग	**33675**	**25716**	**419.68**	**5092**	**219.58**	**2867**
जैसलमेर	2019-20	7852	7519	41.28	197	3.88	136
	2020-21	10394	9791	165.49	495	23.91	108
	2021-22	22541	19092	293.90	2667	95.18	782
	2022-23	5911	1885	162.12	3543	120.34	483
	2023-24	6156	339	34.48	5089	145.69	728
	योग	**52854**	**38626**	**697.27**	**11991**	**389.00**	**2237**
कोटा	2019-20	6527	6296	54.65	173	4.54	58
	2020-21	3707	3182	79.52	285	11.89	240
	2021-22	10475	9228	92.14	750	24.66	497
	2022-23	2594	1035	51.16	1292	42.80	267
	2023-24	2695	487	30.24	1881	64.29	327
	योग	**25998**	**20228**	**307.71**	**4381**	**148.18**	**1389**
नागौर	2019-20	12168	11388	277.40	402	36.76	378
	2020-21	16388	13741	808.81	1143	52.12	1504
	2021-22	25193	19372	1012.26	3631	229.29	2190
	2022-23	5287	2317	271.22	2119	207.71	851
	2023-24	8090	408	79.18	6921	479.07	761
	योग	**67126**	**47226**	**2448.87**	**14216**	**1004.95**	**5684**
कुल योग		**342467**	**260875**	**6855.04**	**62403**	**2472.10**	**19189**

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ अनुच्छेद 4.4.1)

ग्राम पंचायत भवन निर्माण का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	स्वीकृत ग्राम पंचायत भवनों की संख्या	स्वीकृत राशि	पूर्ण कार्य		अपूर्ण/प्रारम्भ नहीं हुए कार्य	
				कार्यो की संख्या	किया गया व्यय	कार्यो की संख्या	किया गया व्यय
1.	छोटी सरवन	2	91.48	2	91.48	0	00
2.	गढ़ी	7	327.82	6	261.36	1	4.92
3.	घाटोल	12	548.88	12	484.84	0	00
4.	अरथुना	4	182.96	3	121.21	1	11.44
5.	गांगडतलाई	6	274.44	5	228.70	1	29.73
6.	बागीदोरा	7	320.18	6	274.44	1	29.73
7.	आनंदपुरी	5	228.7	5	228.7	0	00
8.	कुशलगढ़	13	600.56	12	472.69	1	2.29
9.	सज्जनगढ़	5	234.64	1	45.74	4	93.56
10.	बांसवाडा	6	274.48	6	274.48	0	00
11.	तलवाड़ा	6	278.66	3	121.24	3	44.51
12.	जैसलमेर	7	274.53	7	274.53	0	00
13	नाचना	5	175.00	5	175.00	0	00
14	मोहनगढ़	6	210.00	6	210.00	0	00
15	सम	15	559.95	9	327.47	6	197.48
16	फतेगढ़	11	385.00	10	350.00	1	00
17	सांकडा	8	289.08	06	212.20	2	25.00
18	भानियाना	14	507.98	12	427.98	2	07.00
योग		**139**	**5764.34**	**116**	**4582.06**	**23**	**445.66**

परिशिष्ट 4.3

(संदर्भ अनुच्छेद 4.5)

चयनित जिलों में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों पर किया गया व्यय

(₹ लाख में)

जिला	वित्तीय वर्ष	कुल व्यय	कृषि एवं कृषि संबद्ध गतिविधियों पर कुल व्यय	प्रतिशत
बांसवाडा	2019-20	34211.85	17767.94	51.94
	2020-21	46979.17	22100.02	47.04
	2021-22	64575.45	29709.36	46.01
	2022-23	52804.97	28377.77	53.74
	2023-24	58148.57	35533.17	61.11
चित्तौड़गढ़	2019-20	10281.14	5204.26	50.62
	2020-21	18036.24	9452.00	52.41
	2021-22	17151.95	7967.36	46.45
	2022-23	17590.25	7513.50	42.71
	2023-24	15001.55	8355.24	55.70
जैसलमेर	2019-20	18726.75	5466.55	29.19
	2020-21	15769.00	4149.81	26.32
	2021-22	27740.62	7092.44	25.57
	2022-23	26570.17	6503.76	24.48
	2023-24	39636.73	8209.51	20.71
कोटा	2019-20	8582.31	3001.14	34.97
	2020-21	10600.61	4270.04	40.28
	2021-22	8685.40	3669.49	42.25
	2022-23	10127.26	3777.78	37.30
	2023-24	9596.06	3620.91	37.73
नागौर	2019-20	44939.81	18689.27	41.59
	2020-21	65783.50	26158.75	39.76
	2021-22	100522.55	32845.8	32.68
	2022-23	66017.04	24173.94	36.62
	2023-24	78598.24	22897.90	29.13

परिशिष्ट 4.4

(संदर्भ अनुच्छेद 4.8)

चयनित ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों हेतु आपूर्ति की गई सामग्री एवं मस्टर रोल की अवधि में अंतर का विवरण

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का नाम	संस्वीकृति संख्या एवं दिनांक	संस्वीकृत राशि (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	मस्टर रोल का विवरण			बिल का विवरण			आक्षेप
						मस्टर रोल संख्या	राशि ₹ में	मस्टर रोल की अवधि	वाउचर/ बिल न.	बिल की दिनांक	राशि ₹ में	
1	भोयर (पं.सं.-घाटोल, जिला-बांसवाडा)	(i)सिंचाई नाली मेन रोड से होमजी/हरदिया के खेत की ओर (12.03.21/ 19.4.24) कार्य कोड-27280001011 /आईसी/ 112908212013	1439/ 22.10.2020	10.88	10.35 पूर्ण	74395	1650	12.03.21 से 26.03.21	450	10.08.21	96652	सामग्री (सीमेंट, बजरी और चुनाई, पत्थर और क्रेसर 12 मिमी इत्यादि) के इनवॉइस 19, 24, 27 और 31 अक्टूबर 2021 की तारीखों के थे, जबकि आखिरी मस्टर रोल 15.10.2021 को पूर्ण हुआ था।
						74397	2100	12.03.21 से 26.03.21	454	11.08.21	91585	
						36843	22100	13.08.21 से 27.08.21	476	14.08.21	74800	
						36844	18360	13.08.21 से 27.08.21	964	15.10.21	98000	
						36845	11050	13.08.21 से 27.08.21	993	19.10.21	97150	
						38461	23400	20.08.21 से 11.09.21	1014	24.10.21	85650	
						38462	21060	20.08.21 से 11.09.21	1026	27.10.21	29790	
						38463	14040	20.08.21 से 11.09.21	1044	31.10.21	8400	
						40880	2340	15.09.21 से 29.09.21				
						40878	23400	15.09.21 से 29.09.21				
						40877	22140	15.09.21 से 29.09.21				
						42564	21930	01.10.21 से 15.10.21				
						42565	21715	01.10.21 से 15.10.21				
						42566	25155	1.10.21 से 15.10.21				
						42567	13975	1.10.21 से 15.10.21				

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का नाम	संस्वीकृति संख्या एवं दिनांक	संस्वीकृत राशि (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	मस्टर रोल का विवरण			बिल का विवरण			आक्षेप
						मस्टर रोल संख्या	राशि ₹ में	मस्टर रोल की अवधि	वाउचर/ बिल न.	बिल की दिनांक	राशि ₹ में	
2.	चिरावाला गडा (पं.स.-घाटोल, जिला बांसवाडा)	(i) सी सी सड़क निर्माण जीवण/राजेंग के घर से कस्तुरा/गलवा के घर तक बुडा (20.09.20/ 23.02.2024) कार्य कोड-2728001018/ आरसी/ 112908291718	42617/27.3.20	8.98	8.1	43769 49409 49410 51886 51887 51888 51889 51890	15470 23600 16400 14520 14960 15180 14740 4840	20.09.20 से 04.10.20 11.11.22 से 24.11.22 11.11.22 से 24.11.22 02.12.22 से 12.12.22 02.12.22 से 12.12.22 02.12.22 से 12.12.22 02.12.22 से 12.12.22 02.12.22 से 12.12.22	104 106 109 116 125 126 128	21.12.22 22.12.22 24.12.22 28.12.22 14.02.23 16.02.23 19.02.23	104350 103700 60900 57270 45150 276000 23091	पिछला मस्टर रोल 12.12.22 को पूर्ण हुआ था, लेकिन सामग्री की इनवॉइस 21, 22 और 28 दिसंबर 2022 की तारीखों की थी। ₹2.76 लाख कीमत के सीमेंट के कट्टों की इनवॉइस फरवरी 2023 के महीने की थी।

परिशिष्ट 5.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 5.7)

नमूना जाँच किए गए जिलो में लक्ष्यों के विरुद्ध किए गए कार्यस्थल निरीक्षण

जिला	वर्ष	डीपीसी		एडीपीसी		अधिशाषी अभियंता		सहायक अभियंता		कनिष्ठ अभियंता	
		लक्ष्य	कार्यस्थल निरीक्षण	लक्ष्य	कार्यस्थल निरीक्षण	लक्ष्य	कार्यस्थल निरीक्षण	लक्ष्य	कार्यस्थल निरीक्षण	लक्ष्य	कार्यस्थल निरीक्षण
बांसवाडा	2021-22	120	9	120	73	120	0	120	0	120	0
	2022-23	120	122	120	60	120	42	120	0	120	0
	2023-24	120	28	120	101	120	104	120	0	120	0
योग		**360**	**159**	**360**	**234**	**360**	**146**	**360**	**0**	**360**	**0**
चित्तौड़गढ़	2021-22	120	10	120	33	120	0	120	70	120	0
	2022-23	120	118	120	119	120	80	120	18	120	0
	2023-24	120	55	120	90	120	173	120	0	120	0
योग		**360**	**183**	**360**	**242**	**360**	**253**	**360**	**88**	**360**	**0**
जैसलमेर	2021-22	120	1	120	77	120	0	120	0	120	0
	2022-23	120	53	120	157	120	9	120	0	120	0
	2023-24	120	6	120	122	120	48	120	0	120	0
योग		**360**	**60**	**360**	**356**	**360**	**57**	**360**	**0**	**360**	**0**
कोटा	2021-22	120	5	120	50	120	0	120	0	120	0
	2022-23	120	90	120	112	120	66	120	0	120	0
	2023-24	120	40	120	95	120	81	120	0	120	0
योग		**360**	**135**	**360**	**257**	**360**	**147**	**360**	**0**	**360**	**0**
नागौर	2021-22	120	6	120	86	120	0	120	0	120	0
	2022-23	120	78	120	91	120	59	120	0	120	0
	2023-24	120	48	120	68	120	105	120	0	120	0
योग		**360**	**132**	**360**	**245**	**360**	**164**	**360**	**0**	**360**	**0**

(स्रोतः 'एरिया ऑफिसर ऐप' डेटा)

शब्दकोष

एडीपीसी	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
बीआरसी	ब्लॉक संसाधन केन्द्र
बीआरपी	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति
सीवीओ	मुख्य सतर्कता अधिकारी
डीपीसी	जिला कलेक्टर सह जिला कार्यक्रम समन्वयक
डीआरपी	जिला संसाधन व्यक्ति
डीक्यूएम	जिला गुणवत्ता निगरानी
ईजीएस	रोजगार गारंटी योजना
ऍफ़टीओ	फण्ड ट्रान्सफर ऑर्डर
जीकेएन	ग्रामीण कार्य निर्देशिका
जीपी	ग्राम पंचायत
जीएस	ग्राम सभा
एचएच	परिवार
आईईसी	सूचना, शिक्षा और संचार
जेटीए	कनिष्ट तकनीकी सहायक
एमआईएस	मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम
एमडब्ल्यूसी	मिशन जल संरक्षण
एनआरएम	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
पीएमएवाई	प्रधानमंत्री आवास योजना
पीएम-एसवाईएम	प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
पीएस	पंचायत समिति
आरडीडी	ग्रामीण विकास विभाग
एसईजीसी	राज्य रोजगार गारंटी परिषद
एसईजीएफ	राज्य रोजगार गारंटी कोष
एसएनए	सिंगल नोडल लेखे
एसआरपी	राज्य संसाधन व्यक्ति
एसएसएटी	सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी
एसक्यूएम	राज्य गुणवत्ता मॉनिटर
वीएमसी	ग्राम निगरानी समिति
वीआरपी	ग्राम संसाधन व्यक्ति

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag1/rajasthan/hi